लोक-सभा
वाद-विवाद

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'

तृतीय माला

खण्ड ४, १९६२/१८८४ (शक)

[२६ मई से ७ जून, १९६२/५ से १७ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)]

Chamber Fumigated 18/X/75

3rd Lok Sabha

Preservation Unit
Fumigated On
Parliament Library

पहला सत्र, १९६२/१८८४ (शक)

(खण्ड ४ में अंक ३१ से ४० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

विषय सूची

[तृतीय माला, खण्ड ४—अंक ३१ से ४०—२६ मई से ७ जून, १९६२ / ५ से १७ ज्येष्ठ १८८४ (शक)]

अंक ३१—शनिवार, २६, मई १९६२ / ५ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)

सभा पटल पर रखे गये पत्र . .	३२५१
सभा का कार्य	३२५१–५२
अनुदानों की मांगें .	३२५२—३३३२
स्वास्थ्य मंत्रालय . .	३२५१—७९
शिक्षा मंत्रालय . .	३२८०—३३३२
दैनिक संक्षेपिका	३३३३

अंक ३२—सोमवार, २८ मई, १९६२ / ७ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १०७०, १०७२, १०७४, १०७५, १०७७ से १०८०, १०८५, १०८१, १०८३, १०८४, १०८६ और १०९० से १०९३	३३३५—३३५८
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १०७१, १०७३, १०७६, १०८२, १०८७, १०८८, १०८९, १०९४ से १११३	३३५८—६८
अतारांकित प्रश्न संख्या २०२६ से २०३८, २०४० से २०६० और २०६२ से २११५	३३६८—३४०२
स्थगन प्रस्ताव के बारे में . . .	३४०२—०४
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना .	३४ ०५—०७
(१) गोरखपुर और बस्ती जिलों में चीनियों का कथित प्रवेश .	३४०५–०६
(२) डकोटा विमान का गिरना	३४०६–०७
सभा पटल पर रखे गये पत्र . .	३४०७—०९
तारांकित प्रश्न संख्या १२५ के उतर में शुद्धि . .	३४०९
तारांकित प्रश्न संख्या ८६४ पर अनुपूरक प्रश्न के उतर के बारे में वक्तव्य .	३४०९
अनुदानों की मांगें	३४०९—५४
शिक्षा मंत्रालय	३४०९—१२

सूचना और प्रसारण मंत्रालय . . ३४१३—५४
दैनिक संक्षेपिका . . ३४५५—६२

अंक ३३—मंगलवार, २९ मई, १९६२ / ८ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १११४, १११६ से १११९, ११२२ से ११२६, ११२८ से ११३२, ११३४ और ११३५ . . . ३४६३—८९
अल्प सूचना प्रश्न संख्या १२ . . . . . ३४९०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १११५, ११२०, ११२१, ११२७, ११३३क, ११३६ से ११६३ . . . . . ३४९०—३५०५
अतारांकित प्रश्न संख्या २११६ से २१६७ . ३५०५—२९
प्रक्रिया के बारे में . . . ३५२९
स्थगन प्रस्ताव—
अमरीका में भारत के राजदूत द्वारा भारतीय प्रतिरक्षा सेनाओं के बारे में वक्तव्य . . . . . ३५३०—३१
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना—
१. अमरीका में भारत के राजदूत द्वारा भारतीय प्रतिरक्षा सेनाओं के बारे में वक्तव्य ३५३२
२. अमरीका में भारत के राजदूत द्वारा प्रतिरक्षा मंत्री के बारे में कही गई बातें . . . . . ३५३२—३३
३. सदर बाजार में हुआ अग्नि कांड . ३५३३
सभा पटल पर रखे गये पत्र ३५३४
अनुदानों की मांगें . . . . . ३५३३—८०
सूचना और प्रसारण मंत्रालय . . ३५३४—४८
विधि मंत्रालय . . . . . ३५४९—७०
प्रतिरक्षा मंत्रालय . . . . ३५७०—८०
दैनिक संक्षेपिका . . . . . ३५८१—८६

अंक ३४—बुधवार, ३० मई, १९६२ / ९ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११६४ से ११६६, ११६८ से ११७०, ११७२, ११७४ से ११७६, ११७८, ११७९, ११८१, ११८३ और ११८४ . ३५८७—३६१०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११६७, ११७१, ११७३, ११७७, ११८०, ११८२, ११८५ से ११९५ . . . . ३६१०—१६

अतारांकित प्रश्न संख्या २१६८ से २२७८ और २२८० से २३१५ . ३६७६—८४

सभा पटल पर रखे गये पत्र ३६८४

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

पहला प्रतिवेदन . . ३६८४

समितियों के लिये निर्वाचन —

(१) भारत की क्षय रोग संस्था की केन्द्रीय समिति . ३६८५

(२) राष्ट्रीय खाद तथा कृषि संगठन सम्पर्क समिति ३६८५

अनुदानों की मांगें —

प्रतिरक्षा मंत्रालय . . ३६८४—३७२६

दैनिक संक्षेपिका . . . . ३७२७—३४

अंक ३५—गुरुवार, ३१ मई, १९६२/१० ज्येष्ठ १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११९६ से १२०१, १२०४ से १२१३ और १२१५ . . . . . ३७३५—६१

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १३ . . ३७६१—६२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२०२, १२०३, १२१४ और १२१६ से १२२० अतारांकित प्रश्न संख्या २३१६ से २३७८ . ३७६३—६६

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . . ३७६६—९२

उत्तर प्रदेश में भारत-नेपाल सीमा पर स्थित नौटवना में कथित विस्फोट ३७९३

पाकिस्तान द्वारा टिड्डी दल के आक्रमण के बारे में सूचना न देना ३७९३—९५

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . ३७९५

समितियों के लिये निर्वाचन—

(१) दिल्ली विश्वविद्यालय का कोर्ट . . . . ३७९५—९६

(२) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का कोर्ट . . ३७९६

(३) विश्वभारती की संसद् (कोर्ट) ३७९६

अनुदानों की मांगें —

प्रतिरक्षा मंत्रालय . . ३७९६—३८१३

निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय . . ३८१३—४३

दैनिक संक्षेपिका . . . . . ३८४४—४९

अंक ३६—शुक्रवार, १ जून, १९६२/११, ज्येष्ठ १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२२६, १२२७, १२२९ से १२३२, १२३४ से १२३८, १२४० से १२४४ और १२२५ . . . ३८५१—७७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२२१ से १२२४ ,१२२८, १२३३, १२३९ . ३८७७—८१

अतारांकित प्रश्न संख्या २३७९ से २४१२ . . ३८८१—९६

निधन संबंधी उल्लेख ३८९६

३१-५-६२ को उठाये गये एक औचित्य प्रश्न के बारे में . ३८९७-९८

सभा पटल पर रखे गये पत्र ३८९८-९९

फिलेटिलिक ब्यूरो द्वारा डाक-टिकट संग्रह कर्ताओं को टिकटों के फोल्डर दिये जाने के बारे में याचिका . . . ३८९९

सभा का कार्य ३८९९

राष्ट्रपति की पेंशन (संशोधन) विधेयक, १९६२—पुरःस्थापित . ३९०

अनुदानों की मांगें—

निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय . . . ३९००—२४

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति— ३९२५

पहला प्रतिवेदन ३९२५

मूलभूत सहकारी कृषि समिति के बारे में संकल्प—वापस लिया गया . ३९२५—३७

अस्पृश्यता निवारण संबंधी संकल्प . ३९३७—४५

दैनिक संक्षेपिका . . ३९४६—४९

अंक ३७—सोमवार, ४ जून, १९६२/१४ ज्येष्ठ १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२४६ से १२४९, १२५१ से १२५४ और १२५६ से १२६१ . . . . ३९५१—७३

प्रश्नों के लिखित उत्तर— .

तारांकित प्रश्न संख्या १२५०, १२५५ और १२६२ से १२७० . ३९७३—७९

अतारांकित प्रश्न संख्या २४१३ से २४३१, २४३३ से २४७४ और २४७६ से २५१० . . . . ३९७९—४०२३

सभा पटल पर रखे गये पत्र—

पूर्वी पाकिस्तान में हुए उपद्रवों और उस के परिणामस्वरूप हुए प्रवजन के बारे में वक्तव्य—

श्री जवाहरलाल नेहरू . . . . . ४०२४—२६

अनुदानों की मांगें—

निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय . . ४०२६

गृह-कार्य मंत्रालय . . . ४०३९–४०

हुगली के पास हुई रेल दुर्घटना के बारे में वक्तव्य . ४०७०

दैनिक संक्षेपिका . . . . ४०८१—८६

अंक ३८—मंगलवार, ५ जून, १९६२/१५ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२७१, १२७३, १२७४, १२७७ से १२८०, १२८२ और १२८४ से १२८९ . . . . ४०८७—४११०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२७५, १२७६, १२८१, १२८३ और १२९० से १३०८ . . . . . ४११०—१९

अतारांकित प्रश्न संख्या २५११ से २६०७, २६०९ से २६१९, २६२२ से २६३० और २६३२ से २६३४ . . . . ४१२०—७२

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना—

(१) अमरीकी राजदूत द्वारा भारत की प्रतिरक्षा सेनाओं के बारे में कथित उद्गार . . . ४१७२

(२) कनाट प्लेस में आग . . . . ४१७२—७४

सभा पटल पर रखे गये पत्र ४१७४–७५

सभा पटल पर एक प्रतिवेदन के रखे जाने के बारे में ४१७५

लोक सभा की बैठकों का रद्द किया जाना . . ४१७५

समितियों के लिये निर्वाचन—

भारत के वानस्पतिक सर्वेक्षण और भारत के प्राणिकीय सर्वेक्षण के लिये केन्द्रीय जीव-विज्ञान सलाहकार बोर्ड . . . ४१७५–७६

अनुदानों की मांगें—

गृह-कार्य मंत्रालय . . . . . ४१७६—४२३३

दैनिक संक्षेपिका . . . . . ४२३४—४२

अंक ३९—बुधवार, ६ जून १९६२/१६ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३१०, १३११ से १३१३, १३१७ से १३१९, १३२४ से १३२७, १३१६, १३१५, १३२२, १३२०, १३२३, १३१४ और १३२१ . . . . . ४२४३—६८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३०९ . . . ४२६८

अतारांकित प्रश्न संख्या २६३५ से २६४३ और २६४५ से २७०५ . ४२६८—९९

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

भारत तिब्बत करार की समाप्ति और चीनी व्यापारिक दूतावासों का बन्द किया जाना . . . ४२९९

सभा पटल पर रखे गये पत्र ४३००

स्थगन प्रस्ताव के बारे में . . ४३०१

अनुदानों की मांगें—

गृह-कार्य मंत्रालय . . . ४३०१—९७

श्रम और रोजगार मंत्रालय . . . ४३८८—५३

दैनिक संक्षेपिका . . . . ४३५४—५८

अंक ४०—गुरुवार, ७ जून, १९६२/१७ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३२८ से १३३१, १३३४, १३३७ से १३४४, १३४६, १३४७, १३४९ और १३४८ . . ४३५९—८२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३३२, १३३३, १३३५ १३३६, १३४५ और १३५० से १३५२ . . . . . ४३८२—८५

अतारांकित प्रश्न संख्या २७०६ से २७८६ . . ४३८५—४४२१

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना —

दिल्ली के टाउन हाल में आग का लगना . . . ४४२२–२३

विषय	पृष्ठ
सभा पटल पर रखे गये पत्र . . .	४४२३
समितियों के लिये निर्वाचन —	
(१) प्राक्कलन समिति ; तथा .	४४२३—२४
(२) लोक लेखा समिति	४४२४
सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के बारे में . . .	४४२४
लोक लेखा समिति के साथ राज्य सभा के सदस्यों को सम्बद्ध करने के बारे में प्रस्ताव . . .	४४२५
अनुदानों की मांगें	४४२५—७८
श्रम और रोजगार मंत्रालय	४४२५
मत विभाजन के परिणाम के बारे में घोषणा .	४४७७—७८
दैनिक संक्षेपिका	४४७९—८४

नोट : मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था ।

लोक-सभा

बुधवार, ६ जून, १९६२

१६ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उतर

अभ्रक खानों में 'सिलिकोसिस'

†*१३१०. **श्री यलमंदा रेड्डी :** क्या **श्रम और रोजगार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि आन्ध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में अभ्रक खान क्षेत्र में 'सिलिकोसिस' रोग काफी फैला हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी) :** (क) बीमारी फैली अवश्य है किन्तु व्यापक रूप में नहीं ।

(ख) सभी अभ्रक खानों में गीली खुदाई और गर्द को दबाना अनिवार्य कर दिया गया है । इन को लागू करने के लिये नियमित निरीक्षण किये जा रहे हैं ।

क्षय रोग अस्पताल नेल्लोर में क्षय रोग और सिलिको के एकमात्र उपयोग के लिये आठ बिस्तर आरक्षित कर दिये गये हैं—जिनमें अभ्रक खनिकों और उनके परिवारों के क्षय रोगी भरती हो सकते हैं और राज्य सरकार से तीन और बिस्तर आरक्षित करने के लिये प्रार्थना की गई है । उन अभ्रक खनिकों को यात्रा भत्ता दिया जाता है जो भरती न होने वाले रोगियों के तौर पर क्षय रोग अस्पताल नेल्लोर में जाते हैं ।

कालीचेड में क्षय रोग और सिलिकोसिस के रोगियों के रह कर उपचार करवाने के लिये हस्पताल में एक क्षय रोग वार्ड बनाने के लिये व्यवस्था की जा रही है और वहां अभ्रक खनिकों का बड़े पैमाने पर एक्सरे होगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री यलमंदा रेड्डी** : क्या मा० मन्त्री को इस बात का पता है कि अभ्रक खनिक गीले छिद्रकों आदि का उपयोग नहीं करते और विभाग द्वारा जारी किये गये विनियमों का भी पालन नहीं करते ?

†**श्री हाथी** : मैं समझता हूं कि गीली खुदाई होती है । उन्हें ऐसा करना पड़ता है ।

†**श्री यलमंदा रेड्डी** : क्या सरकार को पता है कि इन बीमार व्यक्तियों को मृत्यु के दो या तीन वर्षों पश्चात् तक भी मुआवजा नहीं दिया जाता ? क्या सरकार इस बात की ओर ध्यान देगी कि मुआवजा उनको समय पर दिया जाए ?

†**श्री हाथी** : निस्सन्देह इसकी ओर ध्यान दिया जाएगा कि यदि उनको नौकरी करते हुए बीमारी लगे तो उनको मुआवजा दिया जाए ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : मा० मन्त्री के उत्तर में जिन सुविधाओं का उल्लेख किया गया है क्या वे सभी श्रमिकों को दी जाती हैं जिन्हें यह काम करते हुए तीसरी लग सकती है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह व्यापक प्रश्न है ।

†**श्री वारियर** : अभ्रक की खानों में सिलिकोसिस बीमारी की प्रतिशतता क्या है और प्रति वर्ष इसकी संख्या घटाने के लिये क्या उपचारिक उपाय किये गये हैं ?

†**श्री हाथी** : आन्ध्र प्रदेश में अभ्रक खानों में १९५५ में भूमि के नीचे काम करने वाले कामगारों की प्रतिशतता १.५ थी। १९६० में २.४१ प्रतिशत और १९६१ में यह १ प्रतिशत थी। उपाय ये किये गये हैं। कि गीली खुदाई होनी चाहिये और यथासम्भव गर्द को रोका जाए।

श्री बड़े : जो माइका माइन्ज़ प्राइवेट सेक्टर में झाब्वा (मध्य प्रदेश) में चलती हैं क्या उनमें भी हवा से जो मजदूरों को नुकसान होता है उसके लिय मैडीकल फैसिलिटी सरकार की तरफ से दी जाती है?

†**श्री हाथी** : सब खानें ।

†**श्री का० रा० गुप्त** : क्या बीमारी अन्य क्षेत्रों में भी फैली हुई है, विशेषकर राजस्थान में ?

†**श्री हाथी** : यह राजस्थान में तो नहीं, किन्तु बिहार में है ।

†**श्री काशी नाथ पांडे** : अभी हाल में इस गर्द को वहां आने से रोकने के लिये क्या उपाय किए गये हैं ?

†**श्री हाथी** : मैं इसका उत्तर दे चुका हूं ।

लंका में भारतीय

†*१३११. **श्री उमानाथ** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १९४९ से लंका में रह रहे भारतीयों को वहां उच्च आयुक्त की दस्तावेजी साक्ष्य देकर यह सिद्ध करना पड़ता है कि वे वहां उस तारीख से रह रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह)** : (क) जो लोग १-११-४९ से या बाद से लंका में रह रहे हैं, जिन्होंने कोलम्बो स्थित हमारे उच्च आयुक्त के द्वारा यात्रा कागजों के लिये अर्जी दी है या भारतीय नागरिक के तौर पर पंजीयन की प्रार्थना की है, उनको अपनी अर्जियों के समर्थन में कागजी प्रमाण देना पड़ता है ।

(ख) ऐसे लोगों की संख्या का ठीक पता नहीं । तथापि १९६१ में ५००० से अधिक ऐसी अर्जियां प्राप्त हुई थीं ।

†**श्री उमानाथ** : उन लोगों से कागजी प्रमाण लेने की क्या उद्देश्य है जो लंका में बहुत देर से रह रहे हैं ?

†**श्री दिनेश सिंह** : यह उस करार का एक अंग है जो दो प्रधान मन्त्रियों के बीच अक्तूबर, १९४९ में हुआ था । मुख्य उद्देश्य अवैध अप्रवास को रोकना है ।

†**श्री उमानाथ** : उच्च आयोग उनसे किस प्रकार का कागजी साक्ष्य मांगता है, और सरकार उन लोगों के साथ किस प्रकार निपटारा करने का विचार करती है वहां वास्तव में ही वहां १९४९ से ठहर रहे हैं किन्तु जिनके पास दस्तावेजी साक्ष्य नहीं है ?

†**श्री दिनेश सिंह** : यह दस्तावेजी साक्ष्य किस प्रकार का साक्ष्य हैं जो वे भारत से प्राप्त कर सकते हैं जिस पर हम उन मामलों को भारत को भेज देते हैं या चावल राशन पुस्तक या और कोई कागज है जो वे लंका में अपने रहने की बात को सिद्ध करने के लिये दे सकते हैं ?

†**श्री उमानाथ** : प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर क्या है ? सरकार उन भारतीयों का निपटान कैसे करने का विचार करती है जो वहां १९४९ से ठहर रहे हैं किन्तु उनके पास दस्तावेजी प्रमाण नहीं हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि यह स्पष्ट आवश्यकता है कि दस्तावेजी प्रमाण अनिवार्य होगा, वे उन को निपटान कैसे करेंगे यह सवाल ही नहीं उठता ।

†**श्री वारियर** : क्या सरकार का ध्यान नये विधेयक की ओर दिलाया गया है जो लंका संसद् में पुरःस्थापित किया जाने वाला है, जिसके द्वारा भारतीय उद्भव के लोगों को लंका के बागान में नौकर होने से रोका जाएगा ; और सरकार इस मामले में क्या कार्रवाई करने का विचार करती है ?

†**श्री दिनेश सिंह** : जी हां । इस मामले पर लंका सरकार के साथ बातचीत हो रही है ।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या सरकार का ध्यान लंका के प्रधान मन्त्री के इस आशय के उस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है जो उन्होंने वहां की लोक सभा में दिया है कि जब हमारे प्रधान मन्त्री जुलाई में लंका जायेंगे उनके साथ वह जो बातचीत करना चाहते हैं उससे पहले अधिकारी स्तर पर बातचीत होनी चाहिये, यदि हां, तो क्या वह अधिकारी स्तर की बातचीत हो चुकी है और यदि हां तो अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†**श्री दिनेश सिंह** : जैसा कि मा० सदस्य ने कहा है कि कोई बातचीत नहीं हुई । किन्तु जब हमारा उच्च आयुक्त वहां के प्राधिकारियों से मिला था, कुछ बातचीत . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : लंका के प्रधान मन्त्री ने वक्तव्य दिया है कि पहले कोई शासकीय सम्मेलन या बैठक होनी चाहिये वह इस के बारे में पूछ रहे हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री दिनेश सिंह** : वह आरम्भ नहीं हुई है।

†**श्री हेम बरुआ** : मेरे प्रश्न के अगले भाग का उत्तर क्या है कि क्या हमारे प्रधान मन्त्री जुलाई में लंका जा रहे हैं और क्या वहां इस के बारे में दोनों प्रधान मन्त्रियों में बातचीत होगी ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : मैं जुलाई में लंका में नहीं जा रहा हूं। मैं संभवतः सितम्बर में जाऊं यदि मैं गया तो बहुत से विषयों पर बातचीत होगी। हो सकता है इन मामलों पर भी बातचीत हो।

†**श्री उमानाथ** : क्या लंका सरकार भारतियों को भेज कर उनको मुआवजा देने का विचार करती है और क्या उन्होंने इस के बारे में भारत सरकार से कहा है और यदि हां तो इस प्रस्थापना के सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

†**श्री दिनेश सिंह** : राज्यहीन लोगों के अस्तित्व के बारे में समूचे मामले पर बातचीत चल रही है।

श्रम उत्पादकता

†१३१२. **श्री काशी नाथ पांडे**: क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रम उत्पादकता में वृद्धि के सम्बन्ध में श्रम ब्यूरो ने अपनी छानबीन पूरी कर ली हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष हैं; और

(ग) क्या श्रम ब्यूरो द्वारा आरम्भ किये गये श्रम उत्पादकता के अध्ययन में सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्र, दोनों के ही उद्योग शामिल हैं ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी)** : (क) श्रम ब्यूरो ने नौ चुने हुए उद्योगों में श्रम उत्पादकता अध्ययन पूरा कर लिया है।

(ख) अभी अन्तिम रूप में निष्कर्ष नहीं निकाले गये।

(ग) जी हां।

†**श्री काशी नाथ पांडे** : क्या श्रम ब्यूरो श्रम उत्पादकता की सहायता करने के लिये दोनों पक्षों द्वारा किये गये अंशदान की प्रतिशतता का भी अनुमान लगाता हैं ?

†**श्री हाथी** : क्या इसका अर्थ है मालिक और कर्मचारी ?

†**श्री काशी नाथ पांडे** : जी हां।

†**श्री हाथी** : वे इस तथ्य को भी ध्यान में रखेंगे।

†**श्री ओझा** : क्या इस अध्ययन में श्रमिकों और मालिकों में अग्रेतर उत्पादकता के लाभों का अंश बटाने का सूत्र निकालना भी शामिल होगा ?

†**श्री हाथी** : यह उत्पादकता के बारे में होगा, प्रत्येक उद्योग की उत्पादकता में वृद्धि या कमी के बारे में। उन्होंने केवल नौ उद्योग लिये हैं। मुझे पता नहीं, रिपोर्ट देखने के बाद ही यह सम्भव हो सकता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री काशी नाथ पांडे** : क्या मंत्रालय एक आदर्श प्रोत्साहन योजना बनाने का विचार करता है ताकि कामगारों को लाभ पहुंच सके और उत्पादकता बढ़ाई जा सके ?

†**श्री हाथी** : अच्छा सुझाव है ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : सरकारी क्षेत्र के उद्योगों की उत्पादकता को बढ़ाने की दृष्टि से, क्या सरकार के सामने चुने हुए उद्योगों में मजदूरों को पारितोषिक अथवा कोई अन्य प्रोत्साहन देने का विचार है ?

†**श्री हाथी** : यह विचाराधीन है ।

†**श्री का० रा० गुप्त** : उत्पादकता किन उद्योगों में आरम्भ की गई है ?

†**श्री हाथी** : पटसन कपड़ा, सूती कपड़ा, ऊनी कपड़ा, लोहा और इस्पात, कागज, चीनी, सीमेंट, दियासलाई, शीशा और शीशे का सामान ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : उत्पादकता दल में वृद्धि हुई है । क्या श्रमिक ब्यूरो इस के साथ मिल कर काम कर रहा है या पृथक् रूप से काम कर रहा है ?

†**श्री हाथी** : सहयोग से और परामर्श से भी ।

†**श्री श० ना० चतुर्वेदी** : प्रतिवेदन को कब तक अन्तिम रूप दिये जाने की संभावना है ?

†**श्री हाथी** : प्रतिवेदन अन्तिम रूप से छः महीनों में तैयार हो जायेगा । यह सांख्यिकी की पड़ताल करने के लिये अन्य सम्बद्ध मंत्रालयों को परिचालित किया गया है ।

†**श्री दाजी** : क्या सरकार उत्पादकता को बढ़ाने के लिये प्रोत्साहन भुगतान योजना के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

†**श्री हाथी** : यह प्रश्न श्री कामत ने पूछा था । मैं उत्तर दे चुका हूं ।

शिकार की राइफल के कारतूसों का आयात

†*१३१३. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शिकार की राइफल के कारतूसों के आयात पर पूरी तौर से रोक लगा दी गयी है; और

(ख) यदि हां तो किन कारणों से सरकार ने यह कदम उठाया है खास कर जब कि इस देश में राइफल की कारतूसें तैयार नहीं की जातीं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** :(क) जी हां ।

(ख) खेलों के उपयोग के कारतूस देश में बनाये जा रहे हैं और देश की मांग को पूरा करने के लिये देशीय उत्पादन काफी है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री सुरेन्द्र पाल सिंह** : भारत में कितनी किस्मों के और आकारों के गैर-निषिद्ध बोर राइफल के कारतूस बनाये जा रहे हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह** : ·१२ और ·२२ बोर और ८ एम० एम०/३१५"

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, क्या माननीय मंत्री जी इस बात का पता लगायेंगे कि कारतूसों की कमी की वजह से उनकी कीमतें कितनी बढ़ गयी हैं और उस के कारण जनता को कितनी परेशानी हो रही है ?

श्री मनुभाई शाह : ऐसा तो हमारे नोटिस में नहीं आया है । यह जरूर है कि जो इम्पोर्टर्स लोग हैं वह रोज टेलीग्राम्स भेजते हैं कि इनका इम्पोर्ट खोल दिया जाय । हम यहां अपने देश के भीतर चार लाख रुपये के कारतूस बना रहे हैं । अब फौरेन एक्सचेंज की कमी की वजह से इम्पोर्ट बन्द करने के अलावा और कोई चारा ही नहीं था ।

†**श्री सुरेन्द्रपाल सिंह** : सरकार द्वारा उन राइफलों के लिये कारतूसों का संभरण करने के लिये, जिन के कारतूस भारत में नहीं बनाये जाते, क्या कार्रवाई की जा रही है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : इस का मुख्यत: खेलों की बन्दूकों के कारतूसों से सम्बन्ध है न कि सामान्य राइफलों से । इसके लिये आयुध फैक्टरियां पर्याप्त मात्रा में कारतूस तैयार कर रही हैं । यदि किन्हीं विशिष्ट आकारों के लिये कठिनाई अनुभव हो रही है तो हम निश्चय ही उनकी ओर ध्यान देंगे ।

सीताराम मिल्ज, त्रिचूर

†*१३१७. **श्री वारियर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि सीताराम मिल्ज, त्रिचूर बन्द कर दी गई है क्योंकि उसके प्रबन्धकों का ख्याल है कि उक्त मिल विद्युत्चालित करघों पर लगाये गये उत्पादन शुल्क का वर्तमान उच्च दर पर भुगतान नहीं कर सकती; और

(ख) यदि हां, तो श्रमिकों के हितों की रक्षा हो सके इसके लिये सरकार क्या कदम उठाने का इरादा रखती है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** :(क) और (ख). जी हां ।

†**श्री वारियर**: जो हां ? मैं समझा नहीं । प्रश्न का (ख) भाग यदि हां हो, तो श्रमिकों के हितों की रक्षा हो सके इसके लिये सरकार क्या कदम उठाने का इरादा रखती है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : यह मामला हमारे नोटिस में आ चुका है । सभी विद्युत् चालित करघा लोगों ने सरकार से अभ्यर्थना की है जैसा कि उत्पादन शुल्क लगाये जाने पर साधारणतया हुआ करता है । इन सब प्रश्नों का पारस्परिक सम्बन्ध है और हमें वित्त मंत्री के वित्त विधेयक की प्रतीक्षा करनी चाहिये ।

†**श्री वारियर** : क्या इस विशिष्ट मामले में कोई विशिष्ट कार्यवाही की गई है जहां श्रमिकों को छोड़ने के नोटिस जारी किये जा चुके हैं—मिलों के बन्द होने के नोटिस भी जारी हो चुके हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मनुभाई शाह :** जब कभी उत्पादन शुल्क लगाया जाता है, प्रत्येक पक्ष यह अभ्यर्थना करता है कि शुल्क हटाया जाना चाहिये । अपनी बात को सिद्ध करने के लिये वे नोटिस जारी भी करते हैं । ये सब परस्पर संबंधित प्रश्न, न केवल एक वस्तु पर उत्पादन शुल्क, किन्तु जैसा आप को विदित है, सब वस्तुएं वित्त मंत्रालय के विचाराधीन हैं । जब निर्णय हो जायेंगे तो मालूम होगा ।

†**श्री वारियर :** क्या यह त्रिदलीय सम्मेलन में स्वीकृत आचार संहिता के विरुद्ध नहीं है ?

†**श्री मनुभाई शाह:** नहीं । ऐसा कोई ठेका नहीं था । उत्पादन शुल्क के मामले में, कोई सरकार किसी के साथ संविदा नहीं करती ।

†**श्री दाजी:** क्या सरकार ने इस काम के लिये कोई योजना बनाई है कि उनका काम चलता रहे और यदि आवश्यकता पड़े तो उन इकाइयों को अपने हाथ में लेकर भी जिन में उद्योग सरकार की करारोपण नीति के कारण बन्द हो गया है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** मैं सभा से प्रार्थना करूंगा कि वे निर्णय की प्रतीक्षा करे और तब देखें कि आया कोई उद्योग बन्द होता है या यह केवल उत्पादन शुल्क हटाने के लिये एक तरीका है ?

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** क्या यह बात सरकार के ध्यान में लाई गई है कि न केवल सीताराम मिल्स त्रिचूर, किन्तु बहुत से मिलों ने, जिन में बिजली से चलने वाले करघे थे, अब बन्द हो गये हैं और यदि वित्त विधेयक के पश्चात् भी वे बन्द रहते हैं, तो क्या सरकार उन को पुनः खुलवाने के लिये कोई कार्यवाही करेगी ?

†**अध्यक्ष महोदय :** कल्पनामूलक प्रश्न है ।

†**श्री वारियर :** मेरा प्रश्न आचार संहिता के बारे में था, संविदा के बारे में नहीं । माननीय मंत्री ने उस शब्द को गलत समझ लिया । क्या यह त्रिदलीय सम्मेलन में स्वीकृत आचार संहिता के विरुद्ध नहीं है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** आचार संहिता का प्रश्न उस प्रश्न से कैसे उत्पन्न होता है जहां उत्पादन शुल्क लगाये जाने के कारण, कोई धमकी देता है, कि वह मिल को बन्द कर देगा ?

†**श्री नी० श्रीकान्तन नायर :** सीताराम मिल्स की बुरी अवस्था की दृष्टि से जिस में कताई अनुभाग बन्द हो गया है और लगभग १००० कामगर बेकार हो गये हैं, क्या सरकार इस मिल के बारे में कुछ विशेष रियायतों का विचार करेगी अन्यथा ७००० और कामगर बेकार हो जायेंगे ।

†**श्री मनुभाई शाह :** ये सब मामले विचाराधीन हैं ।

†**श्री श्याम लाल सर्राफ :** इस तथ्य की दृष्टि से कि यह उत्पादन शुल्क कुछ मामलों में बिजली चालित करघों के सम्बन्ध में बहुत अधिक लगाया गया है, क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री ऐसे मामलों पर विचार करने और उन बिजली करघों पर उत्पादन शुल्क हटाने के लिये वित्त मंत्री को सिफ़ारिश करने का विचार करेगा ?

†**श्री मनुभाई शाह :** यह आन्तरिक ज्ञान का आधिक्य है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रबन्ध में कर्मचारियों द्वारा भाग लिया जाना

†*१३१८. **श्री महेश्वर नायक :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रबन्ध में श्रमिकों द्वारा भाग लिये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही करने के लिये उनके मंत्रालय में एक विशेष अधिकारी नियुक्त किया गया है ;

(ख) उपक्रमों, उद्योगों तथा अन्य व्यवसायों के विभिन्न क्षेत्र कौन से हैं जिनमें यह योजना लागू की गई है ; और

(ग) क्या प्राप्त परिणामों का कोई मूल्यांकन किया गया है ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी) :** (क) जी हां ।

(ख) उन उपक्रमों की सूची, जिनमें यह योजना चल रही है, सभा पटल पर रखी जाती है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ९१]**

(ग) २६ उपक्रमों सम्बन्धी मूल्यांकन अध्याय, जिसमें योजना लागू की गई थी, पूरा हो चुका है ।

†**श्री महेश्वर नायक :** प्रबन्ध में श्रमिकों का हाथ होने के फलस्वरूप उत्पादकता में यदि कोई वृद्धि हुई है, तो कितनी ? क्या इसका कोई अनुमान लगाया गया है और यदि हां, तो क्या उत्पादकता बढ़ी है या कम हुई है ?

†**श्री हाथी :** उत्पादकता बढ़ी है । किन्तु अन्य लाभ ही दिखाई दिये हैं, जैसे उत्तम औद्योगिक सम्बन्ध, अधिक स्थायी श्रमिक बल, छीजन आदि की कमी ।

†**श्री महेश्वर नायक :** केन्द्रीय मंत्रियों का एक सम्मेलन १९६१ में हुआ था उसे स्थिति पर पुनर्विचार करना था । क्या वह पुनर्विचार केवल प्रबन्ध में श्रमिकों के भाग लेने की प्रगति के बारे में है या उत्पादकता के बारे में भी ?

†**श्री हाथी :** यह संयुक्त परिषदों के मामले में थे, उत्पादकता के बारे में नहीं, क्योंकि उसके बारे में अधिक इकट्ठा करना था, पेश्तर इसके कि हम उत्पादकता की मात्रा या प्रतिशत का फैसला कर सकें ।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** इसका क्या कारण है कि यह योजना सरकारी क्षेत्र की केवल १२ इकाइयों में ही जारी की गई है जब कि यह गैर सरकारी क्षेत्र की १८ इकाइयों में जारी की जा चुकी है ? मैं समझता था कि सरकारी क्षेत्र को मार्ग दर्शन करेगा किन्तु यहां तो गैर सरकारी क्षेत्र मार्ग दर्शन कर रहा है ।

†**श्री हाथी :** यह संविहित उपबन्ध नहीं है । यह श्रमिकों और प्रबन्धकों के स्वेच्छिक विचारों या इच्छाओं पर निर्भर है ; जहां कहीं श्रमिक तैयार होते हैं और मालिक तैयार होते हैं, यह जारी की जा सकती है । हमने एक विशेष अधिकारी नियुक्त किया है जो अब इन चीजों की देख रेख करता है और इस योजना को अधिक इकाइयों पर लागू करने का प्रयत्न करता है ।

†**श्री नाथ पाई :** क्या श्रमिकों के भाग लेने के इस प्रयोग का कोई मूल्यांकन किया गया है और यदि हां, तो क्या निष्कर्ष निकाले गये हैं ? क्या माननीय मंत्री का ध्यान मद्रास के श्रम मंत्री के

---

†मूल अंग्रेजी में

इस आशय के वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि श्रमिकों की अकुशलता के कारण यह प्रयोग सर्वथा असफल रहा है ?

†**श्री हाथी** : मैं प्रश्न के पहले भाग का उत्तर पहले दे चुका हूं। दूसरे भाग के सम्बन्ध में, मैं इसे सही नहीं समझता।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : सभा पटल पर रखे गये विवरण में दर्शाया गया है जैसा कि माननीय मित्र श्री दी० चं० शर्मा ने अभी कहा है कि ३० उपक्रमों में यह योजना लागू है ? १२ सरकारी क्षेत्र में और १८ गैर सरकारी क्षेत्र में। क्या प्रबन्ध में कामगरों का भाग केवल सलाहकार के रूप में है या केवल सलाह की अपेक्षा पूरा भाग है ?

†**श्री हाथी** : कुछ पहलुओं में यह सलाहकारी है। यह इन अर्थों में पूर्ण नहीं है कि वे उत्पादन, प्रबन्ध आदि में पूरा भाग लेते हैं।

†**श्री वारियर** : प्रबन्धकों में, नामांकन या निर्वाचन के द्वारा श्रमिकों के कितने प्रतिनिधि लिये जाते हैं ?

†**श्री हाथी** : श्रमिकों के प्रतिनिधि इकाई में काम करने वाले विभिन्न संघों की शक्ति के आधार पर लिये जाते हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या ये नामांकन द्वारा लिये जाते हैं या निर्वाचन द्वारा ?

†**श्री हाथी** : मैं समझता हूं नामांकन द्वारा।

†**श्री मुरारका** : प्रबन्ध में कामगरों का भाग किस स्तर पर रखा जाता है, क्या यह केवल संचालक मंडल तक होता है या अन्तरंग स्तर तक भी ?

†**श्री हाथी** : यह संचालक मंडल तक होता है।

†**श्री काशीनाथ पांडे** : क्या ये प्रबन्ध परिषदें औद्योगिक विवादों का फैसला करने में सक्षम हैं और विशेषकर वित्तीय प्रकार के औद्योगिक विवादों का ?

†**श्री हाथी** : वे यह कर सकते हैं।

†**श्री दाजी** : क्या यह सही है कि इन सब मामलों में समूची यथार्थ शक्तियां संचालकों के संयुक्त मंडल से बाहर रखी जाती हैं और केवल अनुशासन और सुरक्षा के मामले उनको दिये जाते हैं ?

†**श्री हाथी** : हम नहीं कह सकते कि सब शक्तियां अलग रखी जाती हैं।

†**श्री दाजी** : क्या ऐसा एक भी मामला है, जहां सुरक्षा और अनुशासन के अतिरिक्त कोई शक्ति दी गई है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : वह इसका उत्तर दे चुके हैं।

†**श्री प्रिय गुप्त** : क्या श्रमिकों के प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण देने की कोई सुविधा प्रदान की गई है ताकि वे प्रबन्ध में भाग ले सकें ? यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हाथी :** श्रमिकों के प्रशिक्षण और शिक्षा की हमारी विविध योजनाएं हैं ।

†**श्री प्रिय गुप्त :** क्या यह कार्यान्वित की गई है ? . . . .

†**अध्यक्ष महोदय :** शान्ति, शान्ति ।

†**श्री नाथ पाई :** प्रश्न कामगरों के भाग लेने के प्रशिक्षण के सम्बन्ध में है और क्या इस की कोई योजना है ? वह साक्षरता की योजना का वर्णन कर रहे हैं । वह 'शिक्षा' शब्द का सहारा लेकर बच रहे हैं । हम विरोध करते हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न मेरी आज्ञा लेकर पूछा जाना चाहिये ।

†**श्री नाथ पाई :** 'शिक्षा' शब्द का क्या यही अर्थ है ? क्या यह साक्षरता आन्दोलन है जो कुछ दानी उद्योगिपति चलाते हैं या क्या यह प्रबन्ध में श्रमिकों के भाग लेने का प्रशिक्षण है ताकि वे उन कर्तव्यों को कर सकें जो उन से अपेक्षित है ?

†**श्री हाथी :** कर्मगारों का शिक्षा कार्यक्रम केवल मात्र वयस्क शिक्षा कार्यक्रम नहीं है जो माननीय सदस्य सोचते हैं । किन्तु कार्मिक संघों के दर्शन सम्बन्धी प्रशिक्षण भी दिया जाता है कि वे उद्योगों के विस्तार में क्या कार्य कर सकते हैं, उन का कर्तव्य क्या है आदि । ये सब चीजें सिखाई जा रही हैं ।

†**श्री सिंहासन सिंह :** संचालक मंडल में कितने प्रतिशत श्रमिक लिये जाते हैं और क्या वे केवल संचालक मंडल में ही लिये जाते हैं या विभिन्न स्तरों पर प्रबन्ध में भी लिये जाते हैं ?

†**श्री हाथी :** वे संचालक के तौर पर नहीं लिये जाते ।

कृषि पदार्थों के लिये राज्य व्यापार निगम

+

†*१३१९. **श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री इ० मधुसूदन राव :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशेषकर तिलहन, काजू, आदि कृषि पदार्थों के निर्यात के लिए एक अन्य राज्य व्यापार निगम बनाने का कोई विचार है ; और

(ख) क्या उक्त राज्य व्यापार निगम पटसन का निर्यात भी करेगा ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) मामला विचाराधीन है ।

(ख) जी, नहीं ।

†**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :** क्या निगम के लिये फिलहाल कृषि उत्पादन का निर्यात करना संभव नहीं है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मनुभाई शाह :** बात यह है कि खनिज, लौह अयसक और मैंगनीज अयसक के निर्यात का काम इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि अकेले व्यापार निगम के लिये इतनी वसतुयों के निर्यात का काम संभालना संभव नहीं है। इसलिये जो एक और निगम बनाने का प्रसताव है उसे खनिज और धातुयों के निर्यात का काम सौंपा जायेगा और शेष काम, जिसमें कृषिजन्य वस्तुएं शामिल हैं, राज्य व्यापार निगम करेगा ।

†**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :** राज्य व्यापार निगम को पटसन का निर्यात क्यों नहीं सौंपा जाता ? विशाल स्टाक का जो अभिकरण स्थापित किया गया है उससे किसानों को उचित मूल्य मिलने की दिशा में कोई सहायता नहीं मिली है। राज्य व्यापार निगम पटसन का निर्यात क्यों नहीं करता जसा कि वह कुछ वर्ष पूर्व किया करता था ?

†**श्री मनुभाई शाह :** विशाल स्टाक अभिकरण के बारे में पूछा गया प्रश्न वास्तव में इस प्रश्न से सम्बन्धित तो नहीं है किन्तु हम जानते हैं कि जो कार्य वह फिलहाल कर रहा है वह शत प्रतिशत सन्तोषजनक नहीं है । हम अधिक पटसन खरीदने की कोशिश कर रहे हैं । इस समय बाज़ार में पटसन का मूल्य लगभग ३० रुपये है जो सरकार द्वारा नियत मूल्य के आस पास ही है । हम इस बात का भी अध्ययन कर रहे हैं कि क्या इस अभिकरण के कार्य का, जो राज्य व्यापार निगम ही कर सकता है, विस्तार आवाश्यक है ।

†**श्री सुबोध हंसदा :** चूंकि सरकार कृषिजन्य वस्तुओं के लिये एक अन्य व्यापार निगम स्थापित करने का इरादा रखती है तो क्या गैर-सरकारी निर्यातकों को निर्यात करने दिया जायेगा ?

†**श्री मनुभाई शाह :** राज्य व्यापार निगम और गैर-सरकारी निर्यातयों द्वारा निर्यात के लिये बहुत सी वसतुएं हैं ।

†**श्री वेंकटासुब्बया :** क्या यह सच है कि राज्य व्यापार निगम ने सहकारी समितियों के जरिये मूंगफली प्राप्त करके मूंगफली के तेल का निर्यात करता है ? चूंकि यह योजना सफल रही है क्या माननीय मंत्री यह सुविधा अन्य कृषिजन्य वस्तुओं को तुरन्त उपलब्ध करने के बारे में विचार करेंगे ?

†**श्री मनुभाई शाह :** विभिन्न वस्तुओं के निर्यात का काम आरम्भ किया जा रहा है । यह सच है कि तेल के बारे में यह प्रयोग सफल रहा है। हम निर्यात व्यापार के क्षेत्र में राज्य व्यापार निगम का कार्य बराबर बढ़ा रहे हैं ।

†**श्री मुरारका :** क्या प्रसतावित निगम अपना कार्य निर्यात सवंर्धन तक ही सीमित रखेगा अथवा वह आन्तरिक बजार में भी काम करेगा ?

†**श्री मनुभाई शाह :** मोटे तौर पर कहा जा सकता है कि राज्य व्यापार निगम की स्थापना मुख्यत: निर्यात के कार्य के लिये ही की जाती है किन्तु माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि आयात के कुछ पहलू आन्तरिक बाजार को प्रभावित करते हैं और उस हद तक उसे आन्तरिक बाज़ार में काम करना पड़े ।

†**श्री मे० क० कुमारन :** क्या भारत सरकार को काजू उद्योग के लिये एक निगम की स्थापना के बारे में केरल सरकार से कोई प्रसताव प्राप्त हुआ है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मनुभाई शाह :** आज सुबह केरल के एक मंत्री के साथ हमारी बातचीत हुई और हमने उन्हें सलाह दी कि काजू उद्योग के लिये फिलहाल निगम स्थापित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम उन्हें राज्य व्यापार निगम के माध्यम से यथासंभव सहायता प्रदान करेंगे।

†**अध्यक्ष महोदय :** श्रीमती रेणु चक्रवर्ती।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** अखबारों में समाचार प्रकाशित हुए हैं कि कुछ पटसन का निर्यात करने दिया जायेगा। क्या यह पटसन भारतीय पटसन निर्माता संघ के विशाल स्टाक से भेजा जायेगा अथवा जूट सेलर्ज एसोसियेशन के ज़रिये सीधा भेजा जायेगा या किसी अन्य गर-सरकारी अभिकरण के ज़रिये ?

†**श्री मनुभाई शाह :** यह गैर-सरकारी व्यापार द्वारा किया जाता है। लगभग १ लाख गठाने पूर्व यूरोप के देशों को निर्यात की जायेंगी और इतनी ही गठाने अन्य देशों को निर्यात की जायेंगी।

†**श्री हेम बरुआ :** मैं माननीय मंत्री का ध्यान केन्द्रीय पटसन समिति के बुलेटिन की ओर दिलाता हूं जिसमें कहा गया है पटसन बड़े पमाने पर पाकिस्तान को चोरी-छिपे भेजा जाता है जहां उसका खुला बाज़ार है। यदि यह सच है और यदि सरकार राज्य व्यापार निगम के ज़रिये निर्यात नहीं करने देती तो इस तस्कर व्यापार को रोकने के लिये वह क्या कदम उठाने का इरादा रखती है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** पाकिस्तान को पटसन चोरी-छिपे भेजा जाता है। मैंने तो यह आज ही सुना है।

†**श्री हेम बरूआ :** मैंने तो बुलेटिन की जानकारी का उल्लेख किया।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य अधिकतर विश्वशनीय सूत्रों का हवाला देते हैं। श्री महेश्वरनायक।

†**श्री महेश्वर नायक :** क्या यह सच है कि पटसन के सम्बन्ध में हाल में सहकारी विषणन का समर्थन किया गया है ? यदि हां, तो क्या सहकारी व्यापार और राज्य व्यापार निगम के हितों का संघर्ष न होगा ?

†**श्री मनुभाई शाह :** हितों का कोई संघर्ष नहीं है। हमारे लिये किसानों का हित सर्वोपरि है। हम उन्हें उचित मूल्य दिलाना चाहते हैं। जैसा कि सदस्य जानते हैं हम मूल्य को ३० रुपये के आसपास स्थिर रखना चाहते हैं। विशाल स्टाक अभिकरण तथा और भी अन्य अभिकरणों ने इस प्रकार कार्य किया है वह मूल्य देश भर में पिछले महीने स्थिर रहा है।

कोचीन समुद्र तट के समीप रेडियो सक्रिय प्रयोग

†*१३२४. **श्री प० कुन्हन :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन समुद्र तट के समीप रेडियो सक्रिय प्रयोग किये जा रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या उप-संरक्षक (डिप्टी कंज़रवेटर) ने इन प्रयोगों के दौरान कोचीन समुद्र तट के समीप मछवों को मछलियां पकड़ने से रोकने के लिये आदेश जारी किये हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वैदेशिक-कार्यमंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह)** : (क) और (ख). जी, हां। हटाई गई मिट्टी को रखने के लिये उपयुक्त स्थान का चयन करने के लिये मई, १९६२ में कोचीन पत्तन के निकट रेडियो-ट्रेसर तरीका काम में लाते हुए एक प्रयोग किया गया था।

कोचीन पत्तन के नौवहन रास्ते के दक्षिण में समुद्र तल पर कनाड़ा-इंडिया रिएक्टर, ट्राम्बे में तैयार किया गया विशेष घिसा हुआ स्केन्डियम शीशा डाला गया था। यह चूर्ण एक दूर-संचालित इंजेक्शन उपकरण के ज़रिये समुद्रतल पर फलाया गया था। कोचीन पत्तन की मिट्टी के विकिरण का विशेष इलेक्टानिक यंत्रों से अध्ययन कर मिट्टी का बहाव देखा गया। प्रयोग के प्रारंभिक परिणामों से पता चलता है कि हटाई गई मिट्टी जहां डाली जाती है वह स्थान उपयुक्त नहीं है। उपयुक्त स्थान का पता लगाने के लिये और प्रयोग किये जाने वाले हैं।

यह पूरा प्रयोग आणविक शक्ति प्रस्थापना, ट्राम्बे के वैज्ञानिकों ने पूना स्थित केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसन्धान केन्द्र और कोचीन पत्तन के अधिकारियों के सहयोग से किया।

(ग) जी, हां। उप-संरक्षक ने एक सूचना जारी कर मछली पकड़ने वाली तथा अन्य नावों के उस क्षेत्र में ७ जून, १९६२ तक आने-जाने पर प्रतिबन्ध लगा दिया था।

†**श्री प० कुन्हन** : यह प्रयोग कब तक चलेगा ? इस क्षेत्र के जिन को मछली पकड़ने से रोक दिया गया है क्या उन्हें सहायता देने के लिये सरकार के पास कोई योजना है ?

†**श्री दिनेश सिंह** : यह विशिष्ट प्रयोग समाप्त हो चुका है। जहाज़ों को चेतावनी इसलिये दी गई थी कि उनके आने-जाने से प्रयोग में कोई विघ्न न उत्पन्न हो जाये।

†**श्री प० कुन्हन** : क्या उन मछुओं को, जिहें मछली पकड़ने से रोका गया है, सहायता देने के लिये सरकार ने कोई योजना बनाई है ?

†**श्री दिनेश सिंह** : किस प्रकार की सहायता ?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य संभवत: यह जानना चाहते हैं कि क्या मछुओं को कोई आर्थिक सहायता दी जायेगी ?

†**श्री दिनेश सिंह** : प्रतिबन्धित क्षेत्र छोटा ही है और मछुए समुद्र में कुछ दूर जाकर मछली पकड़ सकते हैं।

†**श्री उमानाथ** : क्या यह प्रयोग करने से पहले इस बात का पता लगा लिया गया था कि उसके समीपस्थ क्षेत्र के लोगों और मछलियों पर क्या परिणाम होंगे ? यदि परिणाम प्रतिकूल थे तो सरकार ने प्रयोग आरंभ करने से पहले सुरक्षा की दृष्टि से कौन से कदम उठाये ?

†**श्री दिनेश सिंह** : इस बात की जांच अणु शक्ति प्रस्थापना के स्वास्थ्य भौतिकशास्त्र विभाग ने की थी और उसकी राय में यह प्रयोग निरापद था।

†**श्री वारियर** : उस क्षेत्र की मछलियां कब तक रेडियो-सक्रियता से प्रभावित रहेंगी !

†**श्री दिनेश सिंह** : उन पर कोई भयंकर प्रभाव नहीं पड़ेगा।

†**डा० क० ल० राव** : क्या यह सच है कि बम्बई और मंगलौर में इसी प्रकार के प्रयोग किये गये थे और उनका कोई खतरनाक परिणाम नहीं हुआ ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री दिनेश सिंह** : जी, हां बम्बई के निकट ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : भारत जसा कि वह स्थित है, क्या कोई मूल्यांकन किया गया है अथवा अनुमान लगाया गया है कि निकट भविष्य में पारंपरिक साधनों से शक्ति और ईंधन प्राप्त करना अणु से शक्ति प्राप्त करने के बजाय अधिक सस्ता रहेगा ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह तो बहुत व्यापक प्रश्न है ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : श्रीमान्, मंत्री महोदय उक्त उत्तर दे सकतें हैं । हम अणु से शक्ति प्राप्त करने का सोच रहे हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मूल प्रश्न कोचीन के निकट किये गये प्रयोग के बारे में था यानी कि वह सन्तोषजनक था या नहीं इत्यादि ।

लोंगजू में भारत द्वारा अतिक्रमण का आरोप लगाने वाला चीनी विरोध पत्र

+

†*१३२५. { **श्री हेम बरूआ** :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीन ने भारत सरकार को हाल ही में एक विरोध पत्र भेजा है जिसमें आरोप लगाया गया है कि भारत ने नेफा में लोंगजू में चीनी राज्य-क्षेत्र का अतिक्रमण किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस आरोप की तथ्यों से कहां तक पुष्टि होती है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह)** : (क) जी, हां ।

(ख) चीन द्वारा लगाया गया आरोप बिल्कुल निराधार है । चीन का १९ मई का पत्र तथा हमारे द्वारा २८ मई, १९६२ को भेजा गया उत्तर सभा पटल पर रखा जाता है ।

[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ९२]

†**श्री हेम बरुआ** : चीन ने जो आरोप लगाया है क्या वह मैकमोहन रेखा को हटाने के लिये उसकी एक पूर्वनियोजित चाल है ? उसने नवम्बर, १९६१ में इस प्रकार का प्रयत्न किया था और अब भी करता जा रहा है । यदि हां, तो क्या हमारी सरकार ने इस स्थिति की जांच की है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : यह चीन की पूर्व-नियोजित चाल है या नहीं इसके बारे में अलग-अलग राय हो सकती है ।

†**श्री हेम बरुआ** : मैंने यह कहा है कि इस चाल का सम्बन्ध चीन द्वारा नवम्बर, १९६१ में मैकमोहन रेखा हटाने की जो धमकी दी गई थी उससे है । मैं जानना चाहता हूं. . . . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य कोई और प्रश्न पूछें ।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या यह सच है कि चीन ने मैकमोहन रेखा पर कुछ नहीं तो १५ प्रेषण केन्द्र स्थापित कर दिये हैं और वह भारत के विरूद्ध निरन्तर द्वेषपूर्ण प्रचार करता रहा है जो

---

†मूल अंग्रेजी में

आसाम में डिगबोई और नहरकटिया जसे दूरस्थ स्थानों में भी सुना जा सकता है? यदि हां, तो सरकार ने उसका प्रतिकार करने के लिये क्या कदम उठाये हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : इस प्रश्न का भी उत्तर नहीं दिया जा सकता क्योंकि वह बहुत व्यापक है ।

†**श्री हेम बरुआ** : श्रीमान्, उसका सम्बन्ध नेफा से है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : बहुत सी बातें एक दूसरे से सम्बद्ध होती हैं किन्तु यह सम्बन्ध बहुत दूर का होता है ।

†**श्री हेम बरुआ** : श्रीमान्, अब यह मामला बहुत गंभीर हो गया है और चीन भारत-विरोधी प्रचार कर रहा है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : इस सम्बन्ध में चर्चा उठायी जा सकती है । प्रश्न तो जानकारी प्राप्त करने के लिये पूछे जाते हैं । माननीय सदस्य चाहें तो प्रश्न पूछ सकते हैं ।

†**श्री हेम बरुआ** : जब श्री चाउ एन लाई हमारे प्रधान मत्री से पिछली बार मिले थे तो उन्होंने यह आशय व्यक्त किया था कि भारत-चीन सीमा के पूर्वी क्षेत्र में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जायेगा और यदि हां, तो क्या चीन का वर्तमान कार्य यह सिद्ध नहीं करता कि उसकी प्रवृत्ति वचन भंग करने की है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : अब प्रवृत्ति का निर्वचन करना पड़ेगा ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : माननीय सदस्य पूर्व की पूरी सीमा क बारे में प्रश्न पूछ रहे हैं ।

†**श्री हेम बरुआ** : मैं उसी क्षेत्र से आता हूं ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकता । क्या क्या घटनायें हुईं और दो वर्ष या छ : वर्ष पूर्व जब श्री चाउ एन लाई या और कोई आये तब हमारी क्या धारणा हुई इन प्रश्नों के उत्तर वाद-विवादों के दौरान दिये जा चुके हैं ।

†**श्री प्र० के० देव** : हम जानते हैं कि १९५९ के बाद हमारी सेनायें लोंगज्यू से हट गई हैं किन्तु चीन के पत्र से हम देखते हैं कि हमारी सरकार के विरुद्ध असत्य आरोप लगाये जा रहे हैं । क्या ये आरोप पश्चिम क्षेत्र में हमारी प्रतिरक्षात्मक कार्यवाही से विशेषकर जो लद्दाख में की गई, सम्बन्ध रखते हैं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : जहां तक लोंगज्यू का सम्बन्ध है, वह सीमा से लगा हुआ है और हमारी राय में मैकमहोन रेखा के इस पार है । चीन ने मैकमहोन रेखा को न मानने के अलावा यह कहा है कि लोंगज्यू मैकमहोन रेखा के पार उनके क्षेत्र में है । यह तथ्यों के बारे में मतभेद है । पश्चिमी क्षेत्र में जो कुछ हो रहा है उसके फलस्वरूप उनका यह प्रचार है या नहीं यह तो मैं नहीं जानता । किन्तु चीन के आरोप प्रचार के अन्तर्गत ही आते हैं ।

†**श्री श० ना० चतुर्वेदी** : क्या चीन ने लोंगज्यू के दक्षिण में कोया में या किसी अन्य स्थान में अपना अड्डा जमाया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** ये चौकियां सीमा के पास ही स्थित है । इससे अधिक जानकारी देने में मैं असमर्थ हूं ।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** भारत सरकार ने चीन सरकार को भेजे गये अपने पत्र में कहा है कि यदि चीन सरकार को इस क्षेत्र में सीमा की सही स्थिति के बारें में कोई सन्देह हो तो भारत सरकार उसके साथ चर्चा करके उसके सन्देह को दूर कर सकती है।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** लोंगजू में ?

†**श्री दी० चं० शर्मा :** जी, हां । चीन को भेजे गये हमारे पत्र के अन्त में इस प्रकार की बात लिखी गई है । क्या चीन ने अपने सन्देह को दूर करने की कोई इच्छा व्यक्त की है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** जहां तक मेरी जानकारी है, अब तक तो उसने ऐसी कोई इच्छा व्यक्त नहीं की है ।

†**श्री हरिविष्णु कामत :** क्या भारत सरकार की नीति विरोध-पत्र भेजते जाने की है जबकि चीन बराबर अतिक्रमण करता जा रहा है ? क्या सरकार ने चीन को विरोध-पत्र भेजने के अतिरिक्त अब तक कोई चेतावनी दी है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** मेरा ख्याल है कि इस प्रश्न का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है यह एक व्यापक प्रश्न है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि कोई चेतावनी दी गयी या नहीं ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** किस बात की चेतावनी ?

†**श्री हरिविष्णु कामत :** चीन भारत में जो अतिक्रमण कर रहा है उसके विरुद्ध ।

†**श्री हेम बरुआ :** चीन ने हमें तो धमकी दे दी है ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** माननीय सदस्य इस विषय पर कई वक्तव्य सुन चुके हैं । (अन्तर्बाधा)

†**श्री हरिविष्णु कामत :** चेतावनी और विरोध-पत्र में अन्तर है । चीन को अब तक चेतावनी नहीं दी गई है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** शान्ति, शान्ति । माननीय सदस्य चाहें तो प्रश्न पूछ लें ।

†**श्री हरिविष्णु कामत :** क्या भारत सरकार ने चीन को उसके अतिक्रमण या उसकी तोड़-फोड़ की कार्यवाही के खिलाफ उसे आज तक कोई चेतावनी दी है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** मुझे उम्मीदद है कि माननीय सदस्य जिसे विरोध-पत्र कहते हैं उन्हें उन्होंने अवश्य पढ़ा होगा । मेरी समझ में नहीं आता कि उनकी राय में चेतावनी क्या है सिवाय इसके कि हम चीन के साथ लड़ाई कर लें ।

†**श्री हरिविष्णु कामत :** बिलकुल नहीं । प्रधान मंत्री ने मेरे प्रश्न का गलत अर्थ लगाया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हेम बरुआ** उठे —

†**अध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति। माननीय सदस्य एक ही समय खड़े न रहें। चेतावनी अगर दी नहीं गई तो प्रश्न का उत्तर क्या दिया जाये ?

†**श्री हरिविष्णु कामत** : कुछ दिन पूर्व मैं ने सभा में एक उदाहरण का उल्लेख किया था। प्रेसीडेन्ट नासिर ने दो वर्ष पूर्व कैरो स्थित चीनी दूतावास को तोड़-फोड़ के कार्रवाई में खिलाफ चेतावनी दी थी जिस से नाराज़ होकर दूतावास बन्द कर दिया गया था। मेरा तात्पर्य इस प्रकार के कदम से है।

†**अध्यक्ष महोदय** : तो इसका अर्थ यह है कि चेतावनी वह है जिस के बाद कुछ हो।

†**श्री हरिविष्णु कामत** : चेतावनी किसी कार्य को रोकने के लिये दी जाती है। **(अन्तर्बाधा)**

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : माननीय सदस्य का प्रश्न सुझाव प्रतीत होता है कि हम राजनयिक सम्बन्ध विच्छिन्न कर लें।

†**श्री हरिविष्णु कामत** : जी, नहीं। मेरा यह आशय नहीं है।

कुछ माननीय सदस्य उठे —

†**अध्यक्ष महोदय** : शान्ति ,शान्ति। जब चेतावनी देने के बाद भी कोई नतीजा न निकले तो कोई अन्य कदम, जैसे राजनयिक सम्बन्ध विच्छेद करना, उठाया जाये। मेरा ख्याल है उनका यही अभिप्राय है।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : यही तो मैं ने कहा है।

†**अध्यक्ष महोदय** : हम ने कोई चेतावनी तो नहीं दी है।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : जी, नहीं। जब तक हम राजनतिक सम्बन्ध विच्छेद का कोई और कदम उठाने के बारे में निर्णय न कर लें तब तक हमारा चेतावनी देने का इरादा नहीं है।

†**श्री हेम बरुआ** : इस बात को देखते हुए कि चीन ने हाल में भारत के खिलाफ कई आरोप लगाये हैं और साथ ही उस ने सैन्य आधिपत्य के आधार पर अपना दावा भी मजबूत कर लिया है, क्या भारत सरकार उसे अतिक्रमण की दिशा में एक और कदम समझती है या उसे हमारे खिलाफ एक लड़ाई समझती है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह तो बहुत व्यापक प्रश्न है। क्या मंत्री महोदय इसका उत्तर देंगे ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : यह तो अपनी-अपनी राय है। मेरा ख्याल है कि लड़ाई की कोई संभावना नहीं है।

---

†मूल अंग्रजी में

सूडान से व्यापार प्रतिनिधि मंडल

†*१३२६. **श्री महेश्वर नायक** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूडान का रुई और व्यापार प्रतिनिधि मंडल भारत से कपड़े और अन्य वस्तुओं के बदले में सूडानी रूई भेजने के सम्बन्ध में आजकल भारत में भारतीय कपड़ा उद्योग से बातचीत कर रहा है; और

(ख) इस वस्तु विनिमय करार के बाद देश की रुई संभरण स्थिति पिछली फसल खराब हो जाने के बाद कितनी सुधर जायेगी ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) १४ मई, १९६२ को सूडान से एक व्यापार प्रतिनिधिमंडल भारत आया और उसने वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय तथा बम्बई में व्यापारियों से बातचीत की। सूडानी रुई का प्रस्तावित संभरण नकद है और वस्तु-विनिमय के आधार पर नहीं। हम विश्व भर से रुई की खरीद के लिये दी गयी विदेशी मुद्रा को सामान्य छः माही राशि के अतिरिक्त और विदेशी मुद्रा खर्च नहीं कर सकते।

(ख) हम अधिकाधिक मात्रा में रुई प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं और हमें पूर्ण आशा है कि हम देश के कपड़ा उद्योग की आवश्यकता पूरी कर देंगे।

†**श्री महेश्वर नायक** : क्या यह सच नहीं है कि सूडान ने कहा है कि पिछले वर्ष फसल बहुत अधिक हुई थी और वह फसल भारत को अधिक लाभप्रद शर्तों पर दी जायेगी ?

†**श्री मनुभाई शाह** : यह सच है कि वहां फसल बहुत अधिक हुई थी परन्तु वे नकद धन चाहते हैं। हम केवल वस्तु-विनिमय के आधार पर चाहते थे। अतः बातचीत सफल नहीं हुई।

श्री बड़े : क्या मंत्री महोदय बतला सकते हैं कि सूडान से लोग स्टेपल काटन आयेगी या शार्ट स्टेपल काटन आयेगी, और कितनी बेल्स मिलेंगी ? हमारे यहां १० लाख बेल्स की शार्टेज है, उसमें से कितनी बेल्स काटन मिलेगी ?

श्री मनुभाई शाह : इसमें जो सवाल उठता है वह सूडान का है। उसमें हम ने बतलाया कि उन से जो हमारे नेगोशिएशन्स हुए हैं उस में जो जो स्टेपल हमें चाहिये थे, वह वे कैश पर बेचने के लिये तैयार थे। हम ने कहा कि आप काटन के बदले में कापर ले लीजिये या कोई और चीज ले लीजिये। हम कैश नहीं दे सकते। इसलिये वह मामला स्थगित हो गया है। हम आशा करते हैं कि शायद सूडान अपने ऐटिट्यूड को बदले और तब और बात चीत हो सकती है।

मसालों के निर्यात पर श्रेणी नियंत्रण

†*१३२७. **श्री प्र० के० देव** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मसालों का निर्यात श्रेणी नियन्त्रण योजना के अधीन ले आया गया है ;

(ख) यदि हां, तो किन मसालों के लिए ;

(ग) यह योजना कब प्रभावी होगी ; और

(घ) इनका निर्यात बढ़ाने के लिये और क्या कदम उठाये गये हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). मसालों पर अभी किस्म नियन्त्रण लागू नहीं किया गया है परन्तु निर्यात के लिये काली मिर्च, इलायची और लाल मिर्च पर किस्म नियन्त्रण की एक योजना बनाई गयी है।

(ग) यह योजना अक्तूबर, १९६२ से लागू होगी ;

(घ) निर्यात बढ़ाने के लिये निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं ;

(१) मसाला निर्यात संवर्द्धन परिषद् की स्थापना ;

(२) मसालों की अधिक खपत के लिये आयात करने वाले देशों में मसाला व्यापार सन्घा के सहयोग से प्रचार करना ;

(३) विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनियों और मेलों में भाग लेना;

(४) अन्य देशों के साथ किये गये व्यापार करारों में मसालों को शामिल करना ;

(५) मंडियां ढूंढने के लिये विदेशों को प्रतिनिधि मण्डल भेजाना ; और

(६) मण्डी सर्वेक्षण आदि करना।

†**श्री प्र० के० देव** : आयात करने वाले देश कौन से हैं और प्रतिवर्ष कितनी विदेशी मुद्रा की आय होती है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : विभिन्न मसालों से लगभग १६ करोड़ रुपये अधिकांश देश पश्चिम योरोपीय देश हैं। कुछ दक्षिण-पूर्व एशियाई देश हैं और कुछ पूर्वी योरोपीय देश।

†**श्री प्र० के० देव** : क्या इस व्यापार को राज्य व्यापार निगम द्वारा करने का कोई प्रस्ताव है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : हर मामले में राज्य व्यापार निगम के लाने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है। परन्तु यदि किसी समय किसी वस्तु के लिये सहायता की आवश्यकता पड़ी तो हमारी योजना सदैव उसका सौदा राज्य व्यापार निगम के जरिये कराने की है।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : पिछले वर्ष कितने मसालों का निर्यात किया गया और कौन से देश भारत की अपेक्षा अधिक मसाला खाते हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह** : वे आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। यदि माननीय सदस्य किसी विशेष देश के बारे में पूछे तो मैं उनको आंकड़े बता दूंगा।

†**श्री स० चं० सामन्त** : क्या हाल ही मे बनायी गयी मसाला और काजू समिति ने किस्म-नियन्त्रण के लिये कोई कदम उठाया है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : जी, हां। उत्तर में भी मैंने यह बताया था। उन्होंने स्वयं एक अनिवार्य किस्म नियन्त्रण योजना बनाई है जो अक्तूबर, १९६२ से लागू होगी। उनका यह सुझाव हमने मान लिया है।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या कोई माननीय सदस्य किसी प्रश्न का उत्तर दिया जाना चाहते हैं ?

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : प्रश्न संख्या १३२२ का उत्तर दिया जाये।

†**श्री प्र० के० देव** : प्रश्न संख्या १३१६ का उत्तर दिया जाये।

†**श्री रिशांग किशिंग** : प्रश्न संख्या १३१५ का उत्तर दिया जाये।

---

†मूल अंग्रेजी मे

इन्डोनेशिया को शस्त्रों की बिक्री

†*१३१६. श्री प्र० के० देव :
श्री यो० ना० सिंह :
श्री भागवत झा आजाद :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डच सरकार ने भारत सरकार से प्रार्थना की है कि जब तक पश्चिम इरियन विवाद अनिर्णीत है तब तक इण्डोनेशिया को शस्त्र न बेचे जायें; और

(ख) यदि हां, तो उसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

केन्द्रीय सरकार के अराजपत्रित कर्मचारियों को ऋण

†*१३१५. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में केन्द्रीय सरकार के कम आय वाले अराजपत्रित कर्मचारियों को ऋण के तौर पर देने के लिये नियत राशि अपर्याप्त होने के फलस्वरूप मकानों के निर्माण में बाधा उत्पन्न हो रही है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का इरादा रखती है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव)** : (क) इमारत बनाने के सामान आदि के मूल्य में वृद्धि के कारण केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को नियमों के अधीन ग्राह्य २४ महीनों के वेतन के बराबर राशि के ऋण की सहायता से मकान बनाना कठिन होता है।

(ख) २६ मई, १९६२ से ऋण की राशि को कर्मचारी के २४ महीनों के वेतन से बढ़ा कर ३६ महीनों के वेतन के बराबर करने का फैसला किया गया है, अधिकतम राशि ३५,००० रुपये होगी। कम वेतन पाने वाले कर्मचारी, जिनका ३६ महीनों का वेतन ४८०० रुपये नहीं बनता है, ४८०० रुपये ऋण ले सकते हैं।

†**श्री रिशांग किशिंग** : ऋण लेने वाले को दिये जाने वाली राशि किस प्रकार निर्धारित की जाती है ?

†**श्री जगन्नाथ राव** : ऋण लेने वाले को आवेदन करना पड़ता है और ऋण मकान के निर्माण की प्रगति के अनुसार किश्तों में दिया जाता है।

†**श्री का० रा० गुप्त** : सरकार कर्मचारियों को ऋण देने की बजाय उनके लिये स्वयं मकान क्यों नहीं बनाती ?

†**श्री जगन्नाथ राव** : यह बिल्कुल भिन्न विषय है जिसका इस प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री श्यामलाल सर्राफ** : क्या गैर-राजपत्रित पदाधिकारियों को अपने राज्यों में मकान बनाने की इजाजत दी जाती है अथवा दिल्ली में ?

†**श्री जगन्नाथ राव** : जी, हां ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, क्या सरकार को इन कर्मचारियों की ओर से कोई इस तरह का ज्ञापन मिला है कि इस समय जिस परिमाण में कर्जा दिया जाता है उसके क्वांटम को बढ़ाया जाए ? और क्या सरकार ने इस बारे में कोई निर्णय किया है ?

†**श्री जगन्नाथ राव** : इमारत बनाने के सामान के मूल्य में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए ऋण की राशि को बढ़ा कर ३६ महीनों के वेतन के बराबर कर दिया गया है और अधिकतम राशि ३५,००० रुपये होगी ।

†**श्री महेश्वर नायक** : क्या ये ऋण सुविधायें उन कर्मचारियों को भी दी जाती हैं अथवा दी जायेंगी जो अपना मकान खरीदना चाहते हैं ?

†**श्री जगन्नाथ राव** : ऋण मकान खरीदने के लिये भी दिया जा सकता है यदि (१) यह नया मकान है, (२) यह पूर्व-निर्मित नहीं है, (३) उसमें कोई रहता न हो और (४) मकान सरकार द्वारा अथवा किसी अर्द्ध सरकारी संस्था द्वारा अथवा इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट जैसे स्वायत्तशासी निगम द्वारा बनाया गया हो । इसमें यह भी शर्त है कि खरीदे जाने वाले इन मकानों में कोई भी एम० आई० जी० अथवा एल० आई० जी० आवास योजना के अन्तर्गत न बनाया गया हो ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या मैं जान सकता हूं कि कुल मिला कर अब तक इन कर्मचारियों को कितना ऋण दिया जा चुका है, और ऋण वापस लेने की शर्त क्या वही है जो अन्य लोगों के साथ रखी गयी है ?

†**श्री जगन्नाथ राव** : मई, १९६२ के अन्त तक अर्थात्, ३१ मई १९६२ तक ऋण के रूप में १३१.७१ लाख रुपया दिया गया है ।

श्री रामेश्वरानन्द : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान इस ओर कई बार दिला चुका हूं, लेकिन फिर भी हिन्दी के प्रश्नों के उत्तर अंग्रेजी में दिए जा रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : स्वामी जी ने कई दफा कहा और मैंने भी कई दफा जवाब दिया है कि जो मिनिस्टर हिन्दी में जवाब नहीं दे सकते उनको ऐसा करने के लिये मजबूर नहीं किया जा सकता ।

श्री रामेश्वरानन्द : वह समझ तो लेते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : कई मिनिस्टर समझ तो सकते हैं लेकिन बोल नहीं सकते ।

श्री रामेश्वरानन्द : जो समझ सकता है वह बोल भी सकता है ।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** : उपमन्त्री महोदय द्वारा यह कहे जाने के बाद कीय व्यक्ति इस शर्त पर मकान नहीं बना सकते कि ऋण २४ महीनों में वापस किये जाने हैं और इसलिये सरकार ने इस अवधि को बड़ा कर ३६ महीने कर दिया है, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार इन ऋणों पर ब्याज समाप्त कर देगी ?

†**श्री जगन्नाथ राव** : माननीय सदस्य मेरी बात समझ नहीं पाये । यह ऋण की वापसी की अवधि बढ़ाने का प्रश्न नहीं है । यह केवल रकम की मात्रा बढ़ाना है । पहले एक कर्मचारी को २४

---

†मूल अंग्रेजी में

महीनों के वेतन के बराबर ऋण दिया जाता था परन्तु अब इसको बढ़ा कर ३६ महीनों के वेतन के बराबर कर दिया गया है।

†**अध्यक्ष महोदय** : श्रीमती रेणु चक्रवर्ती किसी प्रश्न का उत्तर नहीं चाहती थीं, वह प्रश्न कौनसा है ?

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : प्रश्न संख्या १३२२। यह श्री इन्द्रजीत गुप्त के नाम में है। वह यहां उपस्थित नहीं है परन्तु क्योंकि अभी समय है और यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, अतः इसका उत्तर दिया जाये।

†**श्री मुरारका** : प्रश्न संख्या १३२० का भी उत्तर दिया जाये।

†**श्री हेम बरुआ** : प्रश्न संख्या १३२३ भी।

†**श्री दी० च० शर्मा** : सभी प्रश्न दुबारा पुकारे जायें।

†**श्री नि० रं० लास्कर** : प्रश्न संख्या १३२३ का भी उत्तर दिया जाये।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं एक बार इतने प्रश्न नहीं पूछ सकता। पहले प्रश्न संख्या १३२२ का उत्तर दिया जाये।

राष्ट्रमंडल तथा ब्रिटिश वाणिज्य-मंडल का सम्मेलन

†*१३२२. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल में लन्दन में आयोजित राष्ट्रमण्डल तथा ब्रिटेन वाणिज्य मण्डल के सम्मेलन में भारत के प्रतिनिधि कौन थे ;

(ख) क्या इनमें भारतीय व्यापारियों को सम्मिलित नहीं किया गया था ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) सम्मेलन ने क्या निर्णय या सिफारिशें कीं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (ग). यह सम्मेलन गैर-सरकारी निकाय द्वारा संगठित किया गया है और इसलिये इस सम्मेलन में भारत सरकार के भाग लिये जाने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। जहां तक भारत सरकार को पता है, इस सम्मेलन में भाग लेने के लिये एसोसियेटिड चैम्बर्स आफ कामर्स का एक गैर-सरकारी प्रतिनिधि मण्डल लन्दन गया और इस प्रतिनिधि मण्डल में कुछ भारतीय व्यापारियों को भी शामिल किया गया था।

(घ) २१ वें सम्मेलन के किसी भी निर्णयों अथवा सिफारिशों के बारे में भारत सरकार को कोई अधिकृत जानकारी प्राप्त नहीं हुयी है।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : इस सम्मेलन का आयोजन किस गैर-सरकारी संस्था ने किया और क्या यह सच है कि केवल एसोसियेटिड चैम्बर्स आफ कामर्स को ही निमन्त्रित किया गया था और किसी अन्य भारतीय वाणिज्य-मण्डल को कोई निमन्त्रण नहीं मिला ?

†**श्री मनुभाई शाह** : प्रश्न यह नहीं है। जो लोग गये हैं, वे एसोसियेटिड चैम्बर्स, बंगाल चैम्बर,, मद्रास चैम्बर, अपर इण्डिया चैम्बर, कालीकट, तूतीकोरिन, कोयम्बटूर और विभिन्न अन्य स्थानों से

---

†मूल अंग्रेजी में

हैं। १६ व्यक्तियों के प्रतिनिधि मण्डल में लगभग ७ भारतीय हैं। समस्या यह है कि राष्ट्रमण्डल सम्मेलन का सीधा सम्बन्ध है और स्वतन्त्रता-पूर्व एसोसियेटिड चैम्बर्स आफ कामर्स का इससे सीधा सम्बन्ध था। भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग वाणिज्य-मण्डल फैडरेशन उनको भी सीधे सम्बद्ध करने के लिये इस प्रश्न पर राष्ट्रमण्डल सम्मेलन में बातचीत कर रहा है।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : किस गैर-सरकारी संस्था ने निमन्त्रण भेजे हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह** : यह राष्ट्रमण्डल और ब्रिटिश वाणिज्य-मण्डल फैडरेशन है। प्रत्येक राष्ट्र मण्डलीय देश में राष्ट्र मण्डल वाणिज्य मण्डल का लन्दन में सम्बद्ध निकाय है जिसका नाम राष्ट्र-मण्डल का ब्रिटिश वाणिज्य-मण्डल फैडरेशन है।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : विदेशी मुद्रा की कमी को देखते हुए और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि विदेश जाने वाले व्यक्ति को ७५ रुपये दिये जाते हैं, ये व्यक्ति खर्च किस प्रकार पूरा करते हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह** : हमें यथासम्भव न्यूनतम सभी अन्तर्राष्ट्रीय बातों में मानना पड़ता है।

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री मुरारका प्रश्न संख्या १३२० का उत्तर चाहते हैं।

निर्यात

†*१३२०. **श्री प्र० चं०बरुआ** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में उपभोग होने वाली वस्तुओं पर, जिनमें वे वस्तुएं शामिल नहीं हैं जिनका निर्यात होता है, १.५ प्रतिशत उपकर लगाने का प्रस्ताव निर्यात बढ़ाने की दृष्टि से विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का क्या निर्णय है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). जी, हां। प्रस्ताव विचाराधीन है।

†**श्री मुरारका** : क्योंकि समाचार पत्रों में विभिन्न समाचार प्रकाशित हुए हैं, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या १.५ प्रतिशत या २ प्रतिशत उपकर लगाने का प्रस्ताव है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : अभी यह निर्णय नहीं किया गया है। मल सिद्धान्त, जो हम बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं, यह है कि उत्पादन पर थोड़ा उपकर लगाया जाये ताकि इसका कुछ भाग अथवा बड़ा भाग निर्यात-संवर्द्धन के लिये इस्तेमाल किया जा सके। निर्यात के लिये विभिन्न प्रोत्साहन और अन्य सहायता दी जावेगी।

†**श्री मुरारका** : मैं यह जानना चाहता हूं कि उपकर सम्पूर्ण उत्पादन पर लगाया जायेगा अथवा कुछ छूट भी होगी ? यदि हां, तो छूट क्या है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : जैसे ही मामले में प्रगति होगी, समय समय पर, हम यह विचार करेंगे कि किन चीजों को लिया जाये और किनको छोड़ा जाये। जैसा भी हो, उपकर उस ही उत्पादन पर लगाया जायेगा जो इसको वहन कर सकते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री हेम बरुआ प्रश्न संख्या १३२३ का उत्तर चाहते हैं। अब इसका उत्तर दिया जाये।

तारापुर में आण्विक शक्ति संयंत्र

†*१३२३. { **श्री उस्मान अली खां** :
श्री नि० रं० लास्कर :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई के समीप तारापुर में एक आण्विक शक्ति सन्यन्त्र की स्थापना के लिये संयुक्त राज्य अमरीका के साथ एक संविदा किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो संविदा की शर्तें क्या हैं '?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह)** : (क) टेंडरकर्ताओं के चयन के बारे में अभी कोई निर्णय नहीं किया गया है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†**श्री हेम बरुआ** : इस आण्विक शक्ति सन्यन्त्र में कौन से देश अभिरुचित हैं—अमरीका और फ़्रांस ?

†**श्री दिनेश सिंह** : ब्रिटेन, फ्रांस, अमरीका और कनाडा।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या यह सच है कि यदि हम अमरीका प्रस्ताव के अन्तर्गत सन्यन्त्र बनायें तो यह यूरेनियम पर जो हमारे पास नहीं है, आधारित होगा और इसलिये हमें यूरेनियम का आयात करना पड़ेगा ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : किसी प्रश्न के उत्तर में कोई वैज्ञानिक विश्लेषण नहीं किया जा सकता।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : क्या यहां विज्ञान की बातें करने पर रोक है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : हो या न हो। मेरे पास यहां टेंडर नहीं हैं। इस पर तो विशेषज्ञ ही फैसला करेंगे कि यह ऐसा है या नहीं अथवा ऐसा करना ठीक होगा या नहीं।

†**श्री हेम बरुआ** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि समूचा सन्यन्त्र यूरेनियम पर आधारित होगा, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यूरेनियम का आयात किया जायेगा ?

†**श्री दिनेश सिंह** : सारा मामला विचाराधीन है।

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री शि० ना० चतुर्वेदी प्रश्न संख्या १३१४ का उत्तर चाहते हैं। वह प्रश्न पूछ सकते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

उत्तर प्रदेश में उद्योग

*१३१४. श्री सरजू पांडेय :
श्री ज० ब० सिंह :

क्या **योजना** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरी पंचवर्षीय योजनावधि में उत्तर प्रदेश में उद्योगों की स्थापना के मूल कार्यक्रम में कुछ परिवर्तन किये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या ;

(ग) उत्तर प्रदेश में उद्योगों की स्थापना की मूल योजनाएं क्या थीं ; और

(घ) क्या उद्योगों के लिये धनराशि और बढ़ा दी गयी है ?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रममंत्री (श्री हाथी) : (क) से (घ) एक विवरण सभा की मेज पर रख दिया गया है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ९३]**

†**श्री शि० न० चतुर्वेदी** : क्या अतिरिक्त राशि राज्य सरकार वहन करेगी और अन्य मदों से काटकर पूरा किया जायेगा ?

†**श्री हाथी** : यह अधिकतम सीमा के भीतर होगा और राज्य सरकार को वहन करना होगा ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, इस विवरण में बताया गया है कि उत्तर प्रदेश के लिये ८० लाख ३९ हजार रुपया उद्योगों के लिये और रखा गया है, लेकिन यह रकम जो प्लान का टोटल एलौटमेंट है उसके ही भीतर रहेगी । इसका यह मतलब हुआ कि और मदों से काट कर यह रकम उद्योगों के लिये रखी जा रही है । अतः मैं जानना चाहता हूं कि क्या उत्तर प्रदेश के लिये प्लान के टोटल एलाटमेंट को भी बढ़ाने का विचार सरकार कर रही है ?

†**श्री प्र० के० देव** : प्रश्न संख्या १३२१ का उत्तर दिया जाये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अच्छा ।

चीन को खाद्य पार्सल

†*१३२१. **श्रीमती सावित्री निगम** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार भारत मे रहने वाले चीनियों को बड़ी संख्या में खाद्य पार्सल चीन भेजने की अनुमति दे रही है ?

†**वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह)** : जी, हां । हमें पता है कि भारत में रहने वाले चीनी बड़ी संख्या में खाद्य पार्सल चीन भेज रहे हैं । हमारे विनियमों के अधीन ये पार्सल भेजे जा सकते हैं । मानवीय आधार पर हम इस समय चीन को खाद्य पार्सल भेजे जाने पर कोई प्रतिबन्ध लगाना उचत नहीं समझते ।

†**श्री प्र० के० देव** : चीन में फसल खराब होने और खाद्य की कमी को ध्यान में रखते हुये, क्या हम अपने निर्यात नियमों को ढीला करने पर विचार कर रहे हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या उन्होंने यह नहीं कहा है कि नियमों में छट देने का कोई प्रश्न नहीं है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : कोई प्रश्न नहीं उठा है और न हो इसके उठने की संभावना है ।

†**श्री हेम बरुआ** : मानवीय दृष्टिकोण पर, क्यों कि चीन में अकाल सा पड़ रहा है और चीन से लोग बड़ी संख्या में आ रहे हैं, क्या सरकार हमारे देश से कुछ सहायता भेजने पर विचार कर रही है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह एक सुझाव है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

डा० आओ का हत्यारा

*१३०९. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डा० आओ को मारने वाले का पता लगा लिया गया है ; और

(ख) क्या उनकी हत्या में नागा विद्रोहियों के अतिरिक्त विदेशी तत्वों का भी हाथ था ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचि (श्री स० चु० जमीर) : (क) डा० इम्कोंगलिबा आओ की हत्या के सम्बन्ध में जिन तीन व्यक्तियों पर संदेह था, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है

(ख) भारत सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है ।

ड्राफ्ट्समैन प्रशिक्षण परीक्षा

†२६३५. **श्री गहमरी** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रोजगार तथा प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा ली जाने वाली ड्राफ्ट्समैन प्रशिक्षण परीक्षाओं में प्राइवेट उम्मीदवारों को भी बैठने की सहूलियत थी;

(ख) यदि हां, तो क्या यह नियम भविष्य में भी जारी रहेगा ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी) . (क) : अब नहीं ।

प्राइवेट उम्मीदवारों को जनवरी, १९६२ तक ही ड्राफ्ट्समैन (सिविल और मैकेनिकल) अखिल भारतीय प्रशिक्षण परीक्षाओं में बैठने की सहूलियत थी। इन परीक्षाओं मे असफल होने वाले उम्मीदवारों को दो अवसर और दिये जायेंगे ।

ख) प्रश्न नहीं उठता ।

ग) ड्राफ्ट्स मैन (सिविल) और ड्राफ्ट्समन (मकेनिकल) व्यवसायों में मिलने वाले काम काज के अवसरों में कमी आने के कारण, तथा इस लिये भी कि पोलीटेक्नीक और इंजीनियरी

---

†मूल अंग्रेजी में

कालेजों में इन व्यवसायों का सिखाना आरम्भ हो गया है, राज्यों के प्रतिनिधियों ने अपनी छठी बैठक मे, जो २१ से २३ अगस्त, १९६१ के बीच नई दिल्ली मे हुई थी, सिफारिश की कि प्राइवेट उम्मीदवारों को दस्तकारी प्रशिक्षण योजना के मातहत चलाई जाने वाली अखिल भारतीय व्यावसायिक परीक्षाओं में नहीं बैठने दिया जाये ।

इस सिफारिश को सरकार ने मान लिया है और जनवरी १९६२ के बाद होने वाले सभी व्यावसायिक परीक्षणों पर इसे लागू कर दिया गया है ।

जिलों के आर्थिक विकास की योजना

†२६३६. **श्री मे० के० कुमारन** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग में प्रत्येक जिले में समन्वयित तरीके से विभिन्न प्रकार की आर्थिक गतिविधियों का विकास करने की कोई योजना बनाई है ; और

(ख) इस योजना को चलाने के लिये और राज्य सरकारों ने क्या कदम उठाये हैं ?

†**योजना तथा श्रम और रोजगार मंत्री (श्री नन्दा)** : (क) और (ख). प्रत्येक राज्य सरकार सामान्यतः जिला योजनायें और खंडों के लिये योजनायें बनाती हैं जो समूचे राज्य के लिये इस पंचवर्षीय योजना के भीतर आती हैं । जिला-स्तर पर समन्वय जिला परिषदों द्वारा किया जाता है । कई ग्रामीण कार्यक्रमों के लिये खंड विकास के यूनिट के रूप में कार्य करता है और समन्वय पंचायत समितियों द्वारा बनायी गयी खंड योजनाओं के जरिये किया जाता है ।

ग्रामीण आवास योजना

†२६३७. **श्री उलाका** : क्या **निर्माण, आवास और सम्भरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा सरकार को द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान ग्रामीण आवास योजना के अधीन मकानों के सुधार के लिये ऋण देने के लिये कितनी केन्द्रीय सहायता जी गयी है ; और

(ख) उड़ीसा सरकार को भूमिहीन कृषि श्रमिकों के लिये मकानों के लिये जगह प्राप्त करने के लिये राजसहायता देने के लिये तीसरी पंचवर्षीय योजना में कितनी निधि का आवंटन किया गया है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव)**: (क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उड़ीसा सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में मकानों की दशा सुधारने के लिये ग्राम्य आवास परियोजना योजना के अन्तर्गत कुल ३२.७० लाख रुपये का ऋण लिया है ।

(ख) तृतीय योजना के लिये उड़ीसा सरकार को ऋण के आवंटन का एक भाग, ब्योरे को अंतिम रूप दिये जाते ही, भूमिहीन कृषि श्रमिकों को मकानों के लिये जगह देने के लिये राज-सहायता के रूप मे परिवर्तित क र दिया जायेगा । इस योजना के अधीन उड़ीसा को ५० लाख रुपये का आवंटन किया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

उड़ीसा में कुटीर उद्योग

†२६३८. **श्री मलिक** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तृतीय पंचवर्षीय योजना-काल में ग्रामीण लोगों के लाभ के लिये उड़ीसा में प्रत्येक पंचायत समिति में कुटीर उद्योग स्थापित करने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके लिये केन्द्रीय और राज्य सरकारों ने क्रमशः कितना धन आवंटित किया है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी, हां।

(ख) योजना का ब्यौरा तैयार किया जा रहा है।

संगठन और रीति प्रभाग

†२६३९. **श्री इ० मधुसूदन राव** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ साल पहिले संगठन और रीति प्रभाग चालू किये जाने के कारण सरकारी दफ्तरों की कार्यक्षमता बढ़ गयी है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या यह योजना राज्य सरकारों के लिये भी लागू करने का सरकार का विचार है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) जी हां, सामान्यतया संगठन और रीति प्रभाग के काम का परिणाम यह हुआ है कि सभी श्रेणियों के सरकारी कर्मचारियों के कार्यक्षमता की सम्बन्ध में जागरूकता उत्पन्न हो गयी है, अनेक मंत्रालयों और विभागों में काम तेजी से निबटाया गया है, अनेक विस्तृत प्रक्रियाओं में सुधार हुआ है और अनेक संगठनात्मक सुधार भी लागू किये गये हैं।

(ख) संगठन और रीति प्रभाग द्वारा किये गये काम का ब्यौरेवार लेखाजोखा प्रभाग की एक से छः रिपोर्टों में दिया गया है। ये रिपोर्टें सभा पटल पर रखी जा चुकी हैं और उन पर सभा में एक बार से अधिक बार चर्चा भी हो चुकी है। इस सम्बन्ध में १० अगस्त, १९६१ को लोक-सभा में प्रधान मंत्री की घोषणा की ओर ध्यान दिलाया जाता है। इस घोषणा में प्रशासन को अधिक सुदृढ़ बनाने के लिये कुछ कार्यवाहियों के ब्यौरे बताये गये थे इन कार्यवाहियों की प्रगति के सम्बन्ध में एक रिपोर्ट १७ मई, १९६२ को संसद् पुस्तकालय में रख दी गयी थी।

(ग) राज्यों में संगठन और रीति एकक स्थापित करना मुख्यतः राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। फिर भी यह बताया जा सकता है कि केन्द्रीय सरकार की सिफारिश के फलस्वरूप, अधिकतर राज्य सरकारों ने अपने अपने प्रशासनों में संगठन और रीति एकक या अनुभाग कायम किये हैं। राज्य सरकारों के संगठन और रीति एककों के काम का संक्षिप्त विवरण संगठन और रीति प्रभाग की छठी रिपोर्ट के, जो ५ मई, १९६१ को सभापटल पर रखी गयी थी, पृष्ट ६६ से ८० में दिया हुआ है। प्रशासन को सुदृढ़ बनाने के उपाय जिनकी घोषणा प्रधानमंत्री ने १० अगस्त, १९६१ को की थी, राज्य सरकारों को भी बता दिये गये हैं। राज्य सरकारों को

---

†मूल अंग्रेजी में

अपने अपने प्रशासन में ये उपाय लागू करने के लिये जो भी सहायता आवश्यक होगी वह उन्हें दी जायेगी ।

उत्तर प्रदेश में औद्योगिक बस्तियां

†२६४०. **श्री इ० मधुसूदन राव** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६१-६२ के अन्त में उत्तर प्रदेश मे कुल कितनी औद्योगिक बस्तियां थीं और वे किन किन जगहों पर थीं ; और

(ख) १९६२-६३ मे ऐसी कितनी बस्तियां स्थापित की जायेंगी और वे कहां कहां स्थापित की जायेंगी ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ९४]** ।

सरकारी मुद्रणालय

†२६४१. **श्री रवीन्द्र वर्मा** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री ७ मई, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या ७६९ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६ के बाद कितने सरकारी मुद्रणालय स्थापित किये गये हैं ;

(ख) वे किन किन जगहों पर स्थापित किये गये हैं ; और

(ग) इनमें से प्रत्येक मुद्रणालय किस किस वर्ष में स्थापित किया गया था ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर)** : (क) एक ।

(ख) गंगटोक ।

(ग) १९६० ।

कोयम्बटूर में सरकारी मुद्रणालय

†२६४२. **श्री रवीन्द्र वर्मा** :
श्री शिवशंकरन् :

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री २१ मई, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या ८९७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयम्बटूर में कोई सरकारी मुद्रणालय चालू है ;

(ख) यदि हां, तो यह मुद्रणालय कब स्थापित किया गया था ;

(ग) इस मुद्रणालय में किस प्रकार की छपाई की जाती है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) क्या पिछले पांच वर्षों में कोई मशीनें विदेशों से मंगाई गयी थीं और उन मशीनों का उपयोग कोयम्बटूर के सरकारी मुद्रणालय में मशीनों के नवीकरण के लिये किया गया था ; और

(ङ) यदि हां, तो यह किस वर्ष में किया गया था ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर)**: (क) जी, नहीं। पर विचार हो रहा है ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

(घ) और (ङ). कुछ मशीनें कोयम्बटूर प्रैस के लिये विदेशों से मंगायी गयी हैं और इमारत तैयार हो जाने पर वे लगा दी जायेंगी। यद्यपि कोरट्टी प्रैस के सम्बन्ध में 'नवीकरण' का उल्लेख किया गया था, फिर भी वह एक गलती थी । वास्तव में नवीकरण अलीगढ़ प्रैस में किया गया था ।

सरकारी क्वार्टर

२६४३. **श्री बृजराज सिंह :**
श्री अ० प्र० सिंह :

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लक्ष्मीबाई नगर, नेताजी नगर, किदवई नगर तथा मोतीबाग स्थित सरकारी कर्मचारियों के क्वार्टरों में अलमारियों में किवाड़ नहीं लगाये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इन में किवाड़ लगवाने का विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो यह काम कब तक पूरा होने की संभावना है ?

†**निर्माण, आवास और सम्भरण मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना)** : (क) हां ।

(ख) अभी तक कुछ निश्चय नहीं किया गया है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

उड़ीसा में आवास योजनाएं

†२६४५. **श्री उलाका** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९ से १९६२ तक विभिन्न आवास योजनाओं के अधीन मकान बनाने के लिये केन्द्रीय सरकार ने उड़ीसा को कितनी रकम की वित्तीय सहायता दी; और

(ख) उपर्युक्त अवधि में अब तक कितने मकान तैयार किये जा चुके हैं ?

†**निर्माण, व आवास और संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव)**: (क) और (ख). आवश्यक जानकारी बताने वाला विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ९५]**

उड़ीसा राज्य में अधिसूचित रिक्त स्थान

†२६४६. **श्री उलाका** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य के सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्योगों में वर्ष १९६१–६ कुल कितने रिक्त स्थानों की अधिसूचना जारी की गयी; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) उपर्युक्त अवधि में विभिन्न रोजगार दफ्तरों के जरिये उद्योगों में कितने रिक्त स्थान पर भरती की गयी ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी)** : (क) और (ख). सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों के औद्योगिक उपक्रमों के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों के अधीन सभी प्रतिष्ठानों के बारे में उपलब्ध जानकारी इस प्रकार है :—

क्षेत्र	१९६१–६२ में अधिसूचित किये गये रिक्त स्थानों की संख्या	१९६१–६२ में भरे गये रिक्त स्थानों की संख्या
सरकारी	३३,३५६	१४,२०१
गैर-सरकारी	७,२९६	२,३२८
कुल	४०,६५२	१६,५२९

अम्बर चरखा

†२६४७. **श्री उलाका** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, १९५९ से मार्च, १९६२ तक उड़ीसा में कितने अम्बर चरखे बांटे गये;

(ख) कितने अम्बर चरखे काम कर रहे हैं; और

(ग) उपर्यक्त अवधि में प्रत्येक वर्ष उन से कुल कितना सूत तैयार किया गया ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) अप्रैल, १९५९ से दिसम्बर, १९६१ तक उड़ीसा में ११,६०८ अम्बर चरखे बांटे गये ।

(ख) चालू अम्बर चरखों की बिल्कुल ठीक ठीक संख्या इस समय नहीं मालूम है। फिर भी मोटा अनुमान है कि अधिक से अधिक ३० प्रतिशत चरखे आंशिक रूप से काम कर रहे हैं ।

(ग) १९५९–६०, १९६०–६१ और १९६१–६२ में अम्बर चरखों से तैयार किये गये सूत का कुल परिमाण इस प्रकार है : —

वर्ष	सूत का उत्पादन पौंड
१९५९–६०	८८,१९६
१९६०–६१	८३,६६३
१९६१–६२ (दिसम्बर, १९६१ तक)	३८,४५६

†मूल अंग्रेजी में

आन्ध्र प्रदेश में उद्योग

†२६४८. **श्री इ० मधुसूदन राव** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में आन्ध्र प्रदेश में कौन कौन से उद्योग और कहां कहां चालू किये गये;

(ख) इन उद्योगों में रोजगार की कितनी क्षमता है; और

(ग) अगले पांच वर्षों में किन किन स्थानों पर किस प्रकार के उद्योग स्थापित किये जाने वाले हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) से (ग). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह यथासमय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

समवाय विधि का उल्लंघन

†२६४९. { **श्री सुबोध हंसदा** :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों में कंपनियों द्वारा समवाय विधि, के उल्लंघन के कोई मामले हुए थे;

(ख) यदि हां, तो समवाय विधि प्रशासन ने ऐसे कितने मामले पकड़े; और

(ग) उन कम्पनियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्यो मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी हां ।

(ख) वर्ष १९५९–६० १९६०–६१ और १९६१–६२ के पहले नौ महीनों में भारतीय समवाय अधिनियम, १९१३ और समवाय अधिनियम, १९५६ के अनेक उल्लंघनों के लिये क्रमशः ५२५२, ६२७२ और ३२१४ अभियोग चलाये गये थे ।

(ग) समवाय (संशोधन) अधिनियम, १९६० लागू किये जाने से पहले, दोषी कंपनियों और उन के पदाधिकारियों पर अभियोग चलाये गये थे । इस के बाद विभिन्न संविहित प्रलेख प्रस्तुत करने में विलम्ब के लिये, धारा ६११(२) के अधीन अतिरिक्त फीस भी लगायी जा रही है ।

ग्रामीण शिल्प संग्रहालय

†२६५०. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सामुदायिक विकास क्षेत्रों में ग्रामीण कारीगरी संग्रहालय स्थापित करने की दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ख) क्या कोई संग्रहालय अभी तक स्थापित किया जा चुका है; और

(ग) यदि हां, तो किस जगह पर ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)**: (क) सामुदायिक विकास क्षेत्रों में ग्रामीण कारीगरी संग्रहालय स्थापित करने की योजना राज्य सरकारों को कार्यान्वित करनी है। अधिकांश राज्य सरकारों का तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में ये संग्रहालय स्थापित करने का विचार है। पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मैसूर और हिमाचल प्रदेश प्रशासन की सरकारों ने उस के लिये रकमें नियत कर दी हैं।

(ख) और (ग): (१) दोहरा गोपीपुर, जिला कांगड़ा (पंजाब), (२) चम्बा (हिमाचल प्रदेश) और (३) चूडाचांदपुर (मनीपुर) में कारीगरी संग्रहालय पहले ही स्थापित किये जा चुके हैं।

सामूहिक रूप में मजदूरों को काम पर लगाने की चीनी पद्धति

†२६५१. **श्री द्वा० ना० तिवारी** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या (परियोजनाओं में) मजदूरों के "सामूहिक रूप से काम पर लगाने" की चीनी पद्धति का अध्ययन और छानबीन की गयी था; और

(ख) यदि हां, तो क्या उस पद्धति का अनुसरण करने के लिये कोई योजना तैयार की गई है ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, त्रिपुरा

†२६५२. **श्री दशरथ देब** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६१ में त्रिपुरा की औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था में कुल कितने छात्र प्रशिक्षित किये गये;

(ख) उन में से कितने प्रशिक्षित छात्र त्रिपुरा की औद्योगिक बस्ती में रख लिये गये हैं; और

(ग) क्या सभी प्रशिक्षित छात्रों को अपना प्रशिक्षण पूरा करलेने के बाद रोजगार देने की कोई योजना मंजूर की गई है ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी)**: (क) १६।

(ख) इन सभी प्रशिक्षार्थियों को या तो गैर-सरकारी फर्मों या सरकारी विभागों में रोजगार मिल गया है। औद्योगिक बस्ती विभिन्न औद्योगिक सहकारी समितियों और गैर-सरकारी उद्योगपतियों को शैड दिलाने की व्यवस्था करती है। इसलिये सरकार द्वारा औद्योगिक बस्ती में रोजगार दिलाने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) आवश्यक नहीं समझा गया।

मुस्लिम निष्क्राम्य वक्फ सम्पत्तियां

†२६५३. **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री इम्बीचिबाबा :

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) धार्मिक स्वरूप की ऐसी कितनी मुस्लिम निक्राम्य वक्फ सम्पत्तियां हैं जो १९५७ से भारत के विभिन्न भागों में केन्द्रीय या राज्य सरकारों के हाथ में हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या इन प्रार्थनास्थलों को अनुयायियों की थानीय समितियों या संगठनों को सौंप देने के सम्बन्ध में सरकार को किन्हीं क्षेत्रों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)**: (क) से (ग). लगभग २०,००० मुस्लिम वक्फ सम्पत्तियां विभाजन के बाद उनके मुतवल्लियों के पाकिस्तान चले जाने पर संरक्षकों के नाम में थीं। फिर भी निष्क्राम्य सम्पत्ति कानून में यह व्यवस्था की गयी थी कि ये सम्पत्तियां दीवानी अदालतों द्वारा नये मुतवल्लियों को सौंप दी जायेंगी। चूंकि इस प्रक्रिया में कुछ देर लगती इसलिये केन्द्रीय सरकार ने निष्क्राम्य सम्पत्ति कानून में संशोधन कर नये मुतवल्लियों को ये सम्पत्तियां देने की शक्ति १९५६ में प्राप्त की। इसके परिणामस्वरूप, प्राय: सभी वक्फ सम्पत्तियां नये मुतवल्लियों या प्रतिनिधि संस्थाओं जैसे सुन्नी मजलिस-ए-औकफ या शिया मजलिस-ए-औकफ या राज्य वक्फ बोर्डों या वक्फ आयुक्तों को दे दी गयी हैं। अब लगभग ३० मामले केन्द्रीय सरकार के पास फैसले के लिये पड़े हुए हैं क्योंकि अभी तक यह तय नहीं किया जा सका कि वे सम्पत्तियां किस रूप की हैं अर्थात् वक्फ हैं या निजी हैं।

राजगीर अवकाश गृह

†२६५४. **श्री काशीनाथ पांडे :**
श्री मूलचन्द दुबे :

क्या **श्रम और रोजगार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयला खान श्रम कल्याण योजना के अधीन अब तक कितने कर्मचारी राजगीर अवकाशगृह (हॉलिडे होम) में आ चुके हैं ; और

(ख) इस अवकाशगृह में कर्मचारियों के ठहरने की औसत अवधि कितनी थी ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी)** : (क) अप्रैल, १९६२ के अन्त तक ४६२।

(ख) २ से ३ दिन।

विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों में हिन्दी का प्रयोग

२६५५. श्री कृष्णदेव त्रिपाठी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों में हिन्दी का कहां तक प्रयोग हो रहा है ; और

(ख) इन दूतावासों में कितनी संख्या में तथा कितने प्रतिशत कर्मचारी हिन्दी जानते हैं ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) परिचय पत्र आदि जैसे राजनयिक पत्र हिन्दी में पेश किये जाते हैं। विदेश स्थित मिशनों/केन्द्रों में जो पत्र हिन्दी में प्राप्त होते हैं उनके उत्तर यथासम्भव, हिन्दी में भेजे जाते हैं। ३१ दिसम्बर १९६१ तक समाप्त होने वाली अर्द्धवार्षिक अवधि के दौरान में इन मिशनों में कुल मिला कर १५२ पत्र हिन्दी में प्राप्त हुए थे और इनमें से १२३ पत्रों का उत्तर हिन्दी में दिया गया।

(ख) ६९७—यह उन लोगों की कुल संख्या का लगभग ५३ प्रतिशत है जिनके लिये हिन्दी सीखना अनिवार्य है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

नेपानगर में कास्टिक सोडा कारखाने की स्थापना

†२६५६. **श्री सुबोध हंसदा :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेपा मिलों को क्लोरीन सप्लाई करने के लिए नेपा नगर में एक कास्टिक सोडा कारखाना स्थापित करने का सरकार का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो इस कारखाने पर कुल कितना खर्च किये जाने का अनुमान है ;

(ग) क्या इस कारखाने का निर्माण कार्य आरम्भ किया जा चुका है ; और

(घ) यदि हां, तो यह कब पूरा किया जायेगा ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) :** (क) जी हां ।

(ख) लगभग ५० लाख रुपया ।

(ग) जी हां ।

(घ) १९६३ के उत्तरार्ध तक ।

कम आय वाले लोगों के लिये मकान बनाने की योजना

†२६५७. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कम आय वाले लोगों को मकान बनाने के लिए ऋण देने के सम्बन्ध में क्या विशिष्ट व्यवस्था की गयी है ;

(ख) १९६१-६२ के लिए कितनी रकम मंजूर की गयी थी ;

(ग) क्या तीसरी योजना की अवधि में अधिक से अधिक सालाना ६,००० रुपये की आय वाले लोगों को अतिरिक्त सुविधाएं देने का सरकार का विचार है ; और

(घ) क्या अधिक से अधिक सालाना, ६,००० रुपये की आय वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए प्रीफैब्रिकेटेड मकान तैयार करने की, जिनमें वे मकान भी शामिल होंगे जो केन्द्रीय सरकार सामान्य संग्रह में आवास के लिये अधिकारी कर्मचारियों के लिये बनाती है, कोई योजना है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) :** (क) यह योजना राज्य सरकारों के जरिये चलायी जाती है, जो इस योजना के साथ के अधिकारी व्यक्तियों को ऋण देने के लिये सभी आवश्यक व्यवस्था करती है, संघ राज्य क्षेत्रों में ऋण केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार दिये जाते हैं ।

(ख) १९६१–६२ में इस योजना के अधीन ५.३८ करोड़ रुपया अस्थायी तौर पर दिया गया था।

(ग) तीसरी पंचवर्षीय योजना में, गरीब लोगों के लिये अर्थात् जिनकी सालाना आमदनी १,८०० रुपये से अधिक नहीं होती, सहायता प्राप्त किराये के मकान बनाने का विचार है। सरकार इस योजना पर अभी विचार कर रही है ।

(घ) जी नहीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

निर्यात-गृह (एक्स्पोर्ट हाउसेज़)

†२६५८. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री २५ नवम्बर, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ४५१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में तैयार किये गये माल के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिये कितने निर्यातगृह काम कर रहे हैं और किस दशा में; और

(ख) क्या प्राप्तअनुभव को देखते हुए और अधिक निर्यात गृहों की वृद्धि को प्रोत्साहन देने के लिये शर्तों को सरल बनाने का सरकार का विचार है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** (क) निर्यातगृहों की मान्यता की वर्तमान योजना के अनुसार, दो निर्यातगृहों अर्थात् मेसर्स अमेल्गमेटेड एक्सपोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड और मेसर्स भारत एक्सपोर्टस लिमिटेड, को मान्यता दी गयी है। दोनों ही निर्यातगृह देश से अप्रचलित माल का निर्यात करने का प्रयत्न कर रहे हैं और उन्हें कुछ सफलता भी मिली है।

(ख) अब तक प्राप्त अनुभव को देखते हुए सरकार मान्यता देने की प्रक्रिया को सरल बनाने के विषय पर विचार कर रही है।

छपे हुए लेबल, गत्तों आदि का आयात

†२६५९. **श्री अ० सिं० सहगल** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मछली निर्यातकों को छपाई के लेबल, गत्तों, बक्सों और नालीदार डिब्बों का आयात करने दिया जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसा सामान भारतीय मुद्रण कारों और निर्माताओं द्वारा क्यों छापे और दिये नहीं जाते ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी हां। गत्ता बक्स, नालीदार डिब्बे और छपे हुए लेबल (न कि छपाई के लेबल), मछली और मछली उत्पादकों के निर्यात के बदले आयात करने दिया जाता है।

(ख) देशी सामग्री की किस्म अभी विदेशी आयातकों द्वारा अपेक्षित मानक तक नहीं पहुंचा है।

कॉफी के उत्पादक

†२६६०. **श्रीमती सावित्री निगम** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कॉफी के उत्पादकों को अपने निजी अपयोग के लिये थोड़ी भी कॉफी रखने नहीं दी जाती ; और

(ख) क्या काफी के दाम प्रति बिन्दु २.५ रुपये बिन्दु से गिर कर २ रुपये हो गये हैं और क्या इस कमी से उत्पादकों पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) जी नहीं ।

(ख) जी हां । १९६० के मध्य से निर्यात बिक्री में काफी के लिये वसूल दामों में कमी होने के कारण और उत्पादकों को वितरणीय काफी की बिक्री से विविल प्राप्त होने वाले दाम में तदनुसार कमी होने के कारण, १९६०–६१ की फसल में से उत्पादकों को प्रति बिन्दु अन्तिम दाम १९५९–६० में २.२४ रुपये की तुलना में लगभग २ रुपये होने की आशा है। १९६०–६१ की फसल का अन्तिम भुगतान अभी नहीं किया गया है । तथापि यह कहना ठीक नहीं है कि इस कमी का उत्पादकों पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है ।

१९६१-६२ की फसल के लिए अब तक उतम मूल्य लिया ज रहा है । यदि यह प्रवृत्ति जारी रही तो इस फसल में से किसान को अन्तिम दामों में सुधार हो सकता है । तथापि समूची फसल बिक चुकने के पश्चात् ही यह मालूम हो सकता है ।

अगर ताला में रोजगार दफ्तर

†२६६१. **श्री दशरथ देब** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी १९६१ से अप्रल १९६२ तक रोजगार दफ्तर अगरताला में कितने बेकार लोगों का पंजीयन हुआ है ;

(ख) कुल कितने अभ्यर्थियों के लिए रोजगार दफ्तर ने त्रिपुरा प्रशासन तथा प्रादेशिक परिषद् को त्रिपुरा राज्य क्षेत्रों के विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिए सिफ़ारिश की है ; और

(ग) अब तक कितने मामलों में नियुक्तियों की प्रतिज्ञा की गई है ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी** : (क) ८८९२ :

(ख) और (ग). उपलब्ध सूचना नीचे दी जाती है :—

	१-४-६१-से ३१-३-६२ के बीच भेजे गये अभ्यर्थी	१-४-६१ से ३१-३-६२ के बीच दी गईं नौकरियां
१. त्रिपुरा प्रशासन	५५८८	३६९
२. त्रिपुरा प्रादेशिक परिषद्	९६७	८४
योग	६५५५	४५३

रबड़ बोर्ड के कर्मचारी

†२६६२. **श्री मडियंगाडन** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री ३१ अगस्त १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ३००३ के उत्तर में के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रबड़ बोर्ड ने रबड़ बोर्ड कर्मचारी संस्था द्वारा की गई मागों के परिणाम का अध्ययन पूरा कर लिया है कि कर्मचारियों को वर्तमान अंशदायी भविष्य निधि लाभ के स्थान पर पेशे, और उपदान दिया जाना चाहिये ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या रबड़ बोर्ड ने इस संबंध में सरकार से कोई सिफारिश की है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस मामले में कोई निर्णय किया गया है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). अभी नहीं। ब्योरे की अभी छानबीन की जा रही है ?

(ख) सवाल पैदा नहीं होता।

औद्योगिक उपक्रमों के पंजीयन एवं लाइसेंसिंग नियम

†२६६३. **श्री बाजी :**
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री बिशन चन्द्र सेठ :
श्री गौरी शंकर :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास औद्योगिक उपक्रमों के पंजीयन एवं लाइसेंसिंग नियमों में प्रस्तावित संशोधनों के सम्बन्ध में भारतीय वाणिज्य मंडलों के संघ की ओर से कोई पत्र आया है ;

(ख) यदि हां तो उनकी मुख्य आपत्तियां और सिफारिशें क्या हैं ; और

(ग) सरकार इस मामले में क्या कार्रवाही करने का विचार रखती है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)**: (क) से (ग). कई बातों के बारे में औद्योगिक उपक्रम पंजीयन तथा लाइसेंसिंग नियमों १९५२ में संशोधन करने का प्रस्ताव विचाराधीन है। जैसा कि औद्योगिक (विकास और विनियम) अधिनियम १९२१ की धारा ३० (१) के अन्तर्गत अपेक्षित है, क्षसंशोधनों को अन्तिम रूप दिये जाने से पूर्व वे लोकमत जानने के लिए प्रशाशित किये जा चुके हैं। भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल संघ तथा अन्य संस्थाओं और संगठनों ने अपने मत भेजे हैं। इन मतों पर विचार किया जा रहा है। अधिनियम की धारा ५ की उपधारा (४) के अधीन केन्द्रीय सलाहकार परिषदों से इन संशोधनों के बारे में परामर्श किया जाना अपेक्षित होता है। अधिनियम की धारा ३० की उपधारा (४) के अनुसार, ये नियम बन चुकने के यथाशीघ्र पश्चात् संसद् के समक्ष रखे जायेंगे।

जोत की जमीन की अधिकतम सीमा

†२६६४. **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री उमानाथ :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जोत की जमीन की अधिकतम सीमा सम्बन्ध विधान सब राज्यों में बनाया जा चुका है ; और

(ख) यदि हां, तो कितने एकड़ फालतू भूमि राज्यवार बांटी गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

योजना तथा श्रम और रोजगार मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी हां, भूतपूर्व पंजाब क्षेत्र में यद्यपि स्वामित्व संबंधी कोई अधिकतम सीमा नहीं है, किन्तु सरकार को 'अनुज्ञय सीमा' से अधिक किसी खेती वाली भूमि के अन्तर्गत फालतू क्षेत्र पर काश्तकार रखने की शक्ति दी गई है।

(ख) जम्मू और काश्मीर में ४.५ लाख एकड़ भूमि राज्य द्वारा ली गई थी और वितरित की गई थी। पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार ने लगभग ३ लाख एकड़ कृषि भूमि पर कब्जा किया है, जो सांझी खेती करने वालों और भूमिहीन कामगरों को अन्तिम निपटान होने तक वार्षिक आधार पर पट्टे पर दी गई है। ज्यों २ कार्यान्विति बढ़ेगी अधिक क्षेत्र उपलब्ध होगा। पंजाब में, मालिकों द्वारा भूमि की घोषणा की जांच फाल्तू भूमि निर्धारित करवाने के उद्देश्य से की जा रही है। पेप्सू क्षेत्र में, ३६२६ टैंडर्ड एकड़ फालतू भूमि १२३४ काश्तकारों को बांटी गई है। तथा पंजाब क्षेत्र में १२६५७ काश्तकारों मे २१२११ स्टेंडर्ड एकड़ भूमि पर बसाया गया है। उत्तर प्रदेश में ५०८१ एकड़ भूमि अब तक फालतू पाई गई है और अन्य भूमि संबंधी अनुसंधान जारी है। आसाम, आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, दिल्ली तथा त्रिपुरा के भागों में उपबंध लागू किया गया है और विधान को कार्यान्वित करने के लिए प्रारम्भिक कारंवाई की जा रही है।

मीट्रिक बाट प्रणाली

†२६६५. श्री रामेश्वर टांटिया: क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या तोलने के बांटों, बे-बृजों आदि को मीट्रिक बांट प्रणाली में बदलने के लिए पुर्जों का आयात करने के लिए कोई विदेशी मुद्रा दी गई है ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : जी हां। अक्तूबर १९५८ और अप्रैल १९६२ मे २८०३७८४ रुपये की लागत की विदेशी मुद्रा भार तोलने की मशीनों तराजुओं, पैट्रोल पम्पों वेरअकिलरों आदि को मीट्रिक भागों में बदलने के लिए पूर्जों का आयात करने के लिए दी गई थी। उद्योगवार ब्योरा इस प्रकार है :—

	रुपये
पैट्रोल पम्पों आदि को बदलने के लिए पैट्रोलियम उद्योग .	२२१६२५६
भार तोलने वाली मशीनों को बदलने की मशीनें . .	४५९९३८
विविध	६७५७०

मुरादाबाद में कलई के बर्तनों का व्यापार

२६६६. श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या मुरादाबाद में कलई के बतनों के व्यापार को पहले से कुछ अधिक हानि पहुंची है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसके कारण जानने का यत्न किया है ;

(ग) क्या विदेशों को भी कलई के बतनों का निर्यात होता है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या गत तीन वर्षों में निर्यात का अनुपात बढ़ा है अथवा घटता है, यदि घटा है, तो सरकार ने क्या इसके कारण जानने का यत्न किया है ?

†मूल अंग्रेजी में

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) जी, हां ।

(घ) पिछले तीन वर्षों में इनके निर्यात में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है ।

मद्रास में कपड़ा मिलों के तकुए

†२६६७. **श्री इलयापेरुमाल** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास राज्य में कपड़ा मिलों के पास इस समय कितने तकुए हैं ;

(ख) उस राज्य में इस समय कितना कपड़ा वार्षिक तैयार होता है ;

(ग) उस राज्य में १५ वर्षों के प्रति व्यक्ति खपत के आधार पर अनुमानित की गई कपड़े की वार्षिक आवश्यकता कितनी है ;

(घ) क्या उस राज्य में तकुओं को बढ़ाने की मांग है ; और

(ङ) यदि हां तो कितनी ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)**: (क) १ जनवरी १९६२ को ३२ लाख ६० हजार तकुए ।

(ख) १९६१ में मिल क्षेत्र में और विकेन्द्रित क्षेत्र में सूती कपड़े का संयुक्त उत्पादन ६४३० लाख गज बताया जाता है ।

(ग) ५०४० लाख गज ।

(घ) और (ङ). इस विषय पर किये गये अनुमान से पता चला कि मद्रास राज्य के पास वर्तमान बुनाई क्षमता और जनसंख्या के आधार पर अधिक तकुए हैं । तथापि उस राज्य के लिये ७५००० तकुओं का आवंटन किया गया । अतिरिक्त तकुए आवंटन की मांग तब से प्राप्त नहीं हुई ।

मद्रास राज्य में स्थानीय विकास कार्य

†२६६८. **श्री इलयापेरुमाल** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास सरकार ने केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की है कि वह कुछ और वर्षों के लिये स्थानीय विकास कार्यों के लिये अनुदान देने की योजना जारी रखे ; और

(ख) यदि हां तो इस मामले में केन्द्रीय सरकार का क्या निर्णय है ?

†**योजना तथा श्रम और रोजगार मंत्री (श्री नन्दा)** : (क) तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्दर इस कार्यक्रम को जारी रखने के लिये कोई विशिष्ट प्रार्थना प्राप्त नहीं हुई थी ।

(ख) तथापि यह कार्यक्रम तीसरी योजना में शामिल है और जारी रखा जा रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

गैर-सरकारी रिहायशी बस्तियों में सरकारी कार्यालय

†२६६९. **श्री जेना** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली में गैर सरकारी रिहायशी बस्तियों में विभिन्न सरकारी दफ्तरों के लिये सरकार ने किराये पर मकान ले रखे हैं ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे मकानों की संख्या कितनी है ;

(ग) उन में कितने सरकारी दफ्तर रखे जायेंगे और उन में कितने दफ्तर पहले से हैं; और

(घ) सरकार द्वारा उन बस्तियों में निवास से भिन्न कार्य के लिये कितनी आवासिक इमारतों का उपयोग किया जा रहा है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) जी हां ।

(ख) ३७ ।

(ग) ३० मकान २१ सरकारी दफ्तरों के उपयोग के लिये हैं और ७ मकान अंश० स्वा० से० योजना की डिस्पैंसरियों के लिये प्रयोग में लाये जा रहे हैं ।

(घ) ज्यों ही पर्याप्त दफ्तरी स्थान निर्मित हो जायेगा, मकान छोड़ दिये जायेंगे ।

सिद्धपुर में पटलसन मिल

†२६७०. **श्री मान सिंह पृ० पटेल** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य में सिद्धपुर में कोई पटसन मिल पिछले दो वर्षों से बन्द है ;

(ख) क्या किसी श्रमिक संघ ने या अन्य किसी प्राधिकार ने इस मिल को हाथ में लेने और चालू करने के लिये सुझाव दिया था ;

(ग) क्या यह सच है कि एक उद्योगपति ने अब इस मिल को केन्द्रीय सरकार की मंत्रणा पर खरीद लिया है ; और

(घ) क्या इस मिल को आरंभ करने की सरकार की कोई योजना है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) सिद्धपुर में कोई पटसन मिल नहीं है किन्तु यह अनुमान लगाया जाता है कि प्रश्न में उल्लिखित मिल श्री सयाजी जुबली काटन और जूट मिल्स सीमित सिद्धपुर हैं । यदि हां तो उत्तर "हां" है ।

(ख) जी हां ।

(ग) मिल को अभी हाल में ही मैसर्स भारत कला भण्डार सीमित ने खरीदा है, किन्तु केन्द्रीय सरकार की मत्रणा पर नहीं ।

(घ) जी नहीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कुरसेंग में रेडियो स्टेशन

†२६७१. **श्री बी० चं० शर्मा** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री १ दिसम्बर १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या १०२१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुरसेंग के रेडियो स्टेशन द्वारा कितने क्षेत्र में प्रसारण का विचार किया गया है तथा ट्रांसमिटर की क्षमता क्या होगी ; और

(ख) उस पर कितनी राशि खर्च की जायेगी ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ)** : (क) कुरसेंग का रेडियो स्टेशन दार्जिलिंग–सिक्किम पहाड़ी क्षेत्र में प्रसारण करेगा । ट्रांसमिटर की क्षमता २ किलोवाट लघु तरंग है । यह केन्द्र २ जून १९६२ को आरम्भ किया गया है ।

(ख) अनुमानतः ४·०३ लाख रुपये ।

भूटान में डाक, तार और टेलीफोन व्यवस्था का विस्तार

२६७२. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ समय पहले जब भूटान के प्रधान मंत्री भारत आये थे तो उन्हों ने इस मंत्रालय से भूटान में डाक, तार और टेलीफोन के विस्तार के लिये सहायता मांगी थी

(ख) यदि हां, तो क्या इस कार्यक्रम का ब्यौरा बताने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जायेगा ; और

(ग) यह कार्यक्रम कब कार्यान्वित किया जायेगा ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री और अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) जी हां । भूटान के प्रधान मंत्री मई १९६२ के आरम्भ में जब दिल्ली आये थे, तब उस दौरान में उन्हों ने भारत और भूटान के बीच डाक द्वारा पत्र-व्यवहार का एक केन्द्र (एक्सचेंज) स्थापित करने और भूटान की आंतरिक डाक व्यवस्था का गठन करने के लिये भारत सरकार की सहायता मांगी थी । भारत सरकार भूटान सरकार को इस दिशा में सहायता देने के लिये राज़ी हो गई है । भूटान के प्रधान मंत्री ने अपने दिल्ली प्रवास में तार और टेलीफोन व्यवस्था के विस्तार के सम्बन्ध में कोई अनुरोध नहीं किया ।

(ख) और (ग). किस तरह की और किन शर्तों के अन्तर्गत यह सहायता दी जायगी, इस का ब्यौरा देना सम्भव नहीं है, क्योंकि उन पर अभी विचार किया जा रहा है । बहरहाल, आशा है कि कार्यक्रम पर जल्द ही अमल किया जायगा ।

चाय निर्यात उपकर

†२६७३. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चाय अधिनियम १९५३ के लागू होने से लेकर चाय निर्यात उपकर से कितनी राशि इकट्ठी की गई है ; और

(ख) अब तक वसूल किये गये उपकर में से चाय बोर्ड को कितनी राशि आवंटित की गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) ३१ मार्च १९६२ तक १०,३१,२६,१९४ रुपये।

(ख) ३१ मार्च १९६२ तक ५,८१,७७,००० रुपये।

गुड़ की मंडी, दिल्ली के विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास

†२६७४. **श्री शिवचरण गुप्त** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के गुड़ की मंडी क्षेत्र के कई विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के संबंध में कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) अर्द्ध विस्थापित व्यक्तियों की संख्या कितनी है ; और

(ग) गुड़ की मंडी के कितने विस्थापित लोगों का पुनर्वास किया जाएगा ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)**: (क) से (ग). दिल्ली नगर-पालिका निगम द्वारा किये गये एक सर्वेक्षण के अनुसार लगभग ३५७ विस्थापित परिवार और ७० अन्य अनाधिकृत धरना मीर लोग गुड़ की मंडी में ८.६५ एकड़ क्षेत्र में है। निगम इन अनधिकृत कब्जा धारियों को नजफगढ़ सड़क पर बन रहे कुछ मकानों में बदलने का तथा ८.६५ एकड़ भूमि पर उन के लिये १७० दुमंजिले मकान और १२ दुकानें बनाने का विचार करती है। योजना की क्रियान्विति के लिये निगम को अपेक्षित ऋण शीघ्र ही मजूर किये जाने की अपेक्षा की जाती है।

किंग्जवे क्षेत्र दिल्ली की पुनर्विकास योजना

†२६७५. **श्री शिवचरण गुप्त** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किंग्जवे क्षेत्र की पुनर्विकास योजना तथा उस क्षेत्र की बैरकों में रहने वाल लोगों को पुनः बसाने की योजना के बारे में अब तक कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) इन योजनाओं की वास्तविक कार्यान्विति कब आरंभ होने की संभावना है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) और (ख). नगर-पालिका निगम दिल्ली द्वारा इस योजना के लिये किये गये प्राक्कलनों की, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के परामर्श से प्रविधिक दृष्टि से जांच की जा चुकी है और वित्तीय मंजूरी शीघ्र ही जारी की जाने की अपेक्षा की जाती है। इस बीच, योजना के लिये अपेक्षित भूमि के संबंध में अभिग्रहण कारवाई आरम्भ की जा चुकी है। आशा है कि निगम भूमि अग्रिहण होने के पश्चात् लगभग चार महीनों में काम आरम्भ कर सकेगा।

आंध्र प्रदेश में कुटीर उद्योग

†२६७६. **श्री इ० मधुसूदन राव** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९६१–६२ में आंध्र प्रदेश के पिछड़ी जातियों के लोगों के लाभार्थ कोई कुटीर उद्योग आयोजित किया गया है ; और

---

†मूल अंग्रजी में

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) और (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

आविष्कार विकास बोर्ड

†२६७७. **श्री इ० मधुसूदन राव** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९६१-६२ में लघु उद्योग आविष्कार विकास बोर्ड द्वारा कोई पारितोषिक किये गये थे ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) आविष्कारों का स्वरूप और उनकी विशेषतायें क्या हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी हां।

(ख) ३१ पारितोषिक बोर्ड के द्वारा १९६१-६३ में दिये गये थे। दिये गये पारितोषिकों की कुल लागत १८९०० रुपये थी।

(ग) इजादों का संक्षिप्त वर्णन तथा उनकी विशेषताओं को बताने वाली एक पुस्तिका संसद के पुस्तकालय में रख दी गई है।

मुरादाबाद के बर्तन निर्माता

†२६७८. **श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह तथ्य है कि मुरादाबाद के अल्प स्तर बर्तन निर्माताओं को तांबा और जस्ता कच्चे माल के लिये उनके निश्चित अभ्यंश के बावजूद के कच्चे माल प्राप्त करने में बहुत कठिनाई अनुभव हो रही है ;

(ख) यदि हां तो क्या यह कभी वास्तविक है या कृत्रिम ;

(ग) क्या सरकार ने इस के कारणों का पता लगाने के लिये जांच आरम्भ की है ; और

(घ) उन के कष्टों को मिटाने के लिए सरकार क्या कार्रवाई करने का विचार करती है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) से (घ). अलौह धातुओं, विशेषकर तांबा और जस्त की सामान्य कमी है। उपलब्ध माल का सामान वितरण विविध राज्य सरकारों को किया जाता है जो फिर एकांशों को उनका आवंटन करती हैं। भारत सरकार को पता नहीं कि मुरादाबाद के अल्प स्तर के बर्तन निर्माताओं को कोई विशेष कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है जो अन्य लोगों को वहीं इकाइयों को होने वाली कठिनाइयों का कारण यह है कि समूचे देश भर में विस्तृत हो रही है और नवीन इकाइयों की मांग बढ रही है। तांबे और जस्ते की स्थिति तभी ठीक होगी जब विदेशी मुद्रा की स्थिति सुधरेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

निरस्त्रीकरण सम्मेलन

†२६७९. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने १७ राष्ट्रों के निरस्त्रीकरण सम्मेलन की एक बैठक में एक अन्तर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण सन्धि की योजना का सुझाव हाल ही में रखा था ;

(ख) यदि हां तो योजना की मोटी रूपरेखा क्या है ; और

(ग) उसके बारे में सम्मेलन की प्रतिक्रिया क्या है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) से (ग). पूर्ण तथा सामान्य निरस्त्रीकरण के विभिन्न प्रक्रमों को लेने वाले प्रारम्भ कार्यक्रम अब तक १८ राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण समिति के सामने केवल रूस और अमरीका के प्रतिनिधियों द्वारा पेश किये गये हैं। अन्य प्रतिनिधियों ने चर्चा के दौरान, एक सर्वसम्मत निरस्त्रीकरण सन्धि होने में सहायक होने वाले विचार का प्रस्ताव पेश किये हैं और भारतीय प्रतिनिधि ने भी ऐसे सुझाव दिये हैं, प्रक्रिया संबंधी तथा तत्व संबंधी दोनों, जो लाभदायक सिद्ध हुए हैं । तथापि उन्होंने अभी तक कोई प्रारूप अन्तर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण सन्धि का प्रस्ताव नहीं किया ।

चाय संवर्धन के उपाय

†२६८०. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गैर सरकारी भारतीय व्यापारियों को ऐसे देशों में, जिनमें चाय के लिये संयुक्त परिषदें हैं और जिनमें सरकार के लिये भारतीय चाय के लिये प्रत्यक्षतः संवर्धन उपाय करना कठिन है, अपने प्रचार और वितरण केन्द्र स्थापित करने में राजसहायता देने की मांगें प्राप्त हुई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) हां, श्रीमान् । हाल में भारत एक के साथ ने सरकार से संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय चाय का प्रचार करने में कुछ राजसहायता की प्रार्थना की है ।

(ख) प्रस्ताव विचाराधीन है ।

'इन्सटेंट' चाय का निर्माण

†२६८१. **श्री प्र० चं० बरुआ** :
श्री प्र० र० चक्रवर्ती :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में जो भारतीय चाय प्रतिनिधि मंडल संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य देशों का दौरा करने गया था उसने अमेरिकी चाय संघ के सभापति से इन्सटेंट चाय के निर्माण में अमेरिकी सहयोग की चर्चा की थी ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** (क) और (ख). चाय प्रतिनिधिमंडल संयुक्त राज्य अमेरिका में मुख्य चाय पक्षों से, अमेरिका चाय संघ के सभापति को सम्मिलित करके, मिला था। यद्यपि चर्चा में 'इन्सटेंट' चाय का प्रश्न भी सम्मिलित था परन्तु वह सामान्य प्रकृति की थी। भारतीय पक्षों से विदेशी सहयोग से 'इन्सटेंट' चाय के निर्माण के निदिष्ट प्रस्ताव प्राप्त होने पर उन पर विचार किया जायेगा।

मैसूर राज्य में पंजीबद्ध बेरोजगार

†२६८२. **श्री सं० ब० पाटिल** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर राज्य के विभिन्न काम दिलाऊ दफ्तरों में दूसरी पंचवर्षीय योजना अवधि और तीसरी पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में कितने ग्रैजुएट और नॉन ग्रैजुएट पंजीबद्ध किये गये ; और

(ख) ऐसे कितने व्यक्तियों को रोजगार दिया गया ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रममंत्री (श्री हाथी)** : (क) और (ख) :

श्रेणी	पंजीबन्धन		प्रतिस्थापन	
	दूसरी पंच वर्षीय योजना	तीसरी पंच वर्षीय योजना का प्रथम वर्ष	दूसरी पंच वर्षीय योजना	तीसरी पंच वर्षीय योजना का प्रथम वर्ष
१	२	३	४	५
ग्रैजुएट .	१६,७५०	६,७९९	३,८१०	१,८५६
नॉन ग्रैजुएट .	१,२५,१००	५१,५३४	१६,९४१	१३.१५३
योग .	१,४१,८५०	५८,३३३	२०,७५१	१५,००९

मैसूर में उद्योग

†२६८३. **श्री सं० ब० पाटिल** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर राज्य में पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान कौन कौन से विभिन्न प्रकार के उद्योग स्थापित किये गये तथा उनके नाम क्या हैं और वे किन स्थानों में हैं ;

(ख) कथित उद्योगों की रोजगार क्षमता क्या है और उसका विस्तृत ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार को मैसूर की सरकार से उद्योगों के अग्रेतर विस्तार के संबंध में कोई निश्चित प्रस्ताव अथवा सुझाव प्राप्त हुए हैं ; और

(घ) यदि हां, तो क्या कोई प्राथमिकता निश्चित की गई है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही हैं और कालान्तर में सभा-पटल पर रखदी जायेगी।

†मूल अंग्रेजी में

मैसूर राज्य में हस्तशिल्प प्रदर्शनालय

†२६८४. **श्री सं० ब० पाटिल :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर राज्य में १९६१–६२ में सरकारी हस्तशिल्प प्रदर्शनालयों द्वारा हस्तशिल्पों की बिक्री से कुल कितनी राशि प्राप्त हुई ; और

(ख) १९६१–६२ में इन प्रदर्शनालयों के संचालन पर कितना व्यय हुआ ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) ११,२५,२१८ रुपये ।

(ख) २,९४,३८४ रुपये ।

लद्दाख में तिब्बती शरणार्थियों का पुनर्वास

†२६८५. **श्री सुरेन्द्र पाल सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ तिब्बती शरणार्थियों को लद्दाख में बसाने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) वहां पहली बार में कितने परिवारों के भेजे जाने की संभावना है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) लद्दाख में लगभग ४००० तिब्बती शरणार्थी हैं। इनमें से अधिकांश शरणार्थी गड़रिये हैं जो अपने साथ बहुत से पशु लाये हैं। जम्मू तथा काश्मीर सरकार इनमें से अधिकांश शरणार्थियों को स्वयं लद्दाख में भूमि और चरागाहों पर बसाने की संभावना पर विचार कर रही है। लेह से कोई १५ मील दूर स्तकना में एक छोटी सी योजना से शुरूआत की गई है जहां १५० एकड़ भूमि पर ५०–१०० परिवारों को बसाने का विचार है।

(ग) तिब्बती शरणार्थियों को जम्मू तथा काश्मीर राज्य से बाहर लद्दाख में बसाने के लिये भेजने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

कोरट्टी में सरकारी मुद्रणालय

†२६८६. **श्री रवीन्द्र वर्मा :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री २१ मई, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या ८९७ के अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर के संबंध में यह बताने की की कृपा करेंगे कि :

(क) कोरट्टी में सरकारी मुद्रणालय की स्थापना के लिये प्लाट का अर्जन किस वर्ष में किया गया था ;

(ख) मशीनों के आयात के लिये विदेशी मुद्रा की पहली किश्त कब मिली थी ;

(ग) मशीनों का आयात कब किया गया था ; और

(घ) वह मुद्रणालय कहां स्थित है जिसमें इस प्रकार आयात की गई मशीनों को "मशीनों के नवीकरण" के लिये काम में लाया गया ?

---

†मूल अंग्रजी में

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर)** : (क) वर्ष १९५७ और १९५८ में ।

(ख) मार्च, १९६२ में ।

(ग) मशीनों के लिये व्यादेश अब भेजे जा रहे हैं ।

(घ) उत्पन्न नहीं होता ।

मैकाओ में नजरबन्द भारतीय

†२६८७. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुर्तगाली अधिकारियों द्वारा मेकाओ में नजरबन्द किये गये समस्त भारतीयों को मुक्त कर दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार मुक्त हुये भारतीयों की संख्या कितनी है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) इक्यावन।

ननीताल में औद्योगिक बस्ती

†२६८८. **श्री कृ० च० पन्त** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नैनीताल जिले में भीमताल में औद्योगिक बस्ती की स्थापना में कितना व्यय हुआ ;

(ख) क्या उस औद्योगिक बस्ती की प्रगति सन्तोषजनक रही है ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) इस संबंध में सरकार ने क्या कार्रवाई की है अथवा करने का विचार है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) २,६९,०००.०० रुपये ।

(ख) से (ग) कारखानों की इमारतों का निर्माण पूरा हो गया है परन्तु बस्ती के अन्दर की सड़कें पूरी नहीं बन सकी हैं। लोककर्म विभाग के प्राधिकारियों से कार्य पूरा करने में शीघ्रता करने की प्रार्थना की गई है ।

नेफा और नागालैण्ड में चलचित्रों का प्रदर्शन

†२६८९. **श्री हेम बरुआ** : क्या **प्रधान मत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का नेफा और नागालैंड में चलचित्र प्रदर्शित करने का कोई कार्यक्रम है ; और

(ख) यदि हां, तो अभी तक किस प्रकार के चित्र प्रदर्शित किये गये हैं और वे उन क्षेत्रों में कहां तक लोकप्रिय हुये हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** (क) जी, हां ।

(ख) नेफा और नागालैंड में समय समय पर प्रलेख चित्र प्रदर्शित किये गये हैं। वे बहुत लोकप्रिय सिद्ध हुये हैं। चालू वर्ष में भारत सरकार को नागालैंड और नेफा के प्रशासनों से फिल्म डिवीजन द्वारा बनाये गये और कृषि, सामुदायिक विकास, वनविद्या, शिक्षा, समाज कल्याण और कला तथा शिल्पों से सम्बन्धित क्रमश: ४१ और ११३ चित्र दिखाने के प्रस्ताव प्राप्त हुये। नागालैंड को भारत सरकार के फिल्म डिवीजन की निशुल्क वितरण सूची में सम्मिलित करने और दोनों प्रशासनों को अपेक्षित किस्म के चित्र भेजने के लिये कदम उठाये जा रहे हैं ।

गुवार-गम

२६६०. { **श्री युद्धवीर सिंह चौधरी :**
श्री बागड़ी :
श्री याज्ञिक : }

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६०-६१ में किस-किस गुवार गम के कारखाने में कितने कितने मन गम तैयार हुआ ;

(ख) इसमें से कितना गुवार का गम उक्त अवधि में भारत में काम में लाया गया तथा कितना विदेशों को भेजा गया, तथा निर्यात से भारत सरकार को कितनी आय हुई ;

(ग) हिन्दुस्तान गुवार गम लिमिटेड नामक गम के कारखाने की, जो भिवानी (पंजाब) में स्थापित हो रहा है, क्या वार्षिक उत्पादन-क्षमता है तथा केन्द्रीय सरकार उसमें क्या सहयोग दे रही है ;

(घ) क्या सरकार को यह ज्ञात है कि केन्द्रीय कृषि मंत्रालय ने, अप्रैल, १९६२ को गुवार-गम के उत्पादन को दश में पशुधन के लिये हानिकर बताते हुए इसके उत्पादन को कम करने की सिफारिश की थी ; और

(ङ) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) :** (क) १९६० और १९६१ (जनवरी-जुलाई) के वर्षों में, जिनके आंकड़े उपलब्ध हैं, संगठित क्षेत्र में तीन कारखाने गुवार गम बना रहे थे। इन कारखानों के नाम ये हैं :—(१) मेसर्स भिवानी गुवार एंड गम भिवानी, (२) मेसर्स इंडियन गम इंडस्ट्रीज़ प्राइवेट लिमिटेड, बम्बई और (३) मेसर्स गम प्रोडक्ट्स लिमिटेड (इंडिया) अहमदाबाद। इन कारखानों में निम्नलिखित परिमाण में गुवार-गम तैयार हुआ :

१९६० . . .	७,६०० टन
१९६१ (जनवरी-जुलाई) . . .	४,८०० टन

(ख) तैयार किया गया अधिकांश गुवारगम निर्यात कर दिया जाता है। भारत में बहुत कम परिमाण में इसका इस्तेमाल किया जाता है जिसके आंकड़े नहीं रखे जाते। इसके अतिरिक्त देश के व्यापारिक वर्गीकरण में गुवारगम अलग से नहीं दिखाया जाता है। इसलिये इसके आयात-निर्यात के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। १९६० और १९६१ (जनवरी-१५ जुलाई) में निम्नलिखित परिमाण

†मूल अंग्रेजी में

में गुवार-गम जहाज द्वारा बाहर भेजा गया, जिसमें लघु क्षेत्र द्वारा किया गया निर्यात भी शामिल है :—

अवधि	परिमाण	लगभग मूल्य
	टन	रु०
वर्ष १९६०	१२,६९४	१ (एक) करोड़
जनवरी १५ जुलाई, १९६१	५,६२५	४६ लाख

(ग) मेसर्स हिन्दुस्तान गम एण्ड केमिकल्स लिमिटेड (मेसर्स हिन्दुस्तान गुवारगम लिमिटेड नहीं) को भिवानी में गुवारगम बनाने के लिये लाइसेंस दे दिया गया है। इस कारखाने की गुवारगम तैयार करने की स्थापित क्षमता ९,६०० टन होगी। उक्त फर्म को गुवारगम बनाने के लिये सामान्य सुविधायें दे दी गयी हैं जैसे (क) विदेशी फर्म के सहयोग से गुवार गम बनाना, (ख) विदेशों से मशीनें प्राप्त करना, आदि।

(घ) और (ङ) : गौसम्वर्धन की केन्द्रीय परिषद् ने इस प्रकार की शिफारिश की है जो विचाराधीन है।

आवास सहकारी समितियों संबंधी गोष्ठी

†२६९१. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सितम्बर, १९६१ में उनके मंत्रालय के तत्वावधान में आवास सहकारी समितियों के संबंध में एक गोष्ठी हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं ; और

(ग) जहां तक दिल्ली में सहकारी गृह निर्माण कार्य का संबंध है, इन सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिये अभी तक क्या कार्रवाई की गई है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव)** : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सामान्य प्रक्रिया के अनुसार गोष्ठी में सहकारी आवास के विभिन्न पहलुओं पर विचारों और अनुभवों का आदान प्रदान हुआ गोष्ठी के विचार-विमर्श का वृतान्त सूचना एवं उपयुक्त कार्रवाई के लिये राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों को परिचालित किया जाता है।

गोष्ठी संबंधी कागजात के सैट संसद-पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

लघु उद्योगों के लिये फोर्ड प्रतिष्ठान दल

२६९२. { **श्री बेरवा** :
श्री भक्त दर्शन :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १९ अप्रैल, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या ३८ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फोर्ड फाउंडेशन का जो प्रतिनिधिमंडल भारत में लघु उद्योगों के विकास की सद्भावनाओं का अध्ययन करने के लिये भारत आया हुआ है वह अब तक कौन कौन से स्थानों का दौरा कर चुका है ;

(ख) क्या यह भारत सरकार को कोई प्रतिवेदन भी प्रस्तुत करेगा ; और

(ग) यदि हां, तो कब तक उसका प्रतिवेदन मिलने की आशा है ?

†मूल अंग्रेजी में

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) दिल्ली, अम्बाला, लुधियाना, मद्रास, बंगलौर, हैदराबाद, बम्बई, कोचीन, त्रिवेन्द्रम, जयपुर, जोधपुर, फालना, कोटा, इन्दौर, कलकत्ता, गौहाटी, शिलांग, भुवनेश्वर, कटक और चंडीगढ़।

(ख) जी, हां।

(ग) १९६३ के आरम्भ में।

नागा विद्रोही

†२६९३. **श्रीमती सावित्री निगम** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन महीनों में कितने नागा विद्रोही बन्दी किये गये हैं ; और

(ख) उन्होंने कितने शस्त्र समर्पित किये हैं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) फरवरी, १९६२ से अप्रैल, १९६२ तक की अवधि में २५४ नागा विद्रोही गिरफ्तार किये गये थे।

(ख) १२०।

नागा विद्रोही

†२६९४. **श्री रघुनाथ सिंह :**
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री भक्त दर्शन :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मोकोचुंग जिले में कुलिंगमैन गांव में सुरक्षा सेनाओं के साथ टक्कर में तीन नागा विद्रोही मारे गये थे ; और

(ख) यदि हां, तो इस घटना का ब्यौरा क्या है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) और (ख). ४ मई, १९६२ को सुरक्षा सेनाओं ने मोकोचुंग के १५ मील उत्तर-पूर्व में कुलिंगमैन में विद्रोहियों के एक अड्डे पर कब्जा किया था। टक्कर में २ विद्रोही मारे गये और १०५ कारतूस बरामद किये गये।

बर्तनों का लघु उद्योग

२६९५. **श्री कछवाय** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ग) बर्तन लघु उद्योग के विकास के लिये तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में कितनी धनराशि रखी गयी है ?

(ख) इस लघु उद्योग को वर्तमान समय में सरकार की ओर से कौन-कौन सी सहायता दी जाती है ;

(ग) बर्तन बनाने के लिये धातु का कोटा हर राज्य को कितना दिया जाता है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) कोटा निर्धारित करने का आधार क्या है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) उद्योग-वार कोई धनराशि नहीं रखी गयी है ।

(ख) यह उद्योग भी अन्य उद्योगों की भांति राज्य सरकार से ऋण, टेक्निकल तथा दूसरी सहायता पाने का अधिकारी है ।

(ग) और (घ). बर्तन बनाने वालों के लिये कोई अलग कोटा नहीं है । बर्तन बनाने तथा अन्य औद्योगिक उत्पादनों के लिये राज्य सरकारों को इकट्ठा कोटा दे दिया जाता है, इसका आधार सामान्यतः उनके द्वारा पहले इस्तेमाल की गयी धातु का परिमाण होता है । अलग-अलग कारखानों को यह धातु राज्य सरकारों द्वारा बांटी जाती है ।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना

२६९६. **श्री कछवाय** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत कर्मचारियों को चिकित्सा और औषधि सम्बन्धी कौन-कौन सी सुविधा दी जाती है ;

(ख) क्या नेत्ररोग और दन्तरोग से ग्रस्त होने की अवस्था में किसी कर्मचारी को इस बीमा योजना के अन्तर्गत चिकित्सा की सुविधा मिलती है या नहीं ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या इस सम्बन्ध में कुछ विचार किया जा रहा है ?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी) : (क) कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित चिकित्सा और दवा सम्बन्धी सुविधायें दी जाती हैं :—

बीमाशुदा कर्मचारी	परिवार
१. बाहरी इलाज दवाखाने/चिकित्सालय । २. डाक्टर का इलाज के लिये घर पर आना । ३. विशेषज्ञों की सेवायें । ४. ऐम्ब्यूलैंस की सुविधायें । ५. प्रयोगशाला और रेडियोलोजिकल जांच के लिये सुविधायें । ६. अस्पताल में भीतरी इलाज । ७. बीमाशुदा स्त्री-कर्मचारियों को प्रसव के पहले, प्रसव के समय और प्रसव के बाद की चिकित्सा सुविधायें । सब दवाइयां मुफ्त दी जाती हैं ।	अस्पताल में भीतरी इलाज को छोड़कर, चिकित्सा और दवा की उसी प्रकार की पूरी सुविधायें जैसे कि बीमाशुदा व्यक्तियों को मिलती हैं ।

(ख) जी हां ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

†मूल अंग्रेजी में

पंजाब में श्रमिक शिक्षा केन्द्र

†२६९७. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में १९६०–६१ और १९६१–६२ के दौरान कितने श्रमिक शिक्षा केन्द्र चालू किये गये ;

(ख) वे किन-किन स्थानों में खोले गये हैं ; और

(ग) इन केन्द्रों में किस प्रकार की शिक्षा दी जाती है ।

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी)** : (क) और (ख). १९६०–६१ में यमुनानगर में एक प्रादेशिक श्रमिक शिक्षा केन्द्र स्थापित किया गया था । १९६१–६२ के अन्त में उसके अन्तर्गत "यूनिट" स्तर की चौदह कक्षायें चल रही थीं ;

(ग) मुख्यतः कार्मिक संघ रीतियों में प्रशिक्षण और श्रमिकों के अधिकारों और कर्त्तव्यों का दर्शन ।

पंजाब में नये बड़े उद्योग

†२६९८. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान कौन से नये बड़े उद्योग स्थापित किये जाने की संभावना है ; और

(ख) उनका ब्यौरा क्या है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) और (ख). केन्द्रीय क्षेत्र में :--

पिंजोर (चंडीगढ़ के निकट) में ८ करोड़ रुपये की लागत से मशीनी औजार कारखाना ।

राज्य क्षेत्र में :

१. सीमेंट कारखाना—कांगड़ा जिला २. अखबारी कागज—कांगड़ा जिला का कारखाना ।	इन परियोजनाओं में राज्य की भागिता लगभग २.५ करोड़ रुपये है ।

गर-सरकारी क्षेत्र —

कोई सूचना उपलब्ध नहीं है क्योंकि इस उद्योग क्षेत्र में द्योगों की स्थापना के लिये अगुआई और ऐसे उद्योगों की स्थिति का चुनाव गर-सरकारी उद्यमियों के हाथ में, सरकार के अनुमोदन के अधीनस्थ है ।

पंजाब में दूसरी योजना अवधि के दौरान व्यपगत राशि

†२६९९. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब सरकार द्वारा दूसरी पंचवर्षीय योजना अवधि के लिये किये गये आवण्टन में से कितनी राशि काम में लाई गई और कितनी व्यपगत हुई ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) राशि के व्यपगत होने के क्या कारण हैं ?

†**योजना तथा श्रम और रोजगार मंत्री (श्री नन्दा)**: (क) और (ख). सूचना एकत्रित की जा रही है ।

नई दिल्ली के भारत सरकार मुद्रणालय में कर्मचारी

†२७००. **श्री नम्बियार** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री १० मई, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या १०७३ के उत्तर के सम्बन्ध में निम्नलिखित श्रेणियों के पदों पर प्रत्यक्ष भर्ती और तरक्की के प्रतिशत सम्बन्धी जानकारी प्रदान करेंगे ।

(क) इम्पोजीटर ;
(ख) कम्पोजीटर ;
(ग) डिस्ट्रीब्यूटर ;
(घ) मोनो ऑपरेटर ;
(ङ) लिनो ऑपरेटर ;
(च) जिल्दसाज ; और
(छ) ओवरसियर ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर)** : (क) से (छ). जानकारी प्रदान करने वाला विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ८६]**

नई दिल्ली के नेताजी नगर में 'जी' टाइप के क्वार्टर

†२७०१. **श्री नम्बियार** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेताजी नगर में 'जी' टाइप के ९६ क्वार्टरों में, जिनमें भारत सरकार मुद्रणालय के कर्मचारी रहते हैं, पृथक वाटर-मीटर नहीं हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि नेताजी नगर के अन्य 'जी' टाइप के क्वार्टरों में पृथक वाटर-मीटर हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस भेदभाव के क्या कारण हैं ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) उपरोक्त ९६ क्वार्टरों में वाटर-मीटर इसलिये नहीं लगाये जा सके कि उनकी कमी है । वे उपलब्ध होते ही लगा दिये जायेंगे । इसमें भेदभाव का कोई प्रश्न नहीं है ।

मुद्रण की स्याही का आयात

†२७०२. **श्री याज्ञिक** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कितनी मुद्रण की स्याही का आयात किया गया ;

(ख) क्या उन के मंत्रालय द्वारा दिये गये इस आश्वासन कि आयात प्रतिवर्ष कम किया जायेगा के बावजूद मुद्रण की स्याही के आयात में कोई वृद्धि हुई है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) पिछले तीन वर्षों में मुद्रण की स्याही के निर्माण के लिये कितनी कच्ची सामग्री का आयात किया गया ; और

(घ) क्या कच्ची सामग्री के आयात पर कोई प्रतिबन्ध लगाया गया है जबकि मुद्रण की स्याही का आयात अधिक किया जा रहा है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क)

वर्ष	मात्रा ('०००' किलोग्रामों में)	मूल्य ('०००' रुपयों में)
१९५८–५९	५४८	७४१
१९५९–६०	३५२	७०७
१९६०–६१	३१०	७१०
१९६१–६२ (फरवरी, १९६२ तक)	३४१	६४३

(ख) मुद्रण उद्योग के महत्व और विशेषकर अखबारों की आवश्यकताओं की दृष्टि से, विशेष प्रकार की मुद्रण स्याहियों और देश में न बनने वाली स्याहियों के आयात की अनुमति दी गई है।

(ग) मुद्रण स्याही उद्योग के लिये कच्ची सामग्री के आयात के लिये लाईसेंस मूल्य के आधार पर जारी किये जाते हैं। पिछले तीन वर्षों में जारी किये गये ऐसे आयात लाइससों का मूल्य निम्न प्रकार है :—

वर्ष	मूल्य (लाख रुपयों में)
१९५९–६०	३३.९
१९६०–६१	४१.२
१९६१–६२	पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं है।

(घ) स्याही उद्योग के लिये कच्ची सामग्री के आयात की अनुमति विदेशी मुद्रा की उपलब्धता , देशीय उत्पादन और स्याही निर्माताओं द्वारा किये जाने वाले आयातों का विचार करके दी जाती है ।

विदेशी सहयोग करार

†२७०३. **श्री बसुमतारी** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६१ में कितने विदेशी सहयोग करार किये गये ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) सहयोग करने वाली विदेशी फ़र्मों के क्या नाम हैं; और

(ग) उन में से कितने चल रहे हैं?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) वर्ष १९६१–६२ में स्वीकृत —प्रविधिक और वित्तीय दोनों विदेशी सहयोग करार की कुल संख्या ४०२ है।

(ख) अधिक संख्या में करारों के स्वीकृत हो जाने को ध्यान में रखते हुए, सभी विदेशी सहयोगियों के नाम बताना संभव नहीं है। तथापि, यह कहा जा सकता है कि यह जानकारी निम्न प्रकार, उद्योग तथा व्यापार पत्रिका में प्रकाशित हुई है;

जनवरी –मार्च, १९६१ के बीच स्वीकृत सहयोग करार	जून, १९६१ का संस्करण
अप्रैल–जून, १९६१ के बीच स्वीकृत सहयोग करार	सितम्बर, १९६१ का संस्करण
जुलाई–सितम्बर, १९६१ के बीच स्वीकृत सहयोग करार	दिसम्बर, १९६१ का संस्करण
अक्तूबर–दिसम्बर, १९६१ के बीच स्वीकृत सहयोग करार	फरवरी, १९६२ का संस्करण।

(ग) इसमें बाज दफ़ा ऐसे करारों के अन्तिम रूप देने में —अधिकांश मामलों में एक वर्ष से अधिक लग जाता है और इसलिये इस समय यह नहीं कहा जा सकता है कि उनमें से कितने चल रहे हैं?

सरकार द्वारा निर्मित सम्पत्ति का शरणार्थियों को विक्रय

†२७०४. **श्री बड़े** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय द्वारा सरकार द्वारा निर्मित कितनी सम्पति, जो एक बार विस्थापित व्यक्तियों को सार्वजनिक नीलामी द्वारा बेची गयी थी, विभिन्न मूल्यों पर विभिन्न विस्थापित व्यक्ति यों को पुनः बेची गयी ; और

(ख) कथित सम्पत्ति के लिये कितने विस्थापित व्यक्तियों को, जिन्होंने मंत्रालय को उन को आवंटित अथवा बेची गयी सम्पति के बारे में पूरा भुगतान किये जाने के बाद, विक्रय-पत्र अभी नहीं मिले हैं?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) सरकार द्वारा निर्मित सम्पत्ति में से अधिकतर नीलामी द्वारा विस्थापित व्यक्तियों को बेची गयी गयी हैं। जिन मामलों में सौदा किसी कारणवश पूरा नहीं किया जा सका, उन्हें नीलामी/टेन्डर द्वारा पुनः बेच दिया गया है। ऐसी सम्पत्ति की ठीक संख्या का पता नहीं है और लगभग ८ वर्ष तक होने वाले सौदों के बारे में जानकारी एकत्र करने में जो समय अथवा श्रम लगेगा, वह प्राप्त परिणामों के अनुरूप नहीं होगा।

†मूल अंग्रेजी में

(ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जावेगी।

मैसूर में औद्योगिक बस्ती

†२७०५. **श्री सं० ब० पाटिल** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तृतीय पंचवर्षीय योजना-काल में मैसूर राज्य में कितनी औद्योगिक बस्तियां स्थापित की जायेंगी, और उनके क्या नाम हैं और कहां पर स्थापित की जायेंगी ;

(ख) प्रथम तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना-कालों में अब तक कितनी औद्योगिक बस्तियां स्थापित की गयीं; उनके क्या नाम हैं और वे कहां स्थापित की गयी ; और

(ग) ३१ मार्च, १९६२ तक कितना धन खर्च किया गया ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ९७]**।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

भारत तिब्बत करार की समाप्ति और भारत में चीनी के व्यापार दूतावासों का बन्द किया जाना

†**श्री महसिन** (धारवाड़ दक्षिण) : मैं प्रधान मंत्री का ध्यान चीन के साथ भारत-तिब्बत करार की समाप्ति और भारत के चीन के व्यापार दूतावासों के बन्द किये जाने की ओर प्रधान मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वे इस सम्बन्ध म एक वक्तव्य दें :

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : जैसा कि सदन को ज्ञात है सरकार दिसम्बर, १९६१ के शुरू से, १९५४ के चीन भारत करार के बदले में नया करार के करने के लिए, जो ३ जून, १९६२ को समाप्त होना था, पत्र व्यवहार करती रही है। इस पत्र व्यवहार में हम ने चीन सरकार से कहा था कि दोनों देशों के बीच उचित वातावरण पैदा करने की दिशा में पहले कदम के रूप में उसे भारतीय क्षेत्र से अपनी सेनायें हटा लेनी चाहियें और १९५४ के करार के समय जो स्थिति थी, उसे बहाल कर देना चाहिये, । पत्र व्यवहार अभी चल ही रहा था कि चीन की सरकार ने हमें २३ मई को अपने इस निश्चय से सूचित किया कि वह कलकत्ता व कलिमपांग स्थित अपनी व्यापार एजेंसियों को वापस बुला रही है। तथा उन एजेंसियों के हटाये जाने के लिये आवश्यक सुविधाओं की मांग की। वैदेशिक कार्य सचिव ने चीन के प्रतिनिधि को आश्वासन दिया कि ये सुविधायें दे दी जायेंगी। उन्हों ने उसे यह भी बताया कि भारत सरकार भारतीय व्यापार एजेंसियों को बन्द करने के सम्बन्ध में निर्णय करेगी और चीनी सरकार से सुविधायें मांगेगी।

हमें सूचना मिली कि कलिमपांग की व्यापार एजेंसी २७ मई को खाली होनी शुरू हो गई थी । बाद में सूचना मिली कि कलकत्ता और कलिमपांग की चीनी एजेंसियों के

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

अधिकारी १ जून को भारत से चले गये थे । चीनी दूतावास ने हमें सूचित किया है कि कलिमपांग की व्यापार एजेंसी की सम्पत्ति और इमारतें उन के कलकत्ता स्थित महावाणिज्य दूत को सौंप दी गई हैं ।

हम ने ३० जून, को चीनी प्रतिनिधि को अपने इस निर्णय से सूचित किया कि ग्यांत्से स्थित व्यापार एजेंसी को १० जून तक और यातुंग एजेंसी को १५ जून तक हटा लिया जायेगा । और उस से रिकार्ड आदि हटाने की सुविधायें मांगी ।

हम ने अपने उस व्यापार एजेंट के लिये जो गांटोक जाया करते थे, पश्चिम तिब्बत जाने के लिये भी सुविधाओं की मांग की है ताकि वह अपनी व्यापार दूतावास बन्द कर सकें । हमने चीनी प्रतिनिधि को बताया कि हमारे कोई व्यापार एजेंट ३ जून से काम नहीं करेंगे और उन से उन के वापस जाने की तिथि तक कुछ प्रशासनीय सुविधाएं मांगी । हमने उन से यह भी कहा कि यातुंग पर हमारा सामान, इमारतें आदि हमारे लासा स्थित महावाणिज्य दूतावास की देख रेख में रखी जायेंगी और उस स्थान को हमारे पदाधिकारियों के लिए एक होस्टल में परिवर्तित कर दिया जायेगा । चीनी सरकार ने कहा है कि तिब्बत से भारतीय व्यापार एजेंसियों के हटाये जाने का कार्य एक महीने के अन्दर पूरा हो जाना चाहिये । उस ने यह भी कहा है कि उन के हटाये जाने की तारीख तक कुछ प्रशासनीय सुविधायें जैसे भारत सरकार को सांकेतिक संदे भेज देने में वह असमर्थ होगी ।

१९५४ के करार की समाप्ति का तात्कालिक परिणाम यह होगा कि भारत और तिब्बत के बीच व्यापार और सम्पर्क की जो सुविधायें उपलब्ध थीं, वह समाप्त हो जायेंगी । भविष्य में ऐसे व्यापार और आवागमन को सम्बन्धित देशों के राष्ट्रीय कानूनों द्वारा विनियमित किया जायेगा ।

†**श्री मोहसिन** : इन व्यापार एजेंसियों के बन्द होने से हमारे निर्यातों और आयातों पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : यह और भी कम हो जायेंगे ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** (होशंगाबाद) : क्या १९५४ के करार समझौते की समाप्ति से भारत और चीन के बीच पंचशील भी समाप्त हो जायेगा ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : पंचशील में मूलम भूत सिद्धांत हैं, जो कि काय-रहेंगे चाहे कोई उन्हें तोड़े या बनाये रखे । कम से कम हम उनका अनुसरण करते रहेंगे जब तक कि हमें उन्हें भंग करने के लिए बाध्य न किया जाये ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् का वार्षिक प्रतिवेदन और भारतीय उत्पादकता दलों के प्रतिवेदन

†**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : मैं निम्न पत्रों की एक एक प्रति पटल पर रखता हूं :—

(१) वर्ष १९६१-६२ के लिये राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् की वार्षिक रिपोर्ट ।

(पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल टी—१७७/६२)

†मूल अंग्रेजी में

(२) स्वीडन, अमेरिका और जापान में ढलाई उद्योग सम्बन्धी भारतीय उत्पादकता दल का प्रतिवेदन ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल टी--१७८/६२ ।]

(३) अमेरिका, ब्रिटेन और पश्चिमी जर्मनी में कास्ट अकाउंटिंग और वित्तीय नियंत्रण सम्बन्धी भारतीय उत्पादकता दल का प्रतिवेदन । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल टी--१७९/६२ ।]**

(४) अमेरिका, फिलीपीन, हवाई और प्यूरिटोरिको में चीनी उद्योग सम्बन्धी भारतीय उत्पादकता दल का प्रतिवेदन । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल टी--१८०/६२ ।]**

स्थगन प्रस्ताव के बारे में

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** (मंदसौर) : मैंने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी और मुझे कोई कारण नहीं बताया गया कि इस की अनुमति क्यों नहीं दी गई ।

†**अध्यक्ष महोदय** : उन्हें सूचना दे दी गई होगी । यदि नहीं, तो वह मुझे मिलें और हम तय करेंगे कि इस मामले को कैसे नियमित किया जाये । किन्तु उन्हें इस समय बाधा नहीं डालनी चाहिये थी ।

अनुदानों की मांगें--जारी

गृहकार्य मंत्रालय--जारी

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सदन गृह-कार्य मंत्रालय की मांगों पर अग्रेतर विचार आरंभ करेगा ।

†**श्री बदरूद्दुजा** (मुर्शिदाबाद) : गृह कार्य मंत्रालय की मूल जिम्मेदारी यह देखना है कि वह देश में शान्ति और व्यवस्था बनाये रखे और सरकारी सेवाओं को चलाये । देश में शान्ति तभी बनाई रखी जा सकती है जब जनता के समस्त वर्गों के साथ न्याय हो, उन्हें समान अवसर मिले और सब लोगों को गारंटी के साथ मूलभूत अधिकार प्राप्त हों ।

हमने प्रगति की शक्तियों का साथ दिया इस आशा के साथ कि साम्प्रदायिकता का आंदोलन रुक जायेगा किन्तु विभाजन के बाद हमारी सारी आशाओं पर पानी फिर गया ।

विभाजन के बाद कांग्रेस ने शासन का भार संभाला । प्रशासन ने शान्ति और व्यवस्था की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ली किन्तु अल्पसंख्यकों को बहुत कष्ट उठाने पड़े । मैं विभाजन के विरुद्ध था, किन्तु बंगाल के नेताओं ने भी विभाजन मान लिया । इस शताब्दी के आरम्भ से बंगाल के बारे में बहुत हानिकारक नीति अपनाई गई है । बंगाल के विभाजन से यह खतरा और भी बढ़ गया है और दो निकटवर्ती राज्यों के बीच हमेशा झगड़ा रहता है । हमने देखा कि विभाजन के तुरन्त बाद पाकिस्तान और भारत दोनों देशों में अल्पसंख्यकों को बहुत कष्ट उठाने पड़े हैं । भारत के धर्मनिर्पेक्ष राज्य में, जो कि समाजवादी ढांचे के रूप में विकसित हो रहा है मुसलमानों को और सभी अल्पसंख्यकों को भारी कष्ट उठाने पड़े हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री बदरूद्दुजा]

उन्हें कोई सहारा, कोई प्रोतसाहन और कोई सुविधाएं या अवसर नहीं दिये गये और वे प्रतिक्रियावादी शक्तियों के शिकार हैं। मैं इस अवसर पर ८५ लाख मुसलमानों की दशा का या उन १० लाख मुसलमानों का जिन्हें इस देश में मारा गया है, उल्लेख नहीं करना चाहता ।

†**श्री रघुनाथ सिंह** (बारानसी) : यह बात गलत है।

†**श्री बदरुद्दुजा** : मैं यह कहना चाहता हूं कि केवल धर्मनिर्पेक्ष प्रजातंत्रवाद ही में नहीं, अन्यत्र भी मुसलमानों को शिकार बनाया गया है । पाकिस्तान में हिन्दुओं की भी इसी प्रकार हत्या की गई है ?

साधारण समय में स्थिति क्या है, चंदौसी, अलीगढ़, सीतामढ़ी, भोपाल सागर, जबलपुर और मालदा में क्या हुआ है ? वहां जो घटनायें हुई हैं क्या उन से सारे प्रशासन की अक्षमता, आत्मसंतुष्टि और उदासीनता का पता नहीं चलता ? मुसलमानों को निर्दयता से दमन किया गया है । जबलपुर और मालदा में जो घटनायें हुई हैं, उनकी बर्बरता की मिसाल अंग्रेजी शासन में भी नहीं मिलती। देश में जितने दंगे हुए हैं, उन में एक हिन्दू भी मुसलमानों के हाथों नहीं मारा गया और न ही किसी हिन्दू का मकान जलाया गया है, मालदा के बारे में प्रधान मंत्री ने जो बयान दिया है, जो तथ्यों के अनुसार नहीं है । वहां ६ मुसलमानों को जिन्दा जलाया गया है और एक ८ साल की लड़की से बलात्कार किया गया । और ३ मुसलमानों की पीटने से ही हत्या कर दी गई है । साम्यवादी भीइयों ने हमारे साथ अवश्य सहानुभूति प्रकट की है। किन्तु प्रधान मंत्री ने मालदा के मुसलमानों पर किये गये अत्याचारों की जरा भी निन्दा नहीं की और उन के साथ कोई सहानुभूति प्रकट नहीं की ।

यदि इंग्लैंड में या किसी और देश में पुलिस के अत्याचार की एक घटना भी हुई होती तो सरकार का तख्ता उलट दिया गया होता, किन्तु कांग्रेस के शासन में किसी ने उंगली भी नहीं उठाई। भारत के पीड़ित मुसलमानों को बिनाशकारी शक्तियों से बचाने में ईश्वर ही उन की सहायता कर सकता है ।

भारत की सेवाओं में, कार्यपालिका में, पुलिस में, न्यायपालिका में और सशस्त्र बलों में मुसलमानों का हिस्सा नगण्य है। वे एक प्रतिशत भी नहीं हैं । जमीयत जैसी सांस्कृतिक संस्था पर भी प्रतिबन्ध है और इस से सम्बन्ध रखने वाले मुसलमानों को निकाला जा रहा है। मैं सब से अपील करता हूं कि वे मुसलमानों पर दया करें।

श्री बिशन चन्द्र सेठ (एटा) : अध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत तपस्या करने के बाद बोलने का मौका मिला है इस लिये इस के पहले कि मैं कुछ बोलूं आप को धन्यवाद देता हूं।

दो रोज के डिबेट में जिस तरह का वातावरण मैंने यहां देखा है उससे मुझे बड़ आश्चर्य हुआ कांग्रेस बेंचेज की तरफ से जो लोग कांग्रेस के टिकट पर हमारे सदन में जहां पर कि कांग्रेस की सरकार बनी हुई है, एलेक्ट हो कर आये, उन में से हरिजन भाइयों ने, जो यहां पर कल और परसों बोले, कहा कि सरकार ने उन के लिये कुछ नहीं किया, हालांकि सरकार ने अपनी सीमा से बाहर जा कर उन के लिये सब कुछ किया । इतना होने के बाद भी कांग्रेस सदस्यों के द्वारा उन पर जो लांछन लगाये गये उन को सुन कर तो मैं आश्चर्यचकित ही रह गया।

---

†मूल अंग्रेजी में

मैं खास तरीके पर इशारा करना चाहता हूं कि कांग्रेस के मुसलमान सदस्यों ने यहां कहा कि मुसलमानों के साथ हर प्रकार की ज्यादती हो रही है, उस को सुन कर भी मैं आश्चर्य-चकित रह गया। अभी जो बंगाल के सज्जन बोल रहे थे उन्होंने मुसलमानों पर ज्यादती के सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा। मैं उन को बतलाना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में ९ डी० आई० जी० हैं, उन में से ५ मुसलमान हैं। फिर भी आज कहा जा सकता है कि मुसलमानों के साथ किसी तरह की ज्यादती हो रही है। मैं दावे के साथ कहने के लिये तैयार हूं ...

†**श्री प० ना० कयाल** (जयनगर) : क्योंकि उन को छूआ जा सकता है और अनुसूचित जातियां अछूत हैं, इसलिये मुसलमानों को प्राथमिकता दी जाती है ...

†**अध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति।

श्री बिशनचन्द्र सेठ : मैं यह निवेदन कर रहा था कि आज हमारे देश की यह स्थिति है कि अगर ईमानदारी के साथ देखा जाये तो भारत के रहने वाले हिन्दू अपने आप को सेकेन्ड क्लास नागरिक महसूस करते हैं जब कि यहां पर रहने वाले मुसलमान हमारे सिर पर सवार हैं। आज जो स्थिति देश के अन्दर बन चुकी है उस के अन्दर मुसलमानों को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाने के बावजूद, और मुसलमानों की खुशामद करने के बावजूद, बंगाल के जो माननीय सदस्य बोल रहे थे वे कम्यूनिस्ट और सोशलिस्ट सदस्यों का साया लेना चाहते हैं। ताकि उन की मनो-वृत्ति उन की भावनाओं को अपने साथ ले सकें। मैं इस चीज को देख कर आश्चर्य चकित रह गया। आज ईमानदारी के साथ बताया जाये कि पाकिस्तान में जो हिन्दू रह रहे हैं, उन की क्या स्थिति है और जो हिन्दुस्तान में मुसलमान रह रहे हैं उन की क्या स्थिति है। बार बार मेरठ आदि जगहों का बात कही जाती है। मैं कहना चाहता हूं कि कोई भी इन्स्टेंस इस देश में ऐसा नहीं है जहां पर कि कोई केस हिन्दुओं द्वारा आश्रय शुरु किया गया हो। पहले मुसलमानों ने ज्यादतियां की, उस के बाद ही कहा जा सकता है कि शायद हिन्दुओं ने कुछ किया हो। मैं आप के सामने जबलपुर की मिसाल देना चाहता हूं। जबलपुर के सम्बन्ध में अगर हमारी सरकार ने तुरन्त कार्रवाही की होती और जिन सज्जनों ने उस लड़की का अपहरण किया और उस का जीवन नष्ट किया, उन को गिरफ्तार कर लिया जाता, तो मैं निश्चित रूप से कहने के लिये तैयार हूं कि जबलपुर के बाद और कोई भी केस हिन्दुस्तान में न होता। परन्तु हमारी सरकार की ढिलाई और मुसलिम परस्ती की नीति रही : तब किस मुंह से मुसलमान कहते हैं कि उन के साथ कोई चीज नहीं की गई। आज हमारे देश में यह स्थिति है कि यह जानने के बाद भी कि मुसलमानों की ज्यादती थी, हमारी सरकार ने कुछ नहीं किया। उस का नतीजा यह निकला कि जबलपुर में लड़कों का प्रोसेशन निकला। उस पर मुसलमानों के घर से गोली चलाई गई और १ हिन्दू लड़का मरा। उन के मरने के बाद हिन्दू मजबूर हो गये, उनके मन में भावना आई और तब वहां कुछ थोड़ा मामला हुआ। आज उस मामले को बहुत लम्बा चौड़ा कर के यहां पर मुसलमान बड़ी बड़ी बातें कहना चाहते हैं मगर आज पाकिस्तान मे मुसलमानों ने हजारों हिन्दुओं को मार दिया, और उस की कोई खबर भी हमारे देश में नहीं आती। अभी बंगाल के माननीय सदस्य ने यहां कहा कि यहां पर इतना बड़ा मामला हुआ लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कोई सिम्पैथैटिक शब्द भी नहीं कहे। मैं दावे के साथ कहने के लिये तैयार हूं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जिस प्रकार हमेशा मुसलमानों के साथ सिम्पैथी दिखाई उसी का यह फल है कि आज पाकिस्तान में इस तरह की वारदातें हुई कि हजारों हिन्दू वहां मारे गये।

---

†मूल अंग्रेजी में

एक माननीय सदस्य : अपने घर की बात कहिये।

श्री बिशन चन्द्र सेठ : यह घर वाली ही बात है, अनघर की कहां है ?

इसके बाद मैं होम मिनिस्ट्री के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। होम मिनिस्ट्री के सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि सदस्यों ने बहुत सी बातें आदरणीय होम मिनिस्टर के सामने रक्खीं। मैं उनमें न जाकर कुछ सजेशन उनके सामने रखना चाहता हूं। अगर वे उन पर ध्यान देंगे तो मैं ऐसा मानता हूं कि हमारा देश एक महत्वपूर्ण देश हो जायेगा, लेकिन अगर इस तरह का ही वातावरण, ऐसी शब्द रचना जो हमारे पालियामेंट के अन्दर हो रही है चलती रही, तो कुछ नहीं हो पायेगा।यह हमारी ढिलाई का ही फल है जो कुछ हम आज देख रहेहैं। अगर आज ईमानदारी के साथ देश की दशा को सुधारने का प्रयत्न हमारी सरकार ने किया होता तो कोई भी इस तरह की बात आज हमारे सामने न आती। मैं कुछ सजेशन्स अपने आदरणीय होम मिनिस्टर के सामने रखने की चेष्टा कर रहा हूं।

सबसे पहले मैं असम के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। कांग्रेस के मुसलिम सदस्य द्वारा कहा गया कि सन् १९५१ की जनगणना गलत हुई। कल कांग्रेस की तरफ से एक मुसलमान सज्जन बोले थे। उन्होंने कहा कि जनगणना ही गलत है। मुलाहजा फरमाइये। मैं कहना चाहता हूं कि मैं खुद गया हूं असम में। जिस वक्त असम में राइट्स हुए थे उसके बाद मैंने वहां का दौरा किया। उन राइट्स के बाद देश की कई कमेटियां वहां गयीं। श्री अजित प्रसाद जैन कांग्रेस की तरफ से भेजे गए थे और हिन्दू महा सभा की एक कमेटी गयी थी उसका मैं चैयरमैन था। बाई चांस हम दोनों एक ही दिन असम में पहुंचे थे। श्री अजित प्रसाद जैन ने अपनी रिपोर्ट दी और मैंने भी अपनी रिपोर्ट दी और मैंने उसकी बहुत सी कापियां कांग्रेस के सज्जनों को भेजी थीं। मैं उस रिपोर्ट की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। जब मैं ने अपनी रिपोर्ट दी थी उस समय असम की जन गणना नहीं हुई थी। मैंने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि अगर आपने पूरा पूरा ध्यान नहीं दिया तो न जाने कितने लाख मुसलमान पाकिस्तान से असम में आ जाएंगे और मैं आज डंके की चोट कहना चाहता हूं कि अगर आपने उस तरफ ध्यान नहीं दिया तो असम आपके हाथ से निकल जाएगा। हमारे देश की कमजोरी नीति के कारण लाखों मुसलमान हिन्दुस्तान के अन्दर आ कर बैठ गए। हमारी सरकार की कमजोर नीति का ही यह परिणाम है कि जहां सन् १९५१ की जनगणना में असम में केवल २० पर सेंट मुसलमान थे वहां सन् १९६१ की जनगणना के समय असम में मुसलमान ४८–६ हो गए। यह कैसे हुआ। क्या इतनी बड़ी मात्रा में ये लोग आसमान से टपक पड़े। इतनी संख्या कैसे बढ़ गयी ? इसका एक ही कारण है और वह यह कि लाखों मुसलमान पाकिस्तान से वहां आ गए और वहां जो दो मिनिस्टर मुसलमान हैं उनमें से एकने जो फाइनेन्स मिनिस्टर है उनको फाइनेन्स की मदद की और दूसरे जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं उन्होंने उनको बड़ी बड़ी जमीनें दे दीं। इसका नतीजा यह हुआ कि इतने मुसलमान वहां आ गए और आज असम का प्रान्त खतरे के दरवाजे पर खड़ा हुआ है। अगर हमारी देश की सरकार ने इस तरफ ध्यान न दिया तो मैं इस हाउस को वार्न करना चहाता हूं कि थोड़े दिनों के बाद असम इस देश की जन गणना के अन्दर नहीं रह जाएगा।

अब मैं आपके सामने एक चीज नागा लैंड के सम्बन्ध में रखना चाहता हूं। आज से थोड़े समय पूर्व सारे के सारे नागा हिन्दू थे, लेकिन हमारे देश की नीति के कारण, जिसका चित्र मैं पहले आपके सामने रख चुका हूं, आज यह स्थिति है कि सारे देश में बड़ी भारी मात्रा

में ईसाई बनते चले जा रहे हैं। न जाने इसाइयों के लिए कांग्रेस सरकार के दिल में कौनसा साफ्ट कारनर है कि कोई पूछने वाला नहीं। कि इस प्रकार इतने ईसाई किस तरह से बनते चले जा रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं कि सन् १९४१ की जनगणना में इस देश में केवल ३६ लाख ईसाई थे और आज सन् १९६१ की जन गणना के अनुसार देश में ईसाई एक करोड़ से भी ज्यादा हैं। क्या आप इसे राष्ट्रीय खतरा नहीं मानते ? यह निश्चित रूप से एक राष्ट्रीय खतरा है। अगर इसी मात्रा में इस देश में ईसाई बनते रहे तो थोड़े ही समय के बाद इस देश में फारिन अटैक के लिए और भी फील्ड बन जाएगा। और दुनिया की दूसरी सरकारें हमारे देश पर आंखें लगाए बैठी हैं। मैंने इस बारे में पहले उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री महोदय को लिखा था और पन्त जी महाराज को भी लिखा था और निवेदन किया था कि इस सम्बन्ध में एक छोटा सा कानून बना दिया जाए। किन्तु दुर्भाग्यवश मैं कांग्रेसी हूं, और अपोजीशन में बैठता हूं, लिहाजा मेरी बात का मूल्य कांग्रेस के माननीय सज्जनों ने नहीं किया मैं बताना चाहता हूं कि अगर उन्होंने मेरी बात को मान्यता नहीं दी तो देश के लिए खतरा पैदा हो जाएगा। मैंने जो बात पहले कही थी उसको आज फिर कहना चाहता हूं कि फौरन एक कानून इस प्रकार का बनना चाहिए कि कोई भी स्त्री या पुरुष जो कि २१ बरस से कम उम्र का हो वह बिला रजिस्ट्रेशन के अपना धर्म परिवर्तन न कर सके। मैं यह बात केवल हिन्दुओं के लिए ही नहीं कहना चाहता, यह कानून समान रूप से ईसाई और मुसलमानों आदि पर भी लागू होगा। अगर कोई ईसाई या मुसलमान जो कि २१ वर्ष से कम उम्र का हो तो उसके लिए भी यदि वह हिन्दू बनना चाहे तो रजिस्ट्रेशन आवश्यक होगा। मैंने इस सम्बन्ध में एक नमूने का केस जो पंत जी को लिखा था यहां भी आपके सामने रखना चाहता हूं। मुझे एक नर्स रखनी पड़ी बीमार बच्चे के लिए। उसका हिन्दू नाम था और वह अल्मोड़ की थी। उस बच्चे पर जो नौकर था वह भी अल्मोड़ा का था। पता चला कि यह लड़की हिन्दू थी और एक ईसाई मिशनरी उसके पालने के लिए ले गया। उसको पालने का नतीजा यह निकला कि उस लड़की की तीन छोटी बहिनें, दो छोटे भाई और उनकी माता पिता कुछ कुल आठ प्राणी एक दम ईसाई बना लिए गए। मैं पूछना चाहता हूं कि यह कौनसा कानून है ? अगर कोई आदमी किसी धर्म में जाना चाहता है तो वह ऐसा करने के लिए स्वतंत्र है, वह उस धर्म में चला जाए। लेकिन क्या कारण है कि उसके साथ उसके नाबालिग बच्चे भी जाएं। क्या कारण है कि अगर एक मां ईसाई बनती है तो वह अपने साथ ६ बच्चों को भी ले जाए लिहाजा मैं होममिनिस्टर से यह विशेष रूप से निवेदन करना चाहता हूं कि आज देश में फौरन ऐसे कानून की आवश्यकता है कि हमारे देश का कोई भी आदमी हो अगर वह धर्म परिवर्तन करना चाहे तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन आवश्यक हो और यदि कोई बिला रजिस्ट्रेशन के धर्म परिवर्तन करे तो उसको मान्य न किया जाए।

अब जो देश के सम्बन्ध में चर्चाएं चल रही हैं और देश में अनेक प्रकार की जो अनीतियां हो रही हैं उनके सम्बन्ध में कुछ सज्जनों ने कहा है। मैं भी उस तरफ अपने आदरणीय मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं। मेरा कहना है कि सारी दुनियां में कहीं भी, केवल हिन्दुस्तान को छोड़कर, हथियारों के लिए लाइसेंस नहीं है। सन् १८५७ के पहले इस देश में भी लाइसेंस का तरीका नहीं था। अंग्रेज के देश में आने के पहले हथियारों पर कोई लाइसेंस नहीं था। अंग्रेज ने अपनी रक्षा करने के लिए और इस देश का मौराल नष्ट करने के लिए लाइसेंस की पद्धति को चलाया। मैं पूछना चाहता हूं कि आज जब हमारे देश में अपनी सरकार है तो लाइसेंस की पद्धति को क्यों कायम रखा जा रहा है। यह जरूर है कि लाइसेंस खोलते समय हमको यह देखना होगा कि ऐसे कौन लोग हैं जिनका मन पाकिस्तान में है और शरीर हिन्दुस्तान में है, ऐसे सज्जनों के लिए मैं लाइसेंस की सिफारिश नहीं करता। मैं यह सिफारिश

इसलिए करता हूं कि आज गांवों में डाके पड़ते हैं और ग्रामीण अपनी रक्षा के लिए कुछ नहीं कर पाते। आज एक एक बन्दूक १२०० और १५०० में बिकती है और एक कारतूस ढाई रुपए में मिलता है। मैं चाहता हूं कि आज हमारे देश में ५० रुपए में बन्दूक मिले और और दो पैसे और एक आने में कारतूस मिले। फिर हम देखेंगे कि कैसे चीन और पाकिस्तान हमारी तरफ नजर उठाते हैं और कैसे डाकू गांवों में आते हैं। आज यह स्थिति है कि सारे देश के सामने तरह तरह के झंझट आते हैं मगर सरकार कागज के द्वारा ही अपना काम करना चाहती है। मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं अगर मुझे यह कहते हुए लज्जा आती है, अनेकों सज्जनों ने इस बारे को कहा है, कि दिल्ली में क्रेकर्स के केसेज होते हैं पर उनका पता नहीं लगता। मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता लेकिन यह बात सही है। यह ठीक है कि कोई बड़ा केस नहीं हुआ। लेकिन चार वर्ष से इस प्रकार के केसेज राजधानी में हो रहे हैं और उनका पता नहीं लगता। मैं तो छोटी जगह का रहने वाला हूं और अपने यहां की बातें यहां नहीं लाना चाहता। लेकिन दिल्ली, कलकत्ता और बम्बई जैसे बड़े नगरों में केसेज होते हैं और हमारी पुलिस में उनका पता लगाने की योग्यता नहीं है। आप यह न समझें कि मैं पुलिस को कोस रहा हूं। इसका एक कारण है और वह स्पष्ट है। हमारे कर्मचारी तभी अच्छा काम कर सकते हैं जब कि अधिकारियों के हाथ में दो चीजें हों, शाबासी देने की ताकत और दंड देने की ताकत। देश का हर गवर्नमेंट सरवेंट यह जानता है कि हम कान करेंगे तो भी पेंशन तक पहुंच जायेंगे और नहीं करेंगे तो भी पेंशन तक पहुंच जायेंगे। आज स्थिति यह है कि अच्छे से अच्छा काम करने वाले को कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता, कोई एनकरेजमेंट नहीं दिया जाता और अगर वह खराब काम करता है तो कोई पूछने वाला नहीं है। यही कारण है कि प्देश की राजधानी में जहां प्रधान मंत्री और उनके मंत्री रहते हैं वहां कैसेज हो जाते हैं और कोई पुरसां हाल नहीं। अगर मैं अपने शहर की कुछ बातें सुनाऊं तो आप कहेंगे कि प्राइवेट बातों में चले गये। लेकिन वहां भी कोई पूछने वाला नहीं है। कल एक मित्र ने आपके सामने फिगर रख कर बताया था कि हजारों कसेज में से कुछ सौ सफल हो पाये शेष का पता नहीं चला। आज यह स्थिति है।

मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि आज यह प्रवृति सामने आ रही है कि कांग्रेस के लोग ही कांग्रेस को कोसने की कोशिश कर रहे हैं। हम देश में एक स्टेबिल गवर्नमेंट चाहते हैं। लेकिन आज जब आपके आदमी आपको कोसने की प्रवृत्ति रख रहे हैं तो किस प्रकार शासन चलेगा और दूसरी तरफ जो देश के अराजक तत्व हैं वे अनेक प्रकार की चीजें हमारे सामने रखते हैं। मैं उनको बताना चाहता हूं कि जरा पाकिस्तान में जाकर हिन्दू की हालत को देखें कि वहां हिन्दू की स्थिति क्या है। वहां हालत यह है कि अगर किसी जगह हिन्दू मर जाता है और उसके आस पास मियां जी हो तो उसकी लाश को फूंका नहीं जाता। एक तरफ पाकिस्तान में यह स्थिति हिन्दू की और दूसरी तरफ दूसरी तरफ यहां मुसलमान की यह स्थिति है कि हमारे सिर पर बैठकर गरजते हैं और कहते हैं कि हमें फलां चीज नहीं मिली और ढिमकी चीज नहीं मिली।

मैं इन की ईमानदारी की बाबत आपको बतलाऊं कि एक मुसलमान सज्जन जोकि भारतीय सेना में बड़े अधिकारी थे वह हिन्दुस्तान से छुट्टी लेकर इंग्लैंड गये थे। वहां वह अपने साथ आवश्यक कागज पत्र और सेना के बड़े सीक्रेट पेपर्स लेकर गये और फिर चुपके से वहीं से पाकिस्तान खिसक गये और वहीं सर्विस कर ली। क्या यही उन का हिन्दुस्तान के प्रति वफादारी का सबूत है? बस मैं और अधिक न कहते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

†**श्री अन्सार हरवानी** : (बिसौली) : कांग्रेस की हकूमत में मुसलमानों के साथ कोई भेद-भाव नहीं किया जाता। मुसलमान बड़े ऊंचे ऊंचे पदों पर हैं। हमारे उपराष्ट्रपति मुसलमान हैं। मंत्रीमंडल के सदस्य मुसलमान हैं। राजदूत मुसलमान हैं। मुसलमानों को मौलाना आज़ाद का अनुसरण करना चाहिये और अन्य जातियों के साथ सहयोग की भावना से काम करना चाहिये। इसी में उन का उद्धार है।

†**श्री च० का० भट्टाचार्य** (रायगंज) : जो लोग भारत पर यह दोष लगाते हैं कि यहां मुसलमानों के प्रति भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता है उन्हें हमारे रवैये को पाकिस्तान के रवैये से तुलना करनी चाहिये जहां कोई गैर-मुस्लिम राज्य का अध्यक्ष नहीं बन सकता। यह बात पाकिस्तान के विदेश मंत्री श्री मन्जूर कादिर ने करांची में संवाददाताओं से बातचीत में कही।

श्री बदरुद्दुजा ने मालदा का जिक्र किया। वहां गड़बड़ इस कारण हुई कि वहां एक आदिवासी महिला के साथ छेड़ छाड़ की गई थी और यह आरोप कि वहां मुस्लिम महिलाओं से बलात्कार किया गया था, निराधार है।

भारत का विभाजन मुस्लिम लीग ने करवाया। अंग्रेजों ने कहा था कि हम भारत छोड़ देंगे यदि मुस्लिम लीग कांग्रेस से इस विषय पर सहमत हो जाय। मुस्लिम लीग ने कहा कि देश का विभाजन करके इसे छोड़ दें। इस लिये विभाजन हुआ। विभाजन के बाद समस्या का समाधान नहीं हुआ। अब वही मतभेद भारत और पाकिस्तान में बन रहा है।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

देश में राष्ट्रीय एकता स्थापित करने का एक मात्र उपाय यही है कि गांधीजी, टैगोर और स्वामी विवेकानन्द जैसे महान व्यक्तियों के उदाहरणों का अनुसरण किया जाये। इस के लिये सारे भारत का ध्यान रखकर विचार करना चाहिये। यदि हर कोई अपने स्वार्थ के लिये उतावला रहे और यदि अल्प संख्यकों की विचार धारा को उग्ररूप दिया गया तो एकता स्थापित नहीं हो सकती।

अल्प संख्यकों को उनका हिस्सा मिला है। यदि राज्यपालों, मन्त्रियों, राजदूतों इत्यादि की नियुक्तियों पर ध्यान दिया जाय तो पता चलेगा कि अल्प संख्यकों के लिये सरकार ने बहुत कुछ किया है और ऐसा करने का उन का इरादा है। संविधान में उपबंधित मूल अधिकारों को दृष्टिगत रखते हुए अल्प संख्यकों की शिकायतें तथ्य हीन है।

†**श्री रिशांग किशिंग** (बाह्य मनीपुर) : श्री दातार जी के भाषण से स्पष्ट हो गया है कि सरकार संघ राज्य क्षेत्रों के लोगों की उत्तरदायी शासन की मांग की निरन्तर उपेक्षा करती रही है। प्रादेशिक परिषदें उन क्षेत्रों के लोगों के कल्याण की देखभाल करने में असफल रही हैं। मनीपुर में योजना के लक्ष्य पूरे नहीं किये गये। मनीपुर में जल संभरण की उचित व्यवस्था नहीं है। बिजली की कमी है। और स्वास्थ्य तथा शिक्षा की उपेक्षा की जा रही है। ऐसी परिस्थितियों का उपचार एक ही है वहां उत्तरदायी शासन स्थापित किया जाये।

जहां तक सेवाओं का सम्बन्ध है, अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों को उन का उचित हिस्सा नहीं दिया गया। सेवाओं में उन जातियों का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिये उन के लिये अलग परीक्षा ली जानी चाहिये। उन के लिये आयु की सीमा बढ़ा देनी चाहिये। उन जातियों

---

†मूल अंग्रेजी में

के जिन सेक्शन अफसरों की सेवा पांच वर्ष की हो चुकी हो उन्हें पदोन्नति मिलनी चाहिये। जो शेष सुरक्षित नौकरियां रह जायें उनके लिये इन जातियों के लिये अलग से परीक्षा होनी चाहिये। उन जातियों के जो असिस्टैंट तीन वर्ष सेवा कर चुके हों, उन्हें पदोन्नति करके सेक्शन अफसर बना देना चाहिये।

भूमि आदिम जातियों के लिये बहुत महत्वपूर्ण है। सरकार को ऐसे कदम उठाने चाहिये कि जिनसे आदिम जातियों की भूमि पर कोई कब्जा न कर सके। झूम खेती के स्थान पर वैज्ञानिक खेती आरम्भ करनी चाहिये।

श्री नवल प्रभाकर (दिल्ली-करोलबाग) : उपाध्यक्ष महोदय, दिल्ली के हम पांच सदस्य हैं और दिल्ली में कोई विधान सभा नहीं है जहां हम अपनी बात को रख सकें। दिल्ली की आबादी साढ़े २६ लाख है। उन पांच सदस्यों में से केवल मुझ को जो पांच मिनट का समय दिया गया है, उस में मैं क्या कह सकूंगा। इस पांच मिनट में किस किस बात को मैं गिनाऊं और किस किस को न गिनाऊं, इसको ले कर मैं कुछ असमंजस्य में पड़ा हुआ हूं। दिल्ली की जो समस्यायें हैं, वे इतनी अधिक हैं कि मैं पांच मिनट में केवल उन्हीं को गिनाने लग जाऊं तो उन्हें भी नहीं गिना सकूंगा। मैं आरम्भ करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप इन सब बातों पर खयाल करते हुए यह जो पांच मिनट का आपने मुझे समय दिया है, इसको जरूर बढ़ा देंगे।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में जो गांव आते हैं, यहां पर भूमि सुधार कानून लागू किया गया है। लेकिन इस भूमि सुधार कानून को लागू करते समय उसकी डेफोनीशन में कुछ कमी रह गई है। कमी यह रह गई कि जो अधिकार रेवेन्यू असिस्टेंट को देना चाहिये था वह कलक्टर या डिप्टी कमिशनर को दे दिया गया है। चीफ कमिशनर महोदय की तरफ से भी ऐसा नहीं किया गया और उन्होंने ए० डी० एम० को भूमिधरी के जो सर्टिफिकेट थे, उनको बांटने का काम दे दिया। इसका नतीजा यह हो रहा है कि दिल्ली के तमाम उन काश्तकारों को जिन को भूमिधर बनाया गया है, बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है अदालतों में। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस चीज़ को आप कृपा करके देखें और जो डेफीनिशन बनाई गई है इसको चेंज करें ताकि न्यायालय में जो रोज़ रोज़ उनको परेशानी उठानी पड़ रही है, उससे वे बच सकें।

क्षेत्रीय परिषद की बात भी इस में कही गई है। मैं गृह मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि क्षेत्रीय परिषद में हमारे माननीय चीफ कमिशनर महोदय जाते हैं, यह तो ठीक है लेकिन कुछ नान-आफिशल्ज़ की भी उसमें आवाज़ होनी चाहिये। आपकी प्रधानता में जो एक सलाहकार समिति है, मैं चाहता हूं कि वह सलाहकार समिति जिस भी दिल्ली के सदस्य को, संसद् सदस्यों में से चुने, वह क्षेत्रीय परिषद में दिल्ली का प्रतिनिधित्व करे और दिल्ली की जो कठिनाइयां हैं, उन को वह माननीय सदस्य क्षेत्रीय परिषद के सामने रखे।

अब मैं ज़मीनों की कीमतों के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। आपने ज़मीनें एक्वायर की हैं लेकिन आप उनको आगे बहुत ज्यादा कीमतों पर देते हैं। अब इन ज़मीनों को आप बेचते हैं। तो २५ और ३५ रुपये गज़ के बीच पर आप बेचते हैं जो बहुत ज्यादा है। इस में एक बड़ी कठिनाई यह भी है कि पूरा दाम ले लेने पर भी, जितना एक्वीजीशन तथा डिवेलेपमेंट पर खर्चा आया

है, उससे अधिक ले लेने पर भी जमीन जो लेने वाला है, उसकी वह नहीं रहती है, उसके ऊपर उससे लीज अलग ली जाती है।

मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में वे विचार करें और देखें। कुछ कोआपरेटिव सोसाइटीज हाउसिंग के लिये बनाई गई हैं, उन्होंने जमीनें खरीदीं। जमीनें खरीद कर वे चाहते थे कि वह जमीनें उन को रिलीज कर दी जायें, और रिलीज होने के बाद वे उन को डेवेलप कर दें और वहां पर अपने मकान बना दें। लेकिन चीफ कमिशनर महोदय ने बजाय इस के कि उन जमीनों को लौटाते और वहां डेवेलपमेंट का काम होता, उस सारी जमीन को फीज कर दिया। फीज करने के बाद अब कहा जाता है कि यह जमीनें हम आप को बेचेंगे, और वह लीज पर होंगी। इस में मुझे कोई औचित्य नजर नहीं आता। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इस की ओर ध्यान दें।

समय की कमी के कारण रिपोर्ट का मेन्शन करने से कोई लाभ नहीं है ; दिल्ली में हिन्दी के सम्बन्ध में कहा गया है कि हिन्दी क्लासेज लगते हैं। मैं नहीं समझता कि इसका क्या अर्थ है। दिल्ली में साधारणतया हिन्दी बोली जाती है उन के लिये हिन्दी क्लास लगाने से क्या लाभ होगा। दिल्ली के नागरिक, जो दिल्ली में रहते हैं, वे सब हिन्दी जानते हैं, लेकिन यहां के जो आफिसेज हैं, जो कार्यालय हैं, उन में हिन्दी को लागू करने में, जो वहां के ऊपर के अधिकारी हैं वे कुछ अड़चन डाल रहे हैं कि दिल्ली के लोग हिन्दी नहीं जानते हैं। दिल्ली की भाषा हिन्दी है, दिल्ली के लोग हिन्दी जानते हैं, दिल्ली में हिन्दी बोली जाती है, लेकिन दिल्ली के कुछ दफ्तर हैं उन के अन्दर हिन्दी नहीं है, उन में सिर्फ अंग्रेजी चलती है। उन लोगों को शिक्षा के लिये क्लासेज खुले हैं। उन से भी मैं ने पूछा जो कि हिन्दी की शिक्षा ग्रहण करने के लिये वहां जाते हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह से दो घंटे की छुट्टी मिल जाती है। आराम से वहां चले जाते हैं, हिन्दी तो वे जानते ही हैं, परीक्षा पास करने से कुछ प्रमोशन हो जायेगा। इस तरह से वे लोग कहते हैं। मेरा निवेदन है कि दिल्ली की भाषा हिन्दी है, दिल्ली का प्रत्येक नागरिक हिन्दी जानता है। आज सन् १९६२ में हम यहां पर खड़े हुए हैं। १९६२ में तो हमें सोचना चाहिये कि दिल्ली के अन्दर हिन्दी की जाये। लेकिन मैं देखता हूं कि दिल्ली के कार्यालयों के अन्दर जितने फार्म्स हैं वे सब अंग्रेजी में छपे हैं। मेरा माननीय मंत्री जी से नम्र निवेदन है कि दिल्ली के अन्दर कम से कम जो दिल्ली की अपनी भाषा है, उस में सारा काम होना चाहिये।

दिल्ली के अन्दर छोटी मोटी ५५ सलाहकार समितियां हैं। इन ५५ सलाहकार समितियों के अन्दर, जो कि दिल्ली के प्रशासन के लिये बनाई गई है, उन के सदस्यों के नामों को मंगा कर देखें। एक तरफ तो हरिजनों को प्रतिनिधित्व देने की बात हम कहते हैं, यह सही है कि लोकसभा में जो दिल्ली के पांच सदस्य हैं उन में से एक पर मैं सुरक्षित सीट से आता हूं, कारपोरेशन के अन्दर भी ८० सदस्य हैं, उन ८० में से कुछ सीट्स सुरक्षित हैं, लेकिन दूसरी तरफ जब दिल्ली प्रशासन के लिये कमेटियां बनती हैं तो उन में हरिजनों का प्रतिनिधित्व नहीं है। उन में हरिजनों के प्रतिनिधित्व का ख्याल तो हमें रखना ही होगा। मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि जितनी कमेटियां हैं, कुछ के अन्दर यह जरूर है कि मुझे रक्खा हुआ है, इसी तरह से हरिजन वैलफेअर बोर्ड है, उस हरिजन वेलफेअर बोर्ड के अन्दर हरिजनों का प्रतिनिधि है। इस के अतिरिक्त किसी कमेटी में कोई हरिजन प्रतिनिधि नहीं है। यह जो ५५ कमेटियां हैं, मैं चाहूंगा कि आप दिल्ली प्रशासन से कहें कि उन में हरिजनों के प्रतिनिधित्व के हिसाब से उन का स्थान दिये जायें।

दिल्ली में भिक्षा वृत्ति की बात कही गई है । रिपोर्ट में कहा गया है कि डेढ़ हजार भिखारी पकड़े गये हैं । बहुत से सदस्य जानते होंगे, रोज देखने में आता है कि कोई रास्ता नहीं, कोई गली नहीं, कोई कूचा नहीं, जहां भिक्षा वृत्ति न होती हो । आप जहां जायें भिखारी मक्खियों की तरह दौड़ पड़ते हैं । मैं चाहता हूं कि जो कानून बनाया गया है, उस का कड़ाई से पालन किया जाये ।

बारिश के दिनों में, खास तौर से पिछले आठ, दस सालों से भारी वर्षा के कारण बड़ी कठिनाई पड़ रही है । रिपोर्ट में भी कहा गया है कि ५१ गांवों में एक तरह से जल प्रलय का दृश्य उपस्थित हो गया । पिछले साल १११ गांवों में पानी भर गया । मेरा नम्र निवेदन है कि पंजाब से आने वाला पानी जो नजफगढ़ झील में जाता है वह ड्रेन नं० ८ द्वारा आता है और आ कर दिल्ली के देहातों और गांवों में फैल जाता है । नजफगढ़ नाले और झील को चौड़ा करने के लिये बहुत समय से कहा जाता है, उसके लिये बड़ी भारी योजना भी बनाई गई है, लेकिन उसमें जितनी मन्द गति से हम चल रहे हैं उस के अनुसार आने वाले दस वर्षों में भी उस के पूरा होने की कोई इमकान नहीं है । मैं दिल्ली के देहातों की तरफ से खास तौर से कहना चाहता हूं और माननीय मंत्री जी से हाथ जोड़ कर निवेदन करना चाहता हूं कि वे इस सम्बन्ध में ध्यान दें और ध्यान दे कर जो दिल्ली की भारी कठिनाई है, उस को टाप प्रायारिटी दे कर, इस काम को निपटायें ।

दिल्ली के अन्दर नशाबन्दी के सम्बन्ध में हम ने एक लाख लोगों के हस्ताक्षर करवाये हैं और दिल्ली के नागरिकों ने बहुत जोर से इस बात की मांग की कि दिल्ली में नशाबन्दी की जाये । मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि एक लाख हस्ताक्षरों के साथ जो मेमोरेन्डम दिया गया, उसके बावजूद भी अभी तक इस सम्बन्ध में कोई कदम नहीं उठाया गया । मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे इस सम्बन्ध में कदम उठायें और शीघ्र ही कुछ करें ।

यह सही बात है, जैसा मैं ने ऊपर कहा, कि पानी न निकल पाने की कठिनाई हम लोगों की बहुत है, लेकिन इस के बावजूद भी दिल्ली के देहातों में बड़ी तरक्की हुई है । सन १९५९ में हमारे यहां जो खरीफ की फसल थी वह बहुत अच्छी हुई और उस के कारण ५०,००० रुपये का इनाम हमें मिला । जैसा मैं ने बतलाया कि १११ गांवों में पानी भर गया । ३०० गांव हमारे यहां हैं, उन में से १११ गांवों में पानी भर जाता है । अगर इस पानी की निकासी का इंतजाम कर दिया जाये तो हमारा प्रत्येक किसान अपना काम कर सकता है और जिस तरह से पिछली बार ५५,००० रुपये का पुरस्कार हमने जीता, मैं उम्मीद करता हूं कि उसी तरह से वह पुरस्कार पाता रहेगा ।

रिपोर्ट में कहा गया है शिक्षा के सम्बन्ध में कि हायर सैकन्डरी स्कूल खुले हैं । मैं निवेदन करता हूं माननीय मंत्री जी से कि हमारे यहां जो देहात है उन में शिक्षा की बहुत कमी है । आज दिल्ली के जो देहात हैं वे बहुत ही उदासीन हो गये हैं शिक्षा के सम्बन्ध में । पिछले साल के बारे में मैं आपको बतलाऊं । दिल्ली के देहातों में जो हायर सैकन्डरी परीक्षा का परिणाम निकला तो ३ परसेंट देहाती विद्यार्थी हायर सैकन्डरी परीक्षाओं में पास हुए । मैं चाहता हूं कि आप एक एन्क्वायरी कमेटी बिठलायें और उस को बिठला कर

यह देखें कि दिल्ली के देहात के लोगों के साथ यह भेद भाव क्यों बरता जाता है शिक्षा के सम्बन्ध में या और बातों के सम्बन्ध में ।

अब मैं अनुसूचित जाति के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। यह कहा गया है कि आप कृपा कर के इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को कुछ अनुदान वगैरह देते हैं। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी को भी अनुदान दें तो मैं समझता हूं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी आई० ए० एस० और दूसरी जो बड़ी बड़ी परीक्षायें हैं उन को पास करने के लिये विद्यार्थी यहां आयेंगे क्योंकि यह केन्द्र है और केन्द्र में सब तरफ के विद्यार्थी आसानी से आ सकते हैं और प्रशिक्षण ले कर जा सकते हैं ।

मैं दिल्ली के हिरजनों के सम्बन्ध में इतना कहना चाहता हूं कि दिल्ली के अन्दर हरिजनों की हालत अच्छी नहीं है। जहां हम देखते हैं कि बहुत सी बातों में तरक्की हो रही है, वहां हरिजन दबाये जा रहे हैं। मैं गांवों में और शहरों में गया हूं। शहरों में उन की हालत इतनी बुरी है कि उन को सिर छिपाने के लिये जगह नहीं है और वे मारे मारे फिरते हैं। मैं कई बार माननीय दातार साहब को चिट्ठियां लिखता रहा हूं। अभी थोड़े दिन हुए उन्हें लिखा कि हिरजनों को घरों से निकाल दिया गया है और वे सड़क पर पड़े हुए हैं। कारपोरेशन ने उन के लिये एक योजना भी बनाई है, सरकार ने भी उस को मंजूरी दे दी है, लेकिन सालों गुजर जाते हैं, उन के सिर छिपाने के लिये झोपड़ियां बनाने का कोई प्रबन्ध नहीं है। मेरा निवेदन है कि दिल्ली के जो हरिजन हैं उन की ओर ध्यान दिया जाय। दिल्ली एक छोटी सी जगह है, मैं ने यह सन्तोष किया था कि हम बड़े बाप के बेटे हैं, केन्द्र के साये के नीचे बैठे हुए हैं, केन्द्र के साये के नीचे रहते हैं, दातार साहब ने भी बड़ी बड़ी बातें कहीं कि कि हम दिल्ली को यह देते हैं, लेकिन वे अपनी रक्षा के लिये पुलिस पर अधिक से अधिक खर्च करते हैं। वह करते रहें, हमे कोई एतराज नहीं है। लेकिन जो यह कहते हैं कि हम दिल्ली के ऊपर खर्च करते हैं, यह तो न कहें। आज दिल्ली के किसान दुखी हैं, आज दिल्ली के हरिजन दुखी हैं। आज दिल्ली के लोगों का विचार है कि दिल्ली के निवासी जो हैं वे सुखी नहीं हैं। मेरा निवेदन है कि हरिजन के लिए आप कुछ कीजिए। मैं ने यही निवेदन किया था वर्क्स और हाउसिंग मिनिस्ट्री पर बहस के समय कि एक तरफ तो आप हमको शहर की तरह ट्रीट करते हैं और दूसरी तरफ जो गांव का इलाका है उसको गांव की तरह ट्रीट करते हैं। या तो आप हमको कारपोरेशन के बोझ से हटाकर अलग कर दीजिए और उसके लिए एक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड अलग बना दीजिए तो हमको ऐतराज नहीं होगा कि हमको शहर के कानून के नीचे दबाया जाता है। जब तक यह स्थिति जारी है दिल्ली के हरिजनों को कुछ नहीं मिल पाता। मैं ने वर्क्स एंड हाउसिंग मिनिस्ट्री की बहस के समय भी कहा था कि आप सिलेक्टेड गांवों के लिए २००० रुपये देते हैं। दिल्ली में केवल ३०० गांव हैं। जहां आप ४० हजार गावों का नव निर्माण करने जा रहे हैं वहां उनमें इन ३०० का राशि और जोड़ दीजिए और उनको ऋण दीजिए। मैं यह नहीं कहता कि उनको अनुदान या दान दिया जाए। तो मेरा निवेदन है कि या तो आप उनको गांवों की तरह ट्रीट करें या शहर की तरह ट्रीट करें। मेरा कहना है कि उनको जो मिडिल ग्रुप को कर्जा दिया जाता है वह मिलना चाहिए और ग्रामीण लोगों को दो हजार रुपए मिलने चाहिएं ।

इन शब्दों के साथ मैं मंत्री जी से हाथ जोड़ कर प्रार्थना करता हूं कि वह दिल्ली की दयनीय दशा की ओर ध्यान दें। दिल्ली की उन्नति और वृद्धि उनकी कृपा और अनुकम्पा पर निर्भर है ।

†**श्री श० ना० चतुर्वेदी** (फिरोजाबाद) : मेरा सुझाव है कि इस वाद विवाद का समय कुछ और बढ़ा दिया जाये ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : हमें निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार काम करना होगा । २½ घंटे का समय पहिले ही बढ़ा दिया गया है ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** (होशंगाबाद) : यह सदन सर्वोच्च सत्ता प्राप्त है । यदि सदन के सभी दलों के सदस्य चाहते हैं तो इसका समय बढ़ा देना चाहिये ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं समय नहीं बढ़ा सकता ।

†**श्री राधे लाल व्यास** (उज्जैन) : हम सात बजे तक बैठ सकते हैं ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : कार्य मंत्रणा समिति ने इस के लिये समय निर्धारित कर दिया है ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : कम से कम आप एक घंटा तो बढ़ा सकते हैं । माननीय मंत्री सम्भवतः इसके लिये तैयार हैं ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय गृह-कार्य मंत्री ।

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : इस बारे में सभा की जो भावना है मैं उसका आदर करता हूं । लेकिन मैं माननीय सदस्यों से निवदन करूंगा कि वे वाद विवाद का समय और बढ़ाने के प्रश्न पर बल न दें । माननीय सदस्यों ने इस मंत्रालय की मांगों की चर्चा जिस ढंग से की है उसके लिये मैं उनका आभारी हूं । कुछ माननीय सदस्यों ने बड़े भाव विभोर हो कर भाषण दिये हैं उन्हें सुनकर मुझे कुछ आश्चर्य नहीं हुआ । लेकिन इतना निवेदन करूंगा कि अब इस प्रकार के भावात्मक भाषणों का समय लद गया है । यह ठीक है कि एक जमाना था जब इस प्रकार के भाषणों का जनता पर प्रभाव हुआ करता था ।

श्री इस्माइल ने अपने भाषण में जो बातें कहीं हैं वे गलत हैं । उनका कहना है कि दिल्ली में जितने भी विस्फोट हुए वे सभी मुसलमानों के मुहल्ले में हुए जो एकदम गलत बात है । उन्होंने यह भी कहा कि इन विस्फोटों में केवल मुस्लिम जन एवं संपत्ति की ही हानि हुई है । यह भी गलत बात है । उनका कहना कि इसके लिये मुसलमानों को ही बन्दी बनाया गया—यह भी गलत बात है । वैसे तो मैं इस झगड़े में पड़ना नहीं चाहता लेकिन उनकी भ्रान्ति को दूर करने के विचार से यह कहना चाहूंगा कि दिल्ली में जो ये ७० विस्फोट हुए उनका ब्यौरा निम्न है :—

रहने वाले क्षेत्र .	८ मुस्लिम तथा ८ गैर-मुस्लिम ।
बाजार तथा दुकान आदि . .	८ मुस्लिम क्षेत्र तथा १९ गैर-मुस्लिम ।
धार्मिक स्थान . . .	६ मुस्लिम स्थान तथा ५ गैर-मुस्लिम ।
सार्वजनिक पार्क तथा अन्य स्थान .	४ मुस्लिम क्षेत्र तथा १२ गैर-मुस्लिम क्षेत्र ।

इस से यह प्रकट हो जाता है कि २६ घटनाएं मुस्लिम क्षेत्रों में तथा ४४ गैर-मुस्लिम क्षेत्रों में हुईं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

आहत व्यक्तियों के बारे में की संख्या के बारे में भी श्री इस्माइल का व्वक्तव्य गलत है : उनका व्योरा इस प्रकार है :—

मृत व्यक्ति	.	४ मुस्लिम, ४ गैर-मुस्लिम
गम्भीर रूप से घायल	.	५ मुस्लिम, १५ गैर-मुस्लिम

जहां तक बन्दी बनाये गये व्यक्तियों की बात है । श्री इस्माइल का कथन गलत भी है । कुल मिलाकर २३ मुसलमान और ५९ गैर-मुसलमानों के बन्दी बनाया गया है ।

इन बातों से इस बात का अच्छी तरह पता चल जायेगा कि हमारे माननीय सदस्य किस प्रकार तथ्यों से दूर हट गये हैं। और व्यर्थ की ही आलोचना कर रहे थे।

निवारक निरोध अधिनियम के अधीन भी उन ५० व्यक्तियों को बन्दी बनाया गया है जो नाना प्रकार को साम्प्रदायवाद की कार्यवाही कर रहे थे ।

श्री इस्माइल का कहना है कि राष्ट्रीय एकता सम्मेलन को साम्प्रदायिक तथा इसी प्रकार के अन्य मामलों पर विचार करने का कोई हक नहीं था क्योंकि ये चीजें उसके क्षेत्राधिकार में नहीं आतीं। यह सुन कर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ । विशेष रूप से आश्चर्य तो उस समय हुआ जब कि श्री हरिश्चन्द्र माथुर ने भी यही बात कही । यह तो मैं मानता हूं कि संसद सर्वोच्च है और भारत सरकार को उसके आदेशों का पालन करना है किन्तु इसके अतिरिक्त जनमत भी एक आवश्यक अंग है और यदि लोक तंत्र को सफलतापूर्वक चलाने के लिये यह आवश्यक है कि हम जनता के सभी वर्गों का विश्वास पायें । गत वर्ष इस मंत्रालय की मांगों की चर्चा करते समय मैंने इस बात का उल्लेख किया था कि हमें एक राष्ट्रीय एकता सम्मेलन बुलाना चाहिये । हम उस में सफल भी हुए । इस सम्मेलन ने कुछ सुझाव दिये । हम ने उनको क्रियान्वित भी किया और उनका प्रभाव भी पड़ा । इस सम्मेलन में सभी राज्यों के मुख्य मंत्री भी सम्मिलित हुए । प्रधान मंत्री इसकी अध्यक्षता करते हैं । मैं भी उसका सदस्य हूं। इस प्रकार हमें विचार विमर्श करने का एक विस्तृत एवं व्यापक क्षेत्र मिल जाता है । मैं आशा करता हूं कि यह सदन इसका स्वागत करेगा ।

इसलिये मैं समझता हूं कि राष्ट्रीय एकता परिषद् को सक्रिय रहना चाहिये और आवश्यक जनमत तैयार करने में लगे रहना चाहिये । राष्ट्रीय एकता सम्मेलन के समय श्री इस्माइल यहां लोक सभा में नहीं थे । इसलिये उनकी आपत्ति निराधार है कि उस सम्मेलन में मुस्लिम लीग को आमंत्रित नहीं किया गया था ।

†**श्री मु० इस्माइल** (मंजेरी) : लेकिन सभा में मुस्लिम लीग का प्रतिनिधि तो मौजूद था ।

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : जहां तक मुझे याद है, वह गम्भीर रूप से बीमार थे ।

या जो भी हो, इतना निश्चित है कि संसद् के सभी दलों के प्रतिनिधियों को उस के लिये आमंत्रित किया गया था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री लाल बहादुर शास्त्री]

राष्ट्रीय परिषद् ने एक समिति बना दी है । उसके बारे में श्री इस्माइल ने कहा था कि केवल जन संघ के और इस सभा में हिन्दू महासभा के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया था ।

उन में से एक सभा के सदस्य हैं। वह राष्ट्रीय एकता परिषद् के भी सदस्य थे ।

मैंने यह तो कभी नहीं कहा कि श्री इस्माइल या अन्य दलों के प्रतिनिधियों को समिति के सामने गवाह के रूप में पेश होना है । मैंने तो यह कहा था कि वह या अन्य दलों का कोई भी प्रतिनिधि समिति के साथ बैठ कर चर्चा कर सकते हैं। और समिति तो वास्तव में चाहेगी कि वे प्रतिनिधि आयें । व प्रतिनिधि समिति के साथ बैठ कर चर्चा करते समय, समिति के सदस्यों की तरह ही काम करेंगे । वह सलाहकार किस्म की चर्चा होगी । गवाहों की तरह साक्ष्य देने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता । मैं तो चाहता हूं कि विभिन्न दलों के प्रतिनिधि समिति के साथ सहयोग करें ।

जमीयते इस्लामी के बारे में श्री इस्माइल ने प्रश्न उठाया है, जो खेदजनक है । उनका कहना है कि जमीयते इस्लामी से सम्बंध रखने वाले सरकारी कर्मचारियों को सेवा से हटा दिया गया है। इस सम्बन्ध में मैं स्पष्ट कर दूं कि ऐसे संगठनों के बारे में हम राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा संबंधी नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही करते हैं । उन नियमों में अनिवार्य रूप से निवृत्त करने या सेवा से हटा देने की व्यवस्था है । जमीयते इस्लामी एक विशुद्ध धार्मिक संगठन नहीं है । उसका उद्देश्य इक़वते-दीन, धर्म की हुकूमत कायम करना है। उसके नेता मुसलमानों से कहते हैं कि मनुष्य के बनाये कानूनों का पालन मत करो ।

जमीयते-इस्लामी की सभाओं में मुसलमानों से जिहाद के लिये तैयार रहने को कहा जाता है । वह देश में इस्लामी राज्य स्थापित करने में यकीन रखता है । इसीलिये हम ने इस संगठन की कार्यवाहियों को राष्ट्र-विरोधी और राजद्रोहात्मक कार्यवाहियों का संगठन माना है ।

श्री इस्माइल चाहते हैं कि ऐसे संगठन के सदस्य भी सरकारी अधिकारी बने रहें । उनका आरोप था कि इस संगठन से संबंधित २० मुसलमानों को सेवा से हटा दिया गया है ।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : यही सही निति है ।

†**श्री नाथ पाई** (राजापुर) : ऐसे एक-एक व्यक्ति को चुन-चुन कर निकाल देना चाहिये ।

†**श्री शं० शा० मोरे** (पूना) : सरकार दंड विधि (संशोधन) अधिनियम के अन्तर्गत उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : और, मैं यह भी बतला दूं कि पाकिस्तान में इस जमीयते-इस्लामी पर प्रतिबन्ध लगा हुआ है । हम भी उसके बारे में सतर्क हैं, और आवश्यकता पड़ने पर उसके विरुद्ध कार्यवाही करेंगे । इसलिये नहीं कि वह एक समुदाय विशेष का संगठन है । वैसा ख्याल तो हमारे दिमाग में आया ही नहीं । राज्य के स्थायित्व

---

†मूल अंग्रेजी में

और उसकी सुरक्षा को खतरा पहुंचाने वाले हर संगठन के विरुद्ध, वह चाहे जिस समुदाय का हो, सख्त कार्यवाही की जायेगी।

†**श्री पालीवाल** (हिन्डौन) : क्या सरकार को इस बात पर शक है कि यह संगठन देश के हितों के विरुद्ध काम कर रहा है ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : बिलकुल नहीं। माननीय सदस्य शायद यह सोच रहे हैं कि फिर उसे गैर-सरकारी-कानूनी घोषित क्यों नहीं किया जाता। उसका निर्णय तो हमें अन्य कई बातों और संगठनों को देखते हुए करना पड़ेगा। इतना स्पष्ट है कि हम इसे एक खतरनाक संगठन मानते हैं। सरकार उस के प्रति सतर्क रहेगी और परिस्थिति के अनुसार आवश्यक कार्य करती रहेगी।

†**श्री श० ना० चतुर्वेदी** (फिरोजाबाद) : मुस्लिम लीग ने देश का विभाजन कराया है, फिर भी आप उसे देश में काम करने की अनुमति क्यों देते हैं? इतनी हानि पहुंचाने के बाद भी, वह देश में फलफूल कैसे रही है ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : मैं अभी इस प्रश्न के बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहता। और पता नहीं बाद में भी कह सकूंगा या नहीं। इतना जरूर बता सकता हूं कि सरकार विभिन्न साम्प्रदायिक संगठनों को गैर-कानूनी घोषित करने के प्रश्न पर विचार कर रही है। कांग्रेस के विधायकों ने भी इस पर विचार किया और कर रहे हैं। राष्ट्रीय एकता परिषद् ने इसी प्रश्न पर विचार करने के लिये अलग से एक समिति नियुक्त की है। हम हड़बड़ी में कुछ नहीं करना चाहते। जो भी किया जायेगा काफी सोच विचार के बाद, दृढ़ता से किया जायेगा।

वैसे श्री इस्माइल ने देश की एकता, इत्यादि की बातें तो की हैं, पर मुझे बताया गया है कि वह द्रविड़ कषगम दल के अतिरिक्त अन्य किसी भी दल से हाथ मिलाने को तैयार नहीं हैं।

†**श्री मु० इस्माइल** यह सही नहीं है।

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : मुझे विश्वस्त सूत्र से यही बताया गया है। श्री इस्माइल ने विभिन्न निर्वाचनों क्षेत्रों में घूम-घूम कर काषगम के उम्मीदवारों का पूरा समर्थन किया है।

†**सिंचाई और विद्युत् मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री अलगेशन)** : यह बिलकुल सही बात है।

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : मेरे सहयोगी को उसका सामना करना पड़ा रहा था। उनसे ज्यादा ठीक और कौन बता सकेगा ?

†**श्री मु० इस्माइल** : मुस्लिम लीग ने कई अन्य दलों के उमीदवारो का भी समर्थन किया था।

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : ठीक है। पर मुस्लिम लीग ने पूरी तौर पर उन उम्मीदवारों का ही समर्थन किया था जो देश के विघटन के लिये सक्रिय हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री लाल बहादुर शास्त्री]

मेरा अनुरोध है कि श्री इस्माइल इस मामले पर ठण्डे दिमाग से विचार करें। एक ओर तो उन्होंने मुस्लिम लीग बना कर देश के सबसे बड़े दो समुदायों में--हिन्दुओं और मुसलमानों में--कटुता पैदा की है। दूसरी ओर वह एक ऐसे संगठन का समर्थन करते हैं जो देश के भागों को संघ से बाहर कराने का उद्देश्य लेकर चलते हैं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि मुस्लिम लीग उन दलों का ही समर्थन करती है, जो देश की एकता और सुदृढ़ता के विरुद्ध काम करते हों। कल श्री मोहसिन ने कहा था कि साम्प्रदायिकता की दृष्टि से दक्षिण भारत शान्त है। लेकिन श्री मोहसिन को यह भी नहीं भूलना चाहिये कि मुस्लिम लीग को नये नेता दक्षिण भारत से ही मिले हैं। श्री इस्माइल मद्रास के हैं।

श्री इस्माइल ने पिछले दो वर्ष में मुस्लिम लीग को पूरे देश में फैलाने की कोशिश की है। पहले वह केरल तक ही सीमित थी।

†**श्री राम सेवक यादव** (बाराबंकी) : आपने तो केरल में मुस्लिम लीग के साथ गठ-जोड़ किया था।

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : मैं उससे इन्कार नहीं करता। मैं भी उसका भागीदार रहा हूं। अभी मेरे कहने का मतलब यह था कि मुस्लिम लीग का कार्य केरल तक ही सीमित था।

†**श्री मु० इस्माइल** : जी, नहीं।

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है, केरल में मुस्लिम लीग साम्प्रदायिक ढंग की कार्यवाहियां नहीं करती थी। करती हो तो दूसरी बात है, लेकिन आम तौर पर दूसरों के साथ मिलजुल कर काम करती थी। केरल के विकास में उसका विश्वास था। वह केरल में एक ऐसा राज्य नहीं चाहती थी जिसे वह या राज्य की जनता पसंद न करे। उसने इसी के लिये अन्य दलों के साथ सहयोग किया था। लेकिन दुःख की बात है कि श्री इस्माइल ने उसे केरल में ही नहीं, अन्य राज्यों में भी उसे गति से नहीं चलने दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने उसे उत्तर प्रदेश, बिहार, बम्बई और मद्रास, इत्यादि राज्यों में फैलाने की चेष्टा की है।

हां, मद्रास में वह पहले से भी थी, पर काफी अर्से तक वह श्री इस्माइल के आसपास के चन्द लोगों तक ही सीमित थी। दुर्भाग्य की बात है कि श्री इस्माइल ने अब फिर इस तरह देश के सामने कठिनाइयां पैदा करने का प्रयास शुरु कर दिया है।

श्री माथुर और कुछ अन्य सदस्यों ने सेवाओं का प्रश्न उठाया था। हम विस्तार का एक बड़ा कार्यक्रम क्रमशः कार्यान्वित कर रहे हैं। हमारा कार्यक्रम मुख्यतया आर्थिक है। सेवाओं को उसकी कार्यान्विति में एक महत्वपूर्ण पार्ट अदा करना है।

यह सही है कि कार्यक्रम की कार्यान्विति के लिये प्राविधिक और अप्राविधिक दोनों प्रकार के अपेक्षित अधिकारियों की बड़ी कमी है। फिर भी प्रशासन की दृष्टि से निसंदेह ही भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा ही बुनियादी सेवायें हैं। मंत्रालय ने गत वर्ष प्रशासकीय सुधार के प्रश्न पर काफी विचार किया है। हम चाहते हैं कि देश में और अच्छी लोक सेवा हो।

---

†मूल अंग्रेजी में

इन दोनों सेवाओं का काम निरन्तर बढ़ता गया है और बढ़ती हुई मांग के अनुपात में कभी-कभी भर्ती पिछड़ भी गई है। इसीलिये दो बार हमें विशेष भर्ती करनी पड़ी थी। अब पूरे प्रश्न पर बारीकी से विचार करने के बाद यही निष्कर्ष निकाला गया है कि सीधी भर्ती के कोटे में २६४ की कमी है। इसलिये उनकी सीधी भर्ती करने का निर्णय किया गया है। लेकिन इस कमी को पूरी तौर पर सीधी भर्ती द्वारा भरना व्यावहारिक नहीं होगा। इससे यह खतरा पैदा हो जाता है कि भरती किये जाने वाले व्यक्तियों की योग्यता का स्तर गिर न पाये, क्योंकि फिर अर्हता प्राप्त लोगों की सूची में नीचे आने वाले उम्मीदवारों को भी भर्ती करना पड़ेगा।

फिर, सीधी भर्ती द्वारा लिये गये उम्मीदवारों को प्रशिक्षित करने और वरिष्ठ पदों का भार संभालने योग्य बनाने में लगभग पांच वर्ष लग जाते हैं। दूसरी ओर विशेष भर्ती द्वारा लेने की प्रणाली की भी अपनी कुछ खामियां हैं। इसीलिये तय किया गया है कि इस कमी को कुछ सीमित प्रतियोगी परीक्षाओं द्वारा चुनाव करके पूरा किया जाय, जो कुछ समय तक नियमित रूप से होती रहें। इससे नये अधिकारियों को परीक्षाओं में बैठने का अवसर मिल जायेगा। और भारतीय प्रशासनिक सेवा को उससे विभिन्न अनुभव सम्पन्न लोगों का योग मिल जायेगा।

अभी इस पर राज्य सरकारों के साथ विचार-विमर्श हो रहा है; अन्तिम निर्णय नहीं हुआ है। ब्रिटेन में अभी यह प्रणाली अपनाई जाती है। भारतीय प्रशासनिक सेवा की अपेक्षाओं और उसके अधिकारियों की संख्या के बीच बढ़ती खाई को भरने के लिये हमें समय रहते कदम उठाने चाहियें।

सीधी भर्ती किये जाने वाले अधिकारियों की संख्या भी बढ़ाई जायेगी। एक शिकायत यह की गई थी कि जिन भारतीय प्रशासनिक सेवा के और आई० सी० एस० अधिकारियों की नियुक्ति दिल्ली में हो जाती है, फिर वे दिल्ली से हटना नहीं चाहते और उसके लिये जोड़-तोड़ करते रहते हैं। हमने ऐसे दो मामलों में कार्यवाही की है। हम यही कोशिश कर रहे हैं कि उनके तबादले बारी-बारी से होते रहें।

दूसरी चीज यह है कि विभिन्न राज्यों का कोटा पूरा होना चाहिये। लेकिन इसका यह मतलब भी तो नहीं कि राज्य के प्रत्येक अधिकारी को बारी-बारी से केन्द्र में लाने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा। वे चाहे उसके योग्य हों, या नहीं। गुण-दोष के आधार पर ही उनके मामलों पर विचार किया जायेगा। हमारी इच्छा यही है कि प्रत्येक राज्य का जितना कोटा निर्धारित कर दिया गया है, उतने ही अधिकारी उस राज्य से केन्द्र के लिये लाये जा सकें।

अभी तक तो हम राज्यों के अधिकारियों को बारी-बारी से लिखापढ़ी करके बुलाते रहते थे। लेकिन अब मैंने गृह-कार्य मंत्रालय के संस्थापन अधिकारी को परामर्श दिया है कि वह विभिन्न राज्यों में स्वयं जा कर राज्य सरकारों से सलाह-मशवरा करें और स्वयं देखें कि किन अधिकारियों को केन्द्र में लाना ज्यादा उपयोगी होगा। यह राज्य और केन्द्र दोनों के लिये उपयोगी होगा। मैं चाहता हूं कि यह नियमित रूप से किया जाये और आगे भी होता रहे। हम इस प्रकार केन्द्र में अधिकारियों की कमी को पूर्ति करने और कुछ वर्ष उन अधिकारियों को उनके राज्यों में वापस भेजने की योजना चला रहे हैं।

[श्री लाल बहादुर शास्त्री]

मैं श्री माथुर को बता दूं कि पिछले तीन वर्ष में लगभग १२७ आई० सी० एस० और आई० ए० एस० अधिकारी अपने राज्यों मे वापस गये हैं।

वे आई० सी० एस० और आई० ए० एस० अधिकारी थे। और उनकी संख्या १२७ है। ऐसे अधिकारी आम तौर पर राज्यों में वापस जाना पसन्द नहीं करते। और हमें भी वैसे अनुभवी अधिकारियों की बड़ी आवश्यकता है। पर हम नहीं चाहते कि ऐसा कोई नियम बन जाये। इसलिये मंत्रिमण्डल सचिव और गृह सचिव दोनों ही इसके प्रति सतर्क रहते हैं।

श्री माथुर ने कहा था कि बच्चा अधिकारियों या छोकरा अधिकारियों . . .

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** (जालोर) : मैंने यह नहीं कहा था। मैंने कहा था कि चार वर्ष का अनुभव रखने वाले अधिकारियों को भेजा जाता है।

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : इसकी बड़ी सावधानी से जांच की गई है। गृह-कार्य मंत्रालय ने उसके बाद ही मुझे बतलाया है कि सीधी भर्ती द्वारा आने वाले कलैक्टरों को भी कम से कम सात वर्ष का अनुभव रहता है। हो सकता है कि कुछ राज्यों में इससे थोड़े कम अनुभव वाले भी कलैक्टर बना दिये जाते हों।

इसका मुख्य कारण यही है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा में अधिकारियों की संख्या उनकी मांग की तुलना में काफी कम है। उसकी पूर्ति करने के लिये ही कुछ वरिष्ठ अधिकारियों को इस तरह अवसर दिया जाता है। और कोई धारा भी नहीं। मैं श्री माथुर की यह बात नहीं मानता कि इस प्रकार भर्ती होने वाले अधिकारी अच्छे नहीं निकलते।

उनकी इच्छा है कि अनुभवी अधिकारी जिलों के इंचार्ज बनें। परन्तु वह स्वयं भी अनुभव करेंगे कि अधिकारियों की भी कितनी कमी है। कई बार ऐसा भी होता है कि युवक अधिकारी बड़ी दलेरी से काम लेते हैं। यद्यपि मेरे लिये यह कहना शोभा की बात ही नहीं परन्तु यह सत्य है कि कई अधिकारी ठीक प्रकार से कार्यवाही नहीं करते। और जो अधिकार उन्हें दिये गये हैं उनका साहसपूर्ण प्रयोग नहीं कर पाते। मेरा निवेदन है कि यदि कुछ अधिकारी, जो कम वर्षों की सेवा के कारण कम अनुभवी हों, जिलों में कलक्टर नियुक्त किये जाते हैं तो उसका मुख्य कारण अधिकारियों की कमी ही है। परन्तु यह कहना ठीक नहीं है कि वे सभी अच्छे नहीं हैं। वास्तविकता यह है कि कभी कभी युवक अधिकारियों ने आगे आ कर कमाल का साहस प्रदर्शित किया है। अंग्रेज़ों के समय में भी छः वर्ष के अनुभव के पश्चात् जिलाधिकारी नियुक्त किया जाता था। वैसे भी युवक अधिकारियों को अवसर दिये ही जाने चाहियें ताकि वे अपना साहस और योग्यता दिखा सकें।

राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी का उल्लेख किया गया है। वैसे देखा जाय तो हमारे आस पास के पड़ौसी देशों मे ऐसी कोई बात नहीं है। परन्तु पूर्वाधिकारी स्वर्गीय पं० गोविन्द बल्लभ पन्त जी ने इस मामले में हमारा नेतृत्व किया है। प्रशासन के इतिहास में यह एक बहुत बड़ी बात है। हां यह मैं मानता हूं कि हमें इस दिशा में जो कुछ करना चाहिये था वह हम कर नहीं पाये हैं। मैसूरी की अकादमी में १९५९ में कार्य आरम्भ किया गया था। उस समय वहां ११५

†मूल अंग्रेजी में

अधिकारी थे। बाद में भर्ती किये जाने वालों की संख्या उत्तरोत्तर बढ़ती गयी। इस वर्ष यह संख्या ३१५ हैं। हमें अतिरिक्त स्टाफ़ की भी व्यवस्था करनी पड़ी है और तीन अनुसंधान अधिकारी भी नियुक्त किये गये हैं। हमने यह निश्चय किया है कि अकादमी के कार्य का पुनर्गठन किया जाये। और उसे आगे बढ़ाया जाये। हमने यह भी निर्णय किया है कि उच्च प्रशिक्षण का भी सुधारा जाय। इसके लिये एक सलाहकार समिति भी नियुक्त किये जाने पर विचार किया जायेगा। जिसमें कि गैर-सरकारी लोगों को भी लिया जायेगा। कर्मचारियों का प्रशिक्षण, 'रिफ्रेशर कोर्स' देने की व्यवस्था करने पर भी विचार कर रहे हैं। विचार है कि इसके लिये गृह-कार्य मंत्रालय में एक प्रशिक्षण कक्ष स्थापित किया जाये।

न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया से तो आप परिचित ही हैं। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति सुस्थापित प्रक्रिया के अनुसार की जाती है। गत वर्ष २९ स्थायी न्यायाधीश तथा २३ अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किये गये हैं। चाहे इसे हमारे विभाग के हित की बात समझें चाहें सारे देश के हित की बात, ऐसा एक भी मामला नहीं है जिसमें हमारा भारत के मुख्य न्यायाधिपति के साथ मतभेद रहा हो। मेरा निवेदन है कि उन मामलों का आलोचना करना और न्यायपालिका में गलतफहमी पैदा करना ठीक नहीं है। शेष कार्य को समाप्त करने की दिशा में भी उच्चतम न्यायालय की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। परन्तु कुछ न्यायालयों विशेषकर इलाहाबाद और कलकत्ता के उच्च न्यायालयों की स्थिति सन्तोषजनक नहीं है। हम भारत के मुख्य न्यायाधिपति के साथ विचार विमर्श कर रहे हैं और इस दिशा में कुछ पग उठाने में प्रयत्नशील हैं। हम इस प्रश्न पर भी विचार कर रहे हैं कि विधि आयोग की प्रक्रिया को भी सरल से सरल बना दिया जाये। ३० अप्रैल, १९६२ को उच्चतम न्यायालय के पास १६३१ मामले शेष थे। उनमें से ८५ तो तीन वर्ष पुराने थे। ६१३ एक वर्ष से भी अधिक पुराने थे और शेष एक वर्ष से कम पुराने थे।

इसके पश्चात् इस विषय का महत्वपूर्ण मामला न्यायाधीशों की तबदीली का है। एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में तबदील करने का। गत राष्ट्रीय एकता सम्मेलन में भी यह मत प्रकट किया गया था कि न्यायाधीशों को एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजा जाना चाहिए। यह निश्चय किया गया है कि उन्हें जहां भी भेजा जायेगा वहां उन्हें घर मुफ्त दिया जायेगा। क्योंकि हमें उनकी कठिनाइयों को भी अनुभव करना है और यह भी समझना है कि न्यायाधीशों का तबादला उच्च न्यायालयों के भी हित में है और जनता के भी हित में है। सेवा निवृत्त होने पर न्यायाधीशों को अपने राज्यों में वकालत करने की अनुमति दी जानी चाहिए अथवा नहीं, यह मामला भी विचारणीय है। सेवा निवृत्ति में अथवा वकालत करने में कुछ अवधि रखी जानी चाहिए। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि न्यायपालिका लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण अंग है। अतः मेरा निवेदन है कि हम इस सम्बन्ध में न्यायाधीशों द्वारा बताई गयी कुछ कठिनाइयों को दूर करने और उनको अन्य राज्यों में कार्य करने के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयत्न कर रहे है। इस सम्बन्ध में यह भी उल्लेख कर देना चाहता हूं कि हमने न्यायाधीशों को सेवानिवृत्त करने की आयु को ६० से बढ़ा कर ६२ कर दिया है।

राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश थी कि प्रत्येक राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या का एक तिहाई बाहर के राज्यों से होना चाहिए। हम इस सम्बन्ध में भी पूर्ण रूप से प्रयत्नशील हैं। यद्यपि हम बहुत सीमा तक सफल नहीं हो रहे।

[श्री लाल बहादुर शास्त्री]

अब मैं पुलिस के प्रश्न की ओर आता हूं। पुलिस वाले बड़ी कड़ी सेवा प्रस्तुत करते हैं। केवल पुलिस ही की बुराई करते जाना उचित नहीं। मैं स्वीकार करता हूं कि पुलिस में कमियां हैं। परन्तु यह बात भी हमें स्वीकार करनी ही चाहिए कि आज देश में जो शांति और सुरक्षा है वह इसी पुलिस के ही कारण है। पुलिस आन्तरिक शांति बनाये रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। इसके साथ ही हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि जबकि हमारी सेनायें कुछ अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में लगी हुई हैं पुलिस हमारी सीमाओं पर बहुत ही प्रशंसनीय कार्य कर रही है। जब पुलिस गोली चलाती है तो उसकी निन्दा की जाती है। मुझे इस प्रश्न ने काफी परेशान किया है परन्तु मैं इसका कोई हल नहीं निकाल सका। इस प्रश्न पर विचार किया जाता रहा है कि गोली चलाये बिना ही व्यवस्था को ठीक रखा जा सके। यह ठीक है कि चाहे गोली चलाना प्रत्येक समय ठीक न समझा जाये, परन्तु ऐसी स्थितियां अवश्य पैदा हो जाती हैं जबकि नियन्त्रण रखने के लिए कड़ा कार्यवाही करना तथा गोली चलाना बड़ा जरूरी हो जाता है। जब गोली चलाने की घटनायें बहुत बड़ी हुई हैं तो हमने उनकी न्यायिक जांच के आदेश दिये हैं। अंडमान की गोली कांड की भी न्यायिक जांच अवश्य होगी। मेरा निवेदन है कि १९६० में छः घटनाओं की न्यायिक जांच करवाई गयी है। और जांच के परिणाम स्वरूप इन सब में गोली चलाने को उचित ठहराया गया है। १९६१ में तीन इसी तरह के मामलों की न्यायिक जांच हुई। उनमें से दो में तो गोली चलाना उचित ठहराया गया और तीसरी का परिणाम अभी ज्ञात नहीं। एक बात याद रखना चाहिए कि यह गोली चलाने का कृत्य केवल कांग्रेस दल के ही जिम्मे नहीं आया। केरल की साम्यवादी सरकार ने भी यह कृत्य किये हैं। मार्च १९५४ से फरवरी १९५५ तक वहां तीन बार पुलिस को गोली चलानी पड़ी।

१९६१ में ऐसी तीन जांचें हुईं, जिनमें से दो के सम्बन्ध से गोली चलाना उचित पाया गया और तीसरी जांच के नतीजे का नहीं पता है। जब कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य या कामत या प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य बोलते हैं तो वे कांग्रेस दल और कांग्रेस सरकार पर गोली चलाने इत्यादि का दोष लगाते हैं। जब प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का केरल में मंत्री मंडल था तो मार्च १९५४ से फर्वरी, १९५५ तक तीन बार पुलिस द्वारा गोली चलाई गई।

†**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** (बलरामपुर): यह दुर्भाग्यवश है। हमें इसका अफसोस है।

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री**: मैं इसे बुरा नहीं कहता, परन्तु यह बात मत फैलाओ कि कांग्रेस सरकार केवल गोली चलाने, लाठी चलाने इत्यादि से शासन करती है।

†**श्री हरि विष्णु कामत**: सदन को बताओ कि हमने क्या किया और आप क्या कर रहे हैं?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री**: यदि समय हुआ तो अवश्य बताऊंगा। मैं केवल यह कह रहा हूं कि जब प्रजा सोशलिस्ट पार्टी केरल पर राज्य करती थी, तो तीन बार पुलिस द्वारा गोली चलाई गई और जब ऐप्रेल, १९५७ से जुलाई, १९५९ तक कम्युनिस्ट मंत्रीमंडल था तो १० बार गोली चली। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि कभी ऐसी परिस्थिति होती है

†मूल अंग्रेजी में

जब कि बिना सख्त कार्यवाई किए कोई सरकार उसे काबू नहीं कर सकती। अत. हमें मामलों पर ठण्डे दिल से विचार करना है और उनके हल मालूम करने की कोशिश करनी है।

केरल में एक समिति नियुक्त की गई थी, जिसके सभापति श्री कामत थे और उस समिति ने प्रतिवेदन में कहा था कि पुलिस को अवैध रूप से इकट्ठे हुए लोगों को बिखरने के लिए गोली न चलाएं, जब तक कि वे लोग इतनी गड़बड़ न करें कि साधारण जीवन के काम न रुक जाएं। यातायात का दूसरी तरफ न बदला जा सके और किसी दूसरे ढंग से भीड़ को न हटाया जा सके।

मुझे आश्चर्य है कि उन्होंने यह सुझाव दिया कि जब यातायात रुक जाए या यातायात को दूसरी ओर न बदला जा सके तो शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। हम घण्टों तक यातायात को रुका रहने दें। हम यह सलाह नहीं देंगे कि गोली चलानी चाहिए या शक्ति का प्रयोग करना चाहिए।

†**श्री हरिविष्णु कामत** : समिति ने किस प्रकार की शक्ति की सिफारिश की है। ऐसा सदन को बताइए। या सारी बात पढ़िए या बिल्कुल न पढ़िए।

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : मैं सदस्यों को निमंत्रण देता हूं और मैं स्वयं भी सारे प्रतिवेदन को भी पढ़ूंगा। परन्तु क्या श्री कामत कह सकते हैं कि किसी भी हालत में वे गोली नहीं चलाने देंगे।

†**श्री हरिविष्णु कामत** : मैं ने ऐसा नहीं कहा है। समिति ने भी ऐसा नहीं कहा है।

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : बुनियादी बात यह है कि क्या गोली चलानी चाहिए या नहीं। यदि न चलाई जा सके तो इसके लिए हल बताइये। यदि नहीं, तो हमें हर मामले को उस के गुणों के अनुसार देखना है।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : क्या कांग्रेस दल या सरकार ने पुलिस के लिए कोई कार्य संहिता बनाया है ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : दुर्भाग्यवश मैं गृह मंत्री का काम कर रहा हूं। हम ने राज्य सरकारों को हिदायतें जारी की हुई हैं कि उन को लोगों के इकट्ठा होने से पूर्व क्या करना चाहिए; उन्हें रोक थाम के लिए क्या कार्यवाही करनी चाहिए, लोगों के साथ कैसा सम्पर्क रखना चाहिए और सम्बन्धित दल से कैसे सम्पर्क रखना चाहिए इत्यादि।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : क्या यह गोपनीय लेख है ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : यह बिकुल गोपनीय लेख्य है। हम ने राज्य सरकारों से कहा है कि इस के विषय में किसी को पता नहीं लगना चाहिए। उसे श्री कामत और उन के मित्रों द्वारा नहीं देखा जाना चाहिए। हम ने राज्य सरकरों और संघ प्रशासित क्षेत्रों को कहा है कि बड़े ध्यानपूर्वक काम करें और विस्तृत हिदायतें जारी कर दी थीं। हमारी कठिनाई राजनैतिक दल है। जब राजनैतिक दलों के नेता आन्दोलनों में भाग लेना आरम्भ कर देते हैं या स्वयं आन्दोलन आरम्भ करते हैं तो कठिनाई होती है। चुनाव समाप्त हो गये हैं, परन्तु आन्दोलन आरम्भ करने के बारे में भाषण दिये जा रहे हैं। चुनाव हो गये हैं। यहां संसद् है और राज्यों में विधान सभाएं हैं। अपनी परिवेदनाओं को विधान सभाओं या संसद द्वारा कहो।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हरि विष्णु कामत** : क्या माननीय मंत्री का यह विचार है कि सदन के बाहर आन्दोलन लोकतंत्र के विरुद्ध है ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : मेरा यह सुझाव नहीं है। मेरा मतलब यह है कि सार्वजनिक बैठकें बुलाओ, संकल्प पास करो, स्मरण पत्र पेश करो और अपनी परिवेदनाओं को विधान सभाओं या संसद द्वारा बतलाओ। प्राधिकार से चर्चा करने के और भी मौके हैं।

†**श्री नम्बियार** (तिरुचिरापल्लि) : केरल में विमोचन स्मारम से बचा जा सकता था। अब आप जो प्रचार कर रहे हैं, आप ने उस का पालन नहीं किया।

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : मैं सदैव इस का प्रचार करता रहा हूं और करूंगा। मैं पहले यह कांग्रेस का उत्तरदायित्व समझता हूं कि वे आन्दोलन, प्रदर्शन और हिंसात्मक कार्यवाहियां न करें। मुझे पता है कांग्रेस ऐसा नहीं करती है।

†**श्री नम्बियार** : आप ने केरल में क्या किया ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : केरल में प्रदर्शन बिलकुल शान्तिमय था। यह आप के कारनामों के कारण ही था। केरल सरकार के कामों ने ही हजारों लोगों को एकत्रित कर दिया। कांग्रेस उस समय बहुत लोकप्रिय नहीं थी। हजारों लोग इकट्ठे हुए, रातें बैठे और संकल्प पास किये कि केरल में कम्युनिस्ट सरकार खत्म हो जानी चाहिए। यह कैसे हुआ ? कोई हिंसात्मक कार्यवाही नहीं थी।

†**श्री अ० क० गोपालन** (कासरगोड़) : क्या कांग्रेस का आन्दोलन से कोई सम्बन्ध नहीं था।

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : स्वभावतः कांग्रेस की सहानुभूति अवश्य होगी। क्योंकि हमें महसूस हुआ कि वहां सरकार लोकतंत्रीय ढंग से नहीं काम कर रही थी इसलिए हमारी सहानुभूति थी और इन परिस्थितियों में प्रत्येक दल को किसी राज्य विशेष पर शासन की इच्छा होनी चाहिए।

†**श्री अ० क० गोपालन** : जब वहां स्कूलों और बसों को आग लगा दी गई, तो क्या कांग्रेस ने कहा था कि ऐसी बातें नहीं करनी चाहिएं।

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : हम ने ऐसा किया था। यदि मुझे ठीक याद हो तो कांग्रेस के नेताओं ने इसे बुरा कहा था। मैं कुछ नहीं कहना चाहता, परन्तु श्री नम्बियार ने मजबूर कर दिया। मेरी बात यह है कि क्या वर्तमान परिस्थितियों में जब कि चुनाव हो चुके हैं, आन्दोलन इत्यादि करना जिस का नतीजा गड़बड़ होता है और पुलिस को बुरा कहना और उसे चुप बैठे रहने के लिए कहना उचित है। मेरा दलों से निवेदन है कि वे ठण्डे दिल से इस पर विचार करें और ऐसी परिस्थितियां न पैदा करें जिस में सरकार को वैसी कार्यवाही करनी पड़े जो वह न चाहती हो।

मैं इस सम्बन्ध में जनमत बनाना चाहता हूं। यह दुर्भाग्य है कि समाज के अच्छे भाग इन मामलों में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। इस का नतीजा यह है कि एक तरफ की बुराई होती है। सरकार और प्रशासन को बदनाम करिये। पूरी स्वतंत्रता है और मैं उस से इन्कार नहीं करता हूं। परन्तु जनमत सही तरीके से बनाना है। लोगों की सही शिक्षा होनी चाहिए। यह कौन कर

---

†मूल अंग्रेजी में

कर सकता है गैर-सरकारी लोग ऐसा कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि गैर-सरकारी संघटनों को संतुलित राय बनानी चाहिए। उन को सरकार की और दूसरों की यथोचित आलोचना करनी चाहिए।

†**श्री का० रा० गुप्त** (अलवर) : क्या आप का यह मतलब है कि गैर-राजनैतिक संस्था होनी चाहिए।

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : गैर-राजनैतिक संस्था निश्चय हो सकती है। असैनिक स्वाधीनता संस्था (सिविल लिबर्टी असौसियेशन) गैर-राजनैतिक संस्था थी। इससे केवल कांग्रेस का ही सम्बन्ध नहीं था। इस में वकील और डाक्टर भी थे। अतः राजनैतिक दलों को ही इसका एकाधिकार नहीं होना चाहिए। यह अच्छा है कि जो लोग इन से दूर रहते हैं वे ऐसी संस्थाएं बनायें और अपने विचार प्रकट करें।

इस सम्बन्ध में समाचारपत्र हमारी सहायता कर सकते हैं। गोली चलाने आदि के मामले मे उन्होंने सदैव सही राय नहीं ली है। समाचारपत्रों को इस बात पर विचार करना चाहिए कि जब ऐसी असाधारण स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं तो उन्हें लोगों का किस तरह पथ-प्रदर्शन करना चाहिए। वे लोग हमारी आलोचना करते हैं और वे जो कहते हैं उस की ओर हम विशेष ध्यान देते हैं। पक्षपात वाली आलोचना नहीं होनी चाहिए। यदि समाचारपत्र लोकप्रिय ही होना चाहेगा तो यह देश हित के विरुद्ध होगा।

विशेष पुलिस संस्थान ने अच्छा काम किया है। मैं इस बात से सहमत हूं कि इस की संख्या को बढ़ाना है। मैं मार्च, १९६२ का प्रतिवेदन देख रहा था एक महीने में विशेष पुलिस संस्थापन ने १६१ नई जानकारियां प्राप्त कीं--९६ रेलवे मंत्रालय, १४ परिवहन और संचार मंत्रालय, १० वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, ९ प्रतिरक्षा मंत्रालय और ५ निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय के बारे में थीं। प्रायः ऐसा कहा गया है कि राजपत्रित पदाधिकारियों को छोड़ा जाता है। इन में से 'करारराजर आफ स्टोर्स' 'डिप्टी डायरैक्टर्ज़, 'असिस्टैंट्स मैकैनिकल इंजीनीयर', 'वर्क्स इंजीनीयर' और 'सुपरिन्टैंडैंट्स ऐक्साईज़' इत्यादि थे। मार्च, १९६२ में २६ मामले जिनका निर्णय कचहरी ने किया, १७ मामलों में दोषसिद्धि हुई। एक राजपत्रित पदाधिकारी को ६ महीने की सख्त कैद दी गई और १०,००० रुपये जुर्माना किया गया। एक राजपत्रित पदाधिकारी को नौकरी से पदच्युत कर दिया गया और तीन को नौकरी से हटा दिया गया। अराजपत्रित पदाधिकारियों में से ८ को नौकरी से पदच्युत कर दिया गया, ६ को नौकरी से हटा दिया गया। इस के अतिरिक्त और सजाएं भी दी गईं। १९६१ में विशेष पुलिस संस्थापन ने ६३६ पदाधिकारियों के बारे में कार्यवाही की जिन में से १५ प्रतिशत राजपत्रित अधिकारी थे। मेरे विचार में यह असंतोषजनक नहीं है।

विशेष पुलिस संस्थापन और राज्य भ्रष्टाचार विरोधी विभागों द्वारा ध्यानपूर्वक अध्ययन का नतीजा यह है कि हमारा कार्यवाही करने का इरादा है। कुछ मामलों पर आगे विचार हो रहा है। भ्रष्टाचार अधिनियम और दण्ड प्रक्रिया संहिता के संशोधन के लिए प्रस्तावनाएं बनाई गई हैं और इन पर राज्य सरकारों के विचार मांगे गये हैं। कुछ सेवा नियमों के संशोधन पर भी विचार हो रहा है। यदि सरकारी कर्मचारियों, जिन की २५ वर्ष की नौकरी हो गई हो या जिन की आयु ५० वर्ष की हो गई हो, पर भ्रष्टाचार की शंका हो तो उन्हें जबरदस्ती सेवानिवृत्त कर दिया जायेगा। संविधान के अनुच्छेद ३११ के संशोधन पर भी विचार किया जा रहा है ताकि अनुशासन के गम्भीर मामलों में शीघ्र कार्यवाही की जा सके। विभागीय कार्यवाही करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के प्रश्न पर भी विचार किया जा रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री लाल बहादुर शास्त्री]

निगमित सार्वजनिक उपायों के मूल्य को देखते हुए ऐसे उपायों पर सरकारी प्रबन्ध लागू करने के लिये कुछ कार्यवाही हो चुकी है और आगे कार्यवाही के लिये हमें सलाह देने के लिये विशेष अधिकारी मामले की पूरी जांच कर रहे हैं ।

मेरे विचार पर मामला पदाधिकारियों के हाथों में नहीं छोड़ना चाहिए । उनके और तजुरबे वाले सार्वजनिक व्यक्तियों में विचार विमर्श होना चाहिए । मैंने सुझाव दिया है कि भ्रष्टाचार की बुराइयों के महत्वपूर्ण पहलुओं पर औपचारिक समिति विचार करेगी । मैं इसे औपचारिक समिति नहीं बनाना चाहता और न ही इसके प्रतिवेदन की परीक्षा करना चाहता हूं । चूंकि हमें समस्याओं का पता है, इसलिये उनके समाधान के लिए कार्यवाही करनी चाहिए । इसलिए मेरी प्रार्थना है कि कुछ संसद सदस्य और यदि संभव हो तो सार्वजनिक व्यक्ति भ्रष्टाचार की समस्या के पुनर्वलोकन और सुझाव देने के लिए पदाधिकारियों से बातचीत करें ।

इस संस्था को भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिए जनता की सहायता और सहयोग प्राप्त करने का काम सौंपा जाए । मैंने इस समिति के विचार के लिए इन बातों का सुझाव दिया है । सचिवों और विभागों के मुख्य अधिकारियों के सतर्कता के काम की ओर अधिक ध्यान देना चाहिए । यदि विशेष पुलिस संस्थापन का मुख्य पदाधिकारी सम्बन्धित मंत्रालयों की अनुमति से सतर्कता संस्थाओं के काम का समय समय पर देख सके और आवश्यकतानुसार प्रक्रिया के सुधार के लिये मंत्रणा दे सके । भ्रष्टाचार करने और उसकी सजा देने में समय का कम करने की आवश्यकता है । मैंने विभागीय मुकदमों के निर्णयों में जल्दी करने का सुझाव दिया है । प्रशासनिक न्यायालय जो कि मुकद्दमे सुने और सजा दे स्थापित करने पर भी विचार किया जा सकता है ।

अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों की कठिनाइयों को दूर करना गृह-कार्य मंत्रालय के मुख्य कामों में से है और हमें इसे गम्भीरतापूर्ण करना चाहते हैं । यदि अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण के लिए भिन्न विभाग की आवश्यकता हो, तो मुझे कोई एतराज नहीं । मंत्रालय में इस काम के लिए अलग भाग है ।

अनुसूचित जातियों के लिए जो कुछ किया जा रहा है वह काफी नहीं है क्योंकि शताब्दियों के लिए उन्हें कष्ट उठाना पड़ा है । इसलिए उनकी कठिनाइयां दूर करने के लिए हमें काफी कुछ करना है ।

अनुसूचित आदिम जातियां देश का सब से पिछड़ा हुआ समुदाय है और वे बहुत कठिनाइयों में रह रहे हैं । ढेबर आयोग की रिपोर्ट जो बहुत व्यापक है हमारे पास आ चुकी है । मंत्रालय इस पर विचार कर कुछ अस्थाई निष्कर्षों पर पहुंच चुका है । रिपोर्ट राज्यों की राय जानने के लिए सरकारों को भेजी गई है । अभी तक उनकी राय हमें प्राप्त नहीं हुई । जुलाई में विभिन्न राज्यों के मंत्रियों का एक सम्मेलन बुलाया जायगा और अगले सत्र में संसद में भी ढेबर आयोग की रिपोर्ट पर विचार किया जायगा । इस सदन में व्यक्त किये गये विचारों और राज्यों की रायों का ध्यान में रखते हुए, रिपोर्ट में सुझाई गई विभिन्न योजनाओं को क्रियान्वित किया जायेगा । किन्तु यह याद रखना चाहिए कि यह काम मुख्यतः राज्य सरकारों का है । हमारा कर्तव्य यह देखना होगा कि राज्यों में क्या किया जा रहा है । हमारा आयुक्त विभिन्न राज्यों में जायेगा और अपनी रिपोर्ट देगा । उस की सिफारिशों के अनुसार हम राज्य सरकारों को सलाह देंगे । उनकी रिपोर्ट भी पटल पर रखी जाती है । मैं माननीय सदस्यों से अपील करूंगा कि वे अपने राज्यों से सम्पर्क रखें और यह देखें कि हमारी योजनायें अच्छी तरह क्रियान्वित हों ।

संघ क्षेत्रों के बारे में मैंने पिछले सत्र में एक वक्तव्य दिया था। गृह कार्य मंत्री ने विधि मंत्री की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की थी। उन्होंने अपनी रिपोर्ट लगभग समाप्त कर ली है, जो कि कुछ दिनों में प्रस्तुत कर दी जायेगी। संघक्षेत्रों के सम्बन्ध में सरकार की इच्छा है कि वे अपने क्षेत्रों के विकास कार्य को करने का पूरा अवसर प्राप्त करें और उन्हें सारे अधिकार प्रत्यायोजित किये जायें। संघ क्षेत्रों में प्रशासन का इतना महत्व नहीं है जितना कि विकास कार्य का है। एक दो मामलों को छोड़ कर, शेष सारा प्रशासन लोगों के प्रतिनिधियों के हाथ में होना चाहिये। रिपोर्ट के प्रस्तुत होने के बाद मंत्रिमंडल से सलाह के बाद हम संसद के सामने आयेंगे। मैं चाहता हूं कि अगले सत्र में संसद आवश्यक विधान पारित कर दे क्योंकि हम चाहते हैं कि नई प्रादेशिक परिषदें उस नमूने पर काम करना शुरू कर दें। मुझे आशा है कि माननीय सदस्य सरकार के प्रस्तावों पर विचार करने के बाद यह अनुभव करेंगे कि इनसे उन्हें अपने क्षेत्रों में अपनी पसन्द का काम करने का अवसर मिलेगा।

आसाम के पहाड़ी क्षेत्रों के बारे में प्रधान मंत्री ने वहां के लोगों के प्रतिनिधियों के सामने कुछ प्रस्ताव रखे थे और उनसे कहा था कि वे स्काटिश नमूने का प्रशासन अपनालें। उस समय तो वे उनसे सन्तुष्ट थे किन्तु वापस पहुंचने पर उन्होंने ये अस्वीकार कर दिये और परिणाम यह है कि आसाम विधान सभा के लिए निर्वाचित सदस्यों ने त्यागपत्र देने का निर्णय किया है। मैं समझता हूं कि स्काटिश नमूने के प्रशासन में उन्हें केवल विकास कार्य करने का पूरा अवसर मिलेगा बल्कि उन्हें पूरी स्वतंत्रता भी प्राप्त होगी। मैं उन प्रतिनिधियों को त्याग पत्र न देने की सलाह दूंगा।

उनकी मुख्य समस्या यह है कि कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाये। किन्तु इसका भी हल ढूंढा जा सकता है। वे इस मामले पर हमसे विचार विमर्श कर सकते हैं और फिर अन्तिम पग उठा सकते हैं।

महाराष्ट्र-मैसूर सीमान्त झगड़े के बारे में श्री मोरे ने बड़ा जोरदार भाषण किया है। श्री अणे ने भी विदर्भ के प्रश्न पर बहुत भावुकता से बोला है और जोरदार शब्दों में अपने विचार प्रकट किये हैं। मैं समझता हूं कि इस मामले का हल ढूंढना चाहिये। यह दुर्भाग्य की बात है कि श्री पाटसकर और उनके अन्य सहयोगी अपने मैसूर के दो सहयोगियों का संयुक्त रिपोर्ट देने के लिए तैयार नहीं कर सके।

इस समस्या का हल क्या है? मैं तत्काल इसका हल नहीं बता सकता, किन्तु मेरा खयाल है कि महाराष्ट्र और मैसूर के मुख्य मंत्री इस मामले पर बातचीत करें। मैं स्वयं पहल करने के लिये तैयार हूं। सब से अच्छा समाधान यही है कि आपस में समझौता कर के कुछ निर्णय कर लिया जाये। मैं नहीं चाहता कि इस मामले को अधिक समय के लिए लम्बित रखा जाये और मैं चाहता हूं कि इस पर शीघ्र से शीघ्र विचार किया जाये। यदि कोई समझौता न भी हो सका, तो मेरे पास एक हल है, जो मैं अभी सदन को नहीं बता सकता।

†**श्री मोहसिन** : क्या अन्य झगड़ों का निपटारा भी ऐसे किया जायेगा? क्या मंत्री महोदय उनमें भी इतनी रुचि लेंगे?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : हम अन्य झगड़े खड़े नहीं करना चाहते। किन्तु उन्होंने भी मैसूर-महाराष्ट्र के झगड़े पर बोलते हुए राष्ट्रीय एकता को भुला दिया था।

†**श्री मोहसिन** : मैंने कहा था कि कोई परिवर्तन न किया जाये।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : पाकिस्तानियों के अनधिकृत प्रवेश के मामले से सदस्यों की चिन्ता स्वाभाविक है। हमारी सूचना के अनुसार आसाम में पाकिस्तानियों का अनधिकृत प्रवेश काफी संख्या में हुआ है। हम नवीनतम आंकड़े इकट्ठे कर रहे हैं माननीय सदस्यों को याद रखना चाहिये कि दोनों समुदाय एक दूसरे से संबन्धित हैं और उस क्षेत्र में श्रमिकों की कमी है। गरीबी और बेकारी के कारण और कृषि के लिये भूमि प्राप्त करने के लिए भी उन्हें इस पार आना पड़ता है। तथापि हमें सोचना है कि इसे कैसे रोका जाये। सीमान्त के प्रबन्ध को मजबूत बनाया जा रहा है और नई चौकियां खोली जा रही हैं। निश्चित प्रस्ताव किये गये हैं और आवश्यक वित्तीय सहायता के लिए भारत सरकार मान गई है। इन उपायों से वर्तमान खिचाव अवश्य कम हो जायेगा। त्रिपुरा के बारे में भी हमें लगभग वही कार्यवाही करनी पड़ेगी। निस्संदेह जमीन बहुत पहाड़ी है किन्तु आशा है हमारे उपायों से अनधिकृत प्रवेश रुक जायेगा। यदि उचित प्रवेश पत्रों के साथ पूर्वी या पश्चिमी पाकिस्तान से वहां के नागरिक यहां आये तो हम उनका स्वागत करेंगे।

मैंने आसाम के मुख्य मंत्री से भी बातचीत की है और उन्होंने गृह-कार्य मंत्रालय के अफ़सरों से भी भेंट की है। मुझे आशा है राज्य पर्याप्त कार्यवाही करेगा।

†**श्री का० रा० गुप्त** : श्री मुहम्मद ताहिर ने कहा है कि कोई अनधिकृत प्रवेश नहीं हुआ बल्कि यह अन्तर १९५१ और १९६१ के जनगणना आंकड़ों में अन्तर के कारण है।

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : हमने जनगणना के आंकड़ों की सावधानी से जांच की है और उनको देख कर ही हम ने अनुमान लगाया है कि अनधिकृत प्रवेश बड़े पैमाने पर हुआ है। हमने आसाम की जन संख्या में साधारण वृद्धि को भी ध्यान में रखा है और अन्य उत्प्रवासियों को भी ध्यान में रखा है।

†**श्री च० का० भट्टाचार्य** : गृह कार्य मंत्रालय के प्रतिवेदन में पश्चिमी बंगाल में होने वाले अनधिकृत प्रवेश का उल्लेख नहीं है ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : हम पश्चिम बंगाल को भी ध्यान में रख रहे हैं।

अन्त में, मैं यह कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीय एकता का प्रश्न अब केवल एक विचार ही नहीं है। मुझे हर्ष है कि यह ठोस शकल ले रहा है। दुर्भाग्य से चुनावों से इसे कुछ हानि पहुंची है किन्तु हमें निराश नहीं होना चाहिये। कहा जाता है कि आपने राष्ट्रीय एकता की बात १०–१२ वर्ष बाद शुरू की है। यह सच है किन्तु याद रखना चाहिये कि बीच का समय बहुत कठिन होता है विशेषकर उस देश के लिये जिसने १५ वर्ष पहले आजादी प्राप्त की है। इस अवधि में अन्य कई शक्तियों का जोर रहा है जैसा कि प्रादेशिक विकास, आर्थिक विकास, भाषा का विकास, उद्योगों का विकास। राष्ट्रीय हितों को इनसे ऊपर रखना चाहिये। किन्तु रखा नहीं गया। सरकार और सदस्यों का कर्तव्य है कि वे लोगों का ध्यान राष्ट्रीय दृष्टिकोण पर केन्द्रित करें। सब लोगों को देश की एकता को कायम रखने के लिये कुछ न कुछ कष्ट अवश्य उठाना पड़ेगा।

१२ वर्षों में तीन चुनाव हो चुके हैं और यह बड़े महत्व की बात है। कई देशों में प्रजातन्त्रवाद समाप्त हो चुका है। हम गर्व कर सकते हैं कि हमने लोकतन्त्र के ढांचे से सरकार सफलता से चलाई है। किन्तु हर पांच साल निर्वाचन करने का अर्थ यह नहीं कि लोकतन्त्र की जड़ें मजबूत हो गई हैं। भारत में लोक तन्त्र अभी नया है, इसे सावधानी से विकसित किया जाना है। मुझे दुःख है कि देश में कुछ डर पैदा करने का प्रयत्न किया जा रहा है। किन्तु हमें अपना आत्मविश्वास नहीं खोना चाहिये। हमारे लोग अच्छे हैं। राजनैतिक दलों के नेताओं को दलों के स्तर से ऊंचा उठाना है। हमें बड़े मामलों में दृढ़ रहना है किन्तु छोटे छोटे मामलों में सख्ती से काम

---

†मूल अंग्रेजी में

लेने की आवश्यकता नहीं है। यदि संसद के सभी सदस्य साम्प्रदायिक एकता के लिये काम करें, तो हमारा आधा काम पूरा हो चुका होगा।

†**श्री नम्बियार :** उन २०० कर्मचारियों के बारे में जिन्हें हड़ताल में भाग लेने के कारण अभी बहाल नहीं किया गया, सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री :** इस मामले में मुख्य प्रश्न समझौते की कोई मशीनरी स्थापित करने का है। श्री नन्दा इस प्रश्न को ले रहे हैं। मैंने उनसे बातचीत भी की है। वे कार्मिक संघों से सलाह कर के अन्तिम प्रस्ताव तैयार करेंगे समझौते की मशीनरी बनने के बाद उन व्यक्तियों के मामलों पर विचार किया जा सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा कटौती प्रस्ताव संख्या ३२४ मतदान के लिये रखा गया।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

लोक सभा में मत विभाजन हुआ। पक्ष में ४८; विपक्ष में १२०*

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

इस के पश्चात्, अध्यक्ष महोदय द्वारा अन्य सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

अध्यक्ष महोदय द्वारा गृह-कार्य मंत्रालय की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिये रखी गईं तथा स्वीकृत हुईं :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
४८	गृह-कार्य मंत्रालय	२,९०,२७,०००
४९	मंत्रिमंडल	२९,४७,०००
५०	क्षेत्रीय परिषदें	१,७६,०००
५१	न्याय प्रशासन	२,१०,०००
५२	पुलिस	५,३३,७०,०००
५३	जनगणना	७०,२५,०००
५४	आंकड़े	१,५६,४०,०००
५५	भारतीय राजाओं की निजी थैलियां व भत्ते .	४,१२,०००
५६	दिल्ली	१२,०४,७०,०००
५७	हिमाचल प्रदेश	८,६५,४२,०००
५८	अन्दमान व निकोबार द्वीप समूह . . .	२,३२,९७,०००
५९	मनीपुर	३,५१,९०,०००
६०	त्रिपुरा	५,४९,८६,०००
६१	लक्कद्वीप मिनीकोय व अमीनद्वीप द्वीपसमूह . .	२६,१८,९००
६२	गृह-कार्य मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय . . .	८३,५०,०००
१२८	गृह-कार्य मंत्रालय का पूंजी व्यय . . .	८३,२१,०००

*इस संख्या को बाद में शुद्ध करके "विपक्ष में १२१" कर दिया गया था। देखिये लोक-सभा वाद-विवाद दिनांक ७ जून, १९६२.

†मूल अंग्रेजी में

श्रम और रोजगार मंत्रालय

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा श्रम और रोजगार मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों पर चर्चा और मतदान करेगी ।

वर्ष १९६२-६३ के लिये श्रम और रोजगार मंत्रालय की अनुदानों की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गईं :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
६९	श्रम और रोजगार मंत्रालय	२०,८०,०००
७०	मुख्य खान निरीक्षक	१८,३२,०००
७१	श्रम और रोजगार	६,४०,१९,०००
७२	श्रम और रोजगार मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय . .	८१,०००
१३२	श्रम और रोजगार मंत्रालय का पूंजी व्यय . . .	१,०६,०००

†**अध्यक्ष महोदय** : कटौती प्रस्ताव पेश करने के इच्छुक माननीय सदस्य पन्द्रह मिनट के अन्दर अपने चुने हुये कटौती प्रस्ताव पटल तक पहुंचा दें ।

†**योजना तथा श्रम और रोजगार मंत्री (श्री नन्दा)** : मैं अपने भाषण के द्वारा मंत्रालय की नीति और उसकी कार्यवाहियों की एक संक्षिप्त पृष्ठभूमि सभा के सामने रखना चाहता हूं जिससे कि माननीय सदस्यों को उसके बारे में अपनी सही राय बनाने का एक आधार मिल जाये । उसके आधार पर सभा मंत्रालय की नीति और कार्य का मूल्यांकन करेगी ।

मंत्रालय की नीति निर्धारित करने का पूरा श्रेय मुझ को नहीं है, इसलिये प्रतिवर्ष त्रिदलीय सम्मेलन की चर्चाओं के आधार पर ही इस मंत्रालय की नीति निर्धारित होती है । और जहां तक मंत्रालय द्वारा किये गये कार्यों का सवाल है, मैं पूरी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि वह एक हद तक संतोषजनक रहा है, यदि सभी क्षेत्रों में नहीं, तो कई क्षेत्रों में तो संतोषजनक रहा ही है ।

श्रम सम्बन्धी नीति और उसके प्रशासन का पहला उद्देश्य देश में औद्योगिक शांति स्थापित करना है । और, साथ ही, श्रमिकों के रहन-सहन की दशा में सुधार करना भी, इतना ही महत्वपूर्ण उद्देश्य है । साथ ही, उद्योग और अर्थ-व्यवस्था का भी विकास होता चलना चाहिये । और, देश में प्रतिवर्ष अधिकाधिक रोजगार जुटाने की संभावनायें बनती जानी चाहिये ।

मैं इनमें से किसी को भी अधिक या कम प्राथमिकता नहीं दे रहा हूं । सब से पहले, औद्योगिक शांति का प्रश्न लीजिये । पिछली बार के वाद-विवाद के बाद से अब तक सभी दिशाओं में काफी ठोस प्रगति हुई है ।

औद्योगिक सम्बन्धों की स्थिति यह है कि वर्ष १९६१ में हड़तालों और तालेबन्दियों के कारण ४८.५ लाख जन-दिनों की हानि हुई थी । १९६० में इस कारण ६५.१५ लाख जन-दिनों

†मूल अंग्रेजी में

की हानि हुई थी। लेकिन उस वर्ष की एक विशेषता को भी ध्यान में रखना चाहिये। यह कि १९६० में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल के फलस्वरूप १३ लाख जन-दिनों की हानि हुई थी। उसे निकालने के बाद, ५२ लाख जन-दिन रह जाते हैं। फिर दोनों के बीच १० लाख जन-दिनों, लगभग १९ प्रतिशत का अन्तर रह जाता है। १९५८ के आंकड़े देखिये, तो दोनों में ४६ प्रतिशत तक अन्तर है। अर्थात् १९५८ के मुकाबले, १९६१ में ४६ प्रतिशत कम हानि हुई। यह स्थिति सभी उद्योगों में एक समान नहीं रही।

कोयला खनन के मामले में यह सुधार निरंतर होता आया है। वर्ष १९६१ में इसका सब से अधिक लाभ निर्माण-उद्योगों को हुआ है। पिछले वर्ष के मुकाबिले इन उद्योगों में हड़तालों और तालेबन्दियों के कारण २० प्रतिशत कम हानि हुई है।

औद्योगिक सम्बन्धों के लिये की गई व्यवस्था भी इस वर्ष अधिक सुचारु रूप से चली है। इसके एक-दो पहलू मैं आपके सामने रखता हूं। इस व्यवस्था के सम्बन्ध में कई वर्ष से एक यह शिकायत रही है कि ऐसे मामलों के निबटाने में विलम्ब होने के कारण श्रमिकों को बड़ी कठिनाई और असुविधा होती है।

मामलों के निबटाने की प्रक्रिया में कई सुधार किये गये हैं, जिनके फलस्वरूप अब ९५ प्रतिशत मामले दो महीने में निबट जाते हैं, जब कि पिछले वर्ष ७१ प्रतिशत ही निबट पाये थे। यदि और भी पहले के वर्षों को लिया जाये तो अन्तर और भी स्पष्ट दिखाई देता है। पिछले वर्ष मध्यस्थ निर्णय और आपसी समझौते के द्वारा ८२ प्रतिशत मामलों का अन्तिम रूप से निबटारा हुआ था, जब कि १९६० में उनका प्रतिशत अनुपात ५७ प्रतिशत और १९५९-६० में ५७ प्रतिशत था। अनियमितताओं को रोकने के लिये मुस्तैदी से कार्यवाही की जा रही है और आवश्यकता पड़ने पर मुकदमें भी चलाये जाते हैं। १९६१ में ऐसे २,२९९ मुकदमें चलाये गये थे, जब कि १९६० उनकी संख्या १८८ ही थी। इसी तरह, इस वर्ष ४०४ दावे किये गये हैं। जब कि पिछले वर्ष केवल १०० ही किये गये थे।

इस वर्ष की एक और संतोषप्रद विशेषता है। वह ठेकेदारी प्रथा को हटाने के पेचीदा प्रश्न से सम्बन्धित है। इसके बारे में एक न्यायिक जांच की गई थी और समझौता हो चुका है। निर्णय दोनों पक्षों के करार के बारे में हैं। आशा है अन्य समस्यायें भी इसी प्रकार हल की जा सकेंगी।

कोयला खनन उद्योग के बारे में हाल में एक सम्मेलन हुआ था। उस उद्योग में स्थिति शांतिपूर्ण तो नहीं ही थी। विधि का उल्लंघन आम था और विधि तथा व्यवस्था की समस्या भी उठती थी और बहुधा काम बन्द हो जाता था। सम्मेलन ने बड़ी तटस्थता के साथ कोयला उद्योग की पूरी परिस्थिति पर विचार किया और बड़े महत्वपूर्ण निर्णय किये हैं। सभी पक्ष कुछ बातों पर सहमत हुये हैं और त्रुटियों तथा भूलों को दूर करने के लिये कदम उठाने के लिये तैयार हो गये हैं। इससे इस उद्योग में लगभग छः महीने में स्थिति सामान्य हो जाने की आशा है। यदि वह नहीं हो पाया, तो हम उसके लिये एक उच्च शक्ति प्राप्त आयोग नियुक्त करेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वह स्थिति नहीं आयेगी।

इस काल में अनुशासन संहिता को अन्य उद्योगों पर लागू करने की दिशा में भी संतोषजनक प्रगति हुई है। १९६१ में हालांकि काम बन्द होने के कारण ४२ लाख जन-दिनों की हानि हुई थी, फिर भी कई अन्य वर्षों के मुकाबिले वह कम है। पिछले तीन-चार वर्षों से इसमें निरन्तर सुधार होता रहा है। अनुशासन संहिता १९५८ में लागू की गई थी, और उस वर्ष ७८ लाख

[श्री नन्दा]

जन-दिनों की हानि हुई थी। उसमें यह एक बात भी थी कि उन दिनों मजदूरों में बड़ी बेदारी थी। उससे पहले तीन-चार वर्षों से काम बन्द होने की घटनाओं की संख्या बढ़ती जा रही थी। उसी काल में रोजगार की संभावना में लगभग ८ प्रतिशत वृद्धि हुई थी, जो इसमें शामिल नहीं है।

इतना अच्छा परिणाम किसी एक सुधार के कारण नहीं हुआ है। हां, अनुशासन संहिता लागू करने का उस पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप स काफी प्रभाव पड़ा है, उसके लिये अनुकूल वातावरण तैयार हुआ है। वैसे, मजूरा बार्डों का भी उसमें काफा हाथ है। उन्होंने कई महत्वपूर्ण उद्योगों में मजूरी जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न को हल करके अनुकूल परिस्थिति तैयार की है।

औद्योगिक सम्बन्धों के मामले में भी कई प्रकार से सुधार हुआ है। मामलों के निबटारे में अब इतना विलम्ब नहीं होता। श्रम-विधियों का अब अधिक मुस्तैदी से लागू किया जाता है। मद्रास में भारतीय श्रम सम्मेलन में हमने एक निर्णय किया था कि पंचाट निर्णय के लिये कैसे मामले सौंपे जायगे यह बिल्कुल ही निश्चित हो जाना चाहिये। उसे स्वयं-विवेक पर हो नहीं छोड़ देना चाहिये। इधर कुछ वर्षों के दौरान इसके सम्बन्ध में नीति अधिक उदार होती गई है।

एक अन्य बड़ी सन्तोषप्रद विशेषता यह है कि पारस्परिक करार अधिक महत्वपूर्ण बनता जा रहा है और सरकार का हस्तक्षेप दिन-दिन कम होता जा रहा है। औद्योगिक सम्बन्धों में अब अधिक स्थायित्व आता जा रहा है। १९५६ से ६१ तक पारस्परिक करारों की संख्या में १६ से २९ प्रतिशत तक वृद्धि हुई है और सरकारी हस्तक्षेप में ५३ से ४० प्रतिशत तक कमी आई है।

अक्सर ऐसी शिकायत सुनने में आती हैं कि बड़े अच्छे-अच्छे निर्णय किये जाते हैं, नीतियां अपनाई जाती हैं लेकिन उनकी कार्यान्विति उतनी नहीं होती। मैं यह मानता हूं और यह भी स्वीकार करता हूं कि कुछ मामलों में कार्यान्विति अत्यन्त असन्तोषजनक रही है। लेकिन मेरा विश्वास है कि कई क्षेत्रों में कार्यान्विति के मामले में सुधार होता जा रहा है। उदाहरण के लिये मजूरी बोर्ड हैं। पंचाट निर्णय होने के बाद भी, उसकी १०० प्रतिशत कार्यान्विति तो बड़ा मुश्किल होती है, क्योंकि कुछ इकाइयों में उनका पालन कराना मुश्किल होता है। फिर भी स्थिति यह है कि मजूरी बोर्ड की सिफारिशों की कार्यान्विति सूती कपड़ा उद्योग के क्षेत्र में ९६ प्रतिशत, चीनी उद्योग में ८९ प्रतिशत और सीमेंट उद्योग में शत प्रतिशत है। मुकदमेबाजी में तो बड़ा समय खराब होता है। इसे कम करने के लिये ही केन्द्रीय कार्यान्विति व्यवस्था और राज्यों में कार्यान्विति समितियां प्रयत्नशील हैं। उच्च-न्यायालयों में पड़े ५१ मुकदमों का फ़ैसला न्यायालय स बाहर कार्यान्विति समितियों के जरिये हुआ है। शुरूआत में यह सफलता काफी अच्छी है।

मामलों की छानबीन के लिये समितियां नियुक्त की जा चुकी हैं। हमने मालिकों और श्रमिकों के साथ तय कर लिया है कि किसी भी मामले को न्यायालय में भेजने से पहले छानबीन समिति के पास भेजा जायेगा। इसके फलस्वरूप मालिकों और श्रमिकों ने लगभग ६० मामलों को न्यायालय में नहीं भेजा और ४० मामलों में हड़तालों, इत्यादि की विस्फोटक सम्भावना टल गई थी।

कार्मिक संघों को मान्यता देने के प्रश्न को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है। अनुशासन संहिता में इसका भी विचार था। इसके कारण ही, अनुशासन संहिता को अधिक आसानी से स्वीकार कर लिया गया है। स्थिति यह है कि ५९ संघों को अनुशासन संहिता के अन्तर्गत मान्यता दी गई है।

लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं कहना चाहता कि आप समझे कि औद्योगिक सम्बन्धों के मामले में सब कुछ बिल्कुल ठीक है। उसमें भी खामियां हैं और मैं उनको जानता हूं। हम चाहते हैं कि मामलों का निबटारा और शीघ्रता से हो।

मालिकों और श्रमिकों की ओर से पंचाट-निर्णयों और न्यायालय में होने वाले समझौतों के बारे में एक और प्रश्न उठाया जा रहा है। वे मांग करते हैं कि इन न्यायाधिकरनों में उच्च न्यायालयों के वर्तमान न्यायाधीशों को रखा जाये, उच्च न्यायालय के निवृत्त न्यायाधीशों का नहीं, और न उससे नीचे के श्रेणी के किसी न्यायाधीश को लिया जाये। मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं, पर इस श्रेणी के इतने न्यायाधीश मिलते कहां हैं ? वह तो तभी किया जा सकता है, जब न्यायाधिकरनों में बहुत ही थोड़े मामले जाये। यदि न्यायालयों में बहुत ज्यादा मामले जाने लगते हैं, तो न्यायालय उनके साथ समुचित न्याय नहीं कर पाते उसमें व्यावहारिक कठिनाइयां आ जाती हैं। इसलिये सर्वोत्तम यही है कि आन्तरिक रूप से ही अधिकाधिक मामलों का निबटारा हो जाये।

अनुशासन संहिता में मध्यस्थ-निर्णय के बारे में एक विशेष व्यवस्था यह है कि मध्यस्थ निर्णय का सभी प्रकार के मामलों में स्वीकार्य होना जरूरी नहीं है। इस पर मुझे बड़ी चिन्ता है। कुछ ऐसे भी मामले होते हैं जिनमें मालिकों के लिये मध्यस्थ निर्णय को शरण लेना कठिन होता है। लेकिन अधिकांश मामले ऐसे नहीं होते। यह कठिनाई ज्यादातर मालिकों को ही महसूस होती है। पता नहीं वे मध्यस्थ-निर्णय का मामले सौंपने में इतना हिचकते क्यों हैं। इससे औद्योगिक सम्बन्धों के मामले में सामान्य सुधार नहीं हो पाता। अनुशासन संहिता की इस व्यवस्था की उपेक्षा की जा रही है। काफी उपेक्षा की जा रही है। मैंने मालिकों को समझाने की कोशिश भी की है, पर उनका विश्वास नहीं जमता। मैं इसलिये इसके बारे में एक नमूना जांच कराना चाहता हूं। तब मैं चाहूंगा कि एक समिति उस पर विचार करे और उस समिति में संसद सदस्यों का भी सहयोग लिया जायेगा। तब हम देखेंगे कि वास्तव में दोषी कौन हैं। दृष्टिकोण यह होना चाहिये कि एक दूसरे को हटाने की नहीं, बल्कि परस्पर समस्वरतापूर्ण सम्बन्ध स्थापित करने की कोशिश की जाये।

कष्ट निवारण की प्रक्रिया ने भी कई इकाइयों में प्रगति की है। लेकिन कुछ इकाइयों ने अभी तक उसे अपनाया नहीं है। संयुक्त प्रबन्ध परिषदों का परीक्षण लगभग ३० इकाइयों में किया जा रहा है। उससे श्रमिकों का सहयोग प्रबन्ध के क्षेत्र में प्राप्त करना सम्भव होगा। आशा है उससे औद्योगिक सम्बन्धों के सुधार के लिये एक समुचित वातावरण तैयार हो सकेगा।

हमने कुछ गोष्ठियों का आयोजन भी इन इकाइयों के कार्य-संचालन की छानबीन करने के लिये किया था। यह पता लगाने के लिये कि इस परीक्षण के परिणाम क्या निकल रहे हैं। स्पष्ट है कि परिणाम अच्छा निकल रहा है। रिपोर्टों से यही पता चलता है। एक कठिनाई अवश्य सामने आ रही है कि इकाइयों की संख्या बढ़ नहीं रही है।

मेरे सहयोगी श्री क० च० रेड्डी के एक वक्तव्य का काफी हवाला दिया गया है कि उन्होंने कहीं कहा था कि ये परीक्षण असफल रहे हैं। श्री रेड्डी ने मुझे लिखा है कि ऐसी कोई बात उन्होंने नहीं कही। और यह भी कि वह प्रबन्ध में श्रमिकों का सहयोग लेने के कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के पक्ष में हैं।

श्रमिकों की शिक्षा का कार्यक्रम भी आगे बढ़ रहा है। मेरा ख्याल है कि मालिकों और मजदूरों के सहयोग से काफी कुछ किया जा सकता है।

मैंने कहा था कि ४२ लाख जन-दिनों की हानि हुई हैं। मैं तो इसे भी काफी मानता हूं। उसका अर्थ होता है कि १६ करोड़ रुपये के उत्पादन की हानि हुई है। उसका अर्थ है कि मजदूरों को लगभग २ करोड़ रुपये की मजूरी से हाथ धोना पड़ा है। यह नहीं समझना चाहिये कि केवल ४२ लाख जन-दिनों की ही हानि हुई होगी। हानि कहीं अधिक हुई होगी, क्योंकि हड़तालें और तालाबन्दियां तो औद्यो-

[श्री नन्दा]

गिक व्यवस्था को बीमारी की चरम परिणति होती हैं। हानि तो उससे पहले होनी शुरू हो जाती है। हमें कुछ ऐसे उपाय निकालने चाहियें कि हानि और भी कम हो। तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान हमें कुछ ऐसा यत्न करना चाहिये कि अधिकतम हानि २१ लाख जन-दिनों से अधिक न हो पाये। उसी के उपाय सोचे जाने चाहिये।

चालू वर्ष में मैं इस बात को देखूंगा कि प्रत्येक गतिरोध पूरा परीक्षण किया जाय। इससे हमें पता चलेगा कि इसके कारण क्या हैं और यह किसका उत्तरदायित्व है। इसके अतिरिक्त हम यह भी प्रयत्न करेंगे कि कार्य समितियों और संयुक्त परिषदों के कार्यों में सुधार किया जाय। इसके अतिरिक्त महत्वपूर्ण मामला यह है कि मजदूरों को जो मजदूरी दी जाती है उसका क्रय क्या है। यह बात दोनों पक्षों को प्रभावित करती है और इस बारे में बहुत सी भ्रांतियां भी हैं। एक ओर मालिकों का बार बार यह कहना है कि वह बहुत अधिक मजदूरी देते हैं, दूसरी ओर मजदूर यह कहते हैं कि उत्पादन को देखते हुए उन्हें बहुत ही कम मजदूरी मिलती है और मजदूरों का बहुत अधिक शोषण हो रहा है। अतः हमें निष्पक्ष दृष्टि से इस दिशा के सभी तथ्यों और आंकड़ों का अध्ययन करना है। मेरा अपना मत है कि दोनों पक्ष अपना अपना मत व्यक्त करने में अन्तिम सीमा तक पहुंचे हुये हैं। इसकी प्रायः अखबारों में भी चर्चा होती रहती है। अतः इस बारे में सही स्थिति का पता करना ही चाहिए।

मैं अभी हाल ही की कुछ घटनाओं की चर्चा करना चाहता हूं। गत वर्ष हमारे पास १९५९ के आंकड़े थे। और अब १९६० के हैं। सामूहिक स्थिति यह है कि धन कमाई में इस वर्ष ४.५ प्रतिशत की वृद्धि हुई है। उपभोक्ता मूल्य अनुसूची में २.५ प्रतिशत की वृद्धि हुई है। कुल वृद्धि एक प्रतिशत की है। निर्माता उद्योगों में धन की कमाई ८.५ प्रतिशत बढ़ी है, अतः मजदूरी ५.४ प्रतिशत बढ़ी है। पटसन उद्योग के अन्तरिम पंचाट में मजदूरों की मजदूरी में ५ प्रतिशत की वृद्धि हुई। रबड़ और चाय के मजदूर की मजदूरी ९ से १२ प्रतिशत बढ़ी। चीनी के मजदूरों की मजदूरी २५.६१ बढ़ गयी। साल में ३४०० पंचाट प्राप्त हुये और इन ४० प्रतिशत पंचाटों में मजदूरी के प्रश्न पर विचार किया गया। लगभग उस वर्ष की वृद्धि ४·३६ प्रतिशत थी।

लाभांश आयोग की स्थापना हुई। इस आयोग के सभापति की नियुक्ति में बहुत उलझने पैदा हो गयीं। फिर भी मामला ठीक ठीक हो गया और आज आयोग ठीक तरह से काम कर रहा है। आठ मजूरी बोर्डों की स्थापना हो गयी है जिसके अन्तर्गत २५ लाख मजदूर आ जाते हैं। कोयला मजूरी बोर्ड भी शीघ्र ही बनाया जा रहा है। अब मैं इस काल के मजदूरी आन्दोलनों का उल्लेख करता हूं। इसमें अपने अपने विचारों के अनुसार कई प्रकार के परिणाम हैं। १९३९ से १९४७ तक के समय में मजदूरों को बहुत हानि हुई। उनकी मजदूरी २२ प्रतिशत युद्ध से पहिले की मजदूरी से कम थी। उस समय वैसे भी देश की अर्थ व्यवस्था काफी बिगड़ी हुई दशा में थी। १९४७-५० का समय ऐसा है जबकि स्वतन्त्रता के बाद और प्रथम योजना से पूर्व हमारी धन कमाने की क्षमता २५ प्रतिशत बढ़ी और जीवन अनुसूची व्यय १६ प्रतिशत बढ़ गया। इससे मजदूरों को ८ प्रतिशत का लाभ हुआ।

१९५१ के बीच जो कि लगभग प्रथम योजना का काल है आमदनी २८ प्रतिशत बढ़ी। जीवन निर्वाह की अनुसूची ९ अंक नीचे चली गयी, इस प्रकार वास्तविक आमदनी में ४१ प्रतिशत की वृद्धि हुई। दूसरी योजना में स्थिति बदल गयी। आमदनी १५ प्रतिशत बढ़ी, जीवन निर्वाह अनुसूची अंक १८ प्रतिशत बढ़ गया और इस प्रकार वास्तविक आमदनी ३ प्रतिशत कम हो गयी। अतः यह कहना सही नहीं है कि मजूरी में बहुत वृद्धि हुई है। परन्तु यह भी सही नहीं है कि मजूरी की दर उत्पादकता से अधिक बढ़ गयी है। यह बात ठीक है कि मजूरी अवश्य कम थी किन्तु यह ध्यान में रखना चाहिए कि वास्तविक उन्नति अधिक उत्पादकता से ही हो सकती है। अतः सभी दिशाओं

से इस समस्या पर विचार किया जाना चाहिए। इस बारे में मेरा यह भी निवेदन है कि मजदूरों को प्रति मजदूर मजूरी का मुकाबला कृषि क्षेत्र के प्रति व्यक्ति को आय से नहीं किया जाना चाहिए। यदि आप सुनार, लोहार तथा बढ़ई इत्यादि वर्गों के लोगों की आय का मुकाबला औद्योगिक मजदूरों को आय से करेंगे तो आप को पता चलेगा कि इस में कोई विशेष अन्तर नहीं है। इस बात का मैं स्वीकार करता हूं कि मजदूरों की आवश्यकताओं को दृष्टि में रखा जाय तो जो मजदूरी उन्हें मिल रही है वह कम है। यह मजदूरी हड़तालों से नहीं अधिक उत्पादन से ही बढ़ सकती है। मजदूरों का जीवन स्तर भी अधिक उत्पादन से ही बढ़ सकता है। अतः मेरा मत यह है कि मजदूरों, मालिकों और उद्योगों के सामूहिक हित में परस्पर सहयोग करके हमें उत्पादन बढ़ाना ही होगा। हमें अपनी अर्थ-व्यवस्था में कुछ बचत करने की धारणायें पैदा करनी हैं। प्रयत्न करने होंगे कि हम मशीनों तथा अन्य आधुनिक साधनों का प्रयोग ठीक ढंग से कर सकें। मजदूरों को भी अपने सभी उपलब्ध साधनों का प्रयोग करना चाहिए। सहकारी आन्दोलन को अधिक से अधिक उपयोगी और लोकप्रिय बनाने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। जो कुछ भी मजूरी मिलती है उसका अधिक से अधिक उपयोग किया जाना चाहिए।

रोजगार का प्रश्न और बेकारी की समस्या यह दोनों बड़े महत्वपूर्ण हैं। जनसंख्या के प्रति वर्ष बढ़ जाने के कारण बेकारी की समस्या अधिक गम्भीर होती जा रही है। मजदूरी की संख्या उत्तरोत्तर बढ़ रही है। श्रम भी बढ़ रहा है। प्रथम योजना के समय संख्या ९० लाख थी। दूसरी योजना के काल में यह बढ़ कर १२० लाख हो गयी। तीसरी योजना काल में इसके १७० लाख हो जाने की सम्भावना है। चौथी और पांचवीं योजना में यह संख्या बढ़ कर क्रमशः २३० लाख ३०० लाख हो जायेगी। यह वह व्यापक प्रश्न और समस्या है जिसका विशाल स्वरूप हमारे सामने है। हम इसकी चुनौती का मुकाबला करने का पूरा प्रयत्न कर रहे हैं। विनियोजन में भी वृद्धि हो रही है और अर्थव्यवस्था की क्षमता भी बढ़ रही है। हम ने प्रथम योजना काल में ७० लाख लोगों को काम पर लगाया, दूसरी योजना के अन्तर्गत ८० लाख को रोजगार मिला। तीसरी योजना के अन्तर्गत अनुमान है कि १४० लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। इस सब के बावजूद रोजगार २.८ प्रतिशत के हिसाब से बढ़ रहा है दूसरी योजना में सरकारी क्षेत्र में इसकी वृद्धि ६.९ प्रतिशत थी। हम भी इस के साथ चलने में समर्थ हो गये। प्रथम योजना में विनियोजन ५००० का था तो दूसरी के अन्तर्गत ७००० से ८००० तक हो गया। इस वृद्धि के लिए हम योजना के अतिरिक्त कई एक पग उठा रहे हैं। हम कुछ विशेष कार्यक्रमों की व्यवस्था कर रहे हैं। देहातों में भी कार्यक्रम आरम्भ कर दिया गया है, विस्तार में इस समय जाने की जरूरत नहीं, इसमें २५ लाख लोगों को रोजगार मिल जायेगा। देहाती उद्योग समिति की भी स्थापना की गयी है। इसके अन्तर्गत १९६२-६३ में ४० परियोजनाओं की व्यवस्था की गयी है। १९६१ में काफी सुधार हुआ है। अब स्थिति यह है कि पंजीकरण १८ प्रतिशत अधिक हुआ है, और नौकरियां २९.५ प्रतिशत अधिक दी गयी हैं। यह रोजगार के विकास की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। सारा सरकारी क्षेत्र इसके अन्तर्गत आ जाता है। इसके अतिरिक्त १९० श्रम मंडियों के क्षेत्र हैं जो कि इस स्थिति की ओर पूर्ण रूप से जागरूक रहेंगे।

काम बन्द होने की भी घटनायें होती रहती हैं। १९५९ में इस प्रकार की घटनायें ३९ थीं। १९६० में २७ और १९६१ में १२ थीं। पटसन उद्योग की स्थिति भी अब सुधर गयी है। इस वर्ष रिक्तता विज्ञापन अधिनियम भी लागू कर दिया गया है। जिन रिक्त स्थानों का विज्ञापन दिया गया है, उसकी संख्या दुगनी हो गयी है। पांच वर्षों के समय में प्रशिक्षित कारीगरों की संख्या ५०,००० हो जायेगी। शिक्षार्थी अधिनियम भी लाभदायक सिद्ध होगा।

[श्री नन्दा]

यह ठीक है कि सब कुछ शत प्रतिशत कार्यान्वित नहीं किया जाता। परन्तु अधिक से अधिक जितना हो जाय उतना ही सही सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि जहां श्रमिकों में अनुपस्थिति कम हो और कार्यकुशलता बढ़े वहां श्रमिकों में बांटने के लिए सरकार १० लाख रुपया प्रति वर्ष अलग रखने की सोच रही है। हम विचार कर रहे हैं कि विस्तार से इस योजना का निर्माण करने के लिए एक समिति नियुक्त की जाय। कुछ अवकाश गृह बनाने का भी विचार है। इस प्रकार हम जो कुछ सम्भव है वह कर रहे हैं। हमारी इच्छा है कि माननीय सदस्य अपने लाभदायक सुझाव और सलाह हमें दे ताकि हम अपना कर्तव्य पालन करते हुए समय की चुनौती को स्वीकार कर सकें।

†**श्री काशीनाथ पांडे** (हाता) : श्रम मंत्री महोदय ने जो अनुशासन संहिता का निर्माण किया है उसके लिए मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूं। इसे सभी पक्षों द्वारा स्वीकृत करवा लेना उनके ही बस की बात थी। परन्तु मेरा निवेदन है कि औद्योगिक सम्बन्ध के बारे में सारी नीति में ही परिवर्तन करने की आवश्यकता है। श्रमिकों का अपनी शिकायतें तुरन्त ही दूर करने की सुविधायें मिलनी चाहिएं। मेरा निवेदन है कि सरकार विवादों को न्याय-निर्णयन के लिए निर्दिष्ट करने में जितना समय लेती है, वह श्रमिकों के धैर्य की सीमा से अधिक है। न्यायालय भी बहुत समय लेते हैं। माननीय मंत्री श्रमिकों के मनोविज्ञान से भली भांति परिचित हैं अतः उन्हें कोई ऐसा ढंग निकालना चाहिए ताकि श्रमिक संतुष्ट रह सकें। इसके साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि पंचाटों को कार्यान्वित करने के लिए जो व्यवस्था की गयी है वह अपर्याप्त है। उसे संतोषजनक नहीं कहा जा सकता। मेरा मत यह है कि समझौता बोर्डों की प्रणाली फिर से चालू की जानी चाहिए समझौता अधिकारियों और सहायक श्रम आयुक्तों को पंचाटों तथा करारों का यथा-शीघ्र कार्यान्वित कराने की शक्तियां दी जानी चाहिए।

[श्री मूल चन्द दुबे पीठासीन हुए]

मेरा विचार तो यह है कि उपरोक्त अधिकारियों को आहत व्यक्तियों के सम्बन्ध में उत्पन्न होने वाले प्रतिकर के मामलों का निर्णय करने के लिए वही अधिकार दिये जाने चाहिएं जो कि एक दंडाधिकारी के होते हैं। मैं यह भी अब अनुभव करता हूं कि श्रमिक प्रतिकर अधिनियम अन्य नियोजकों पर भी लागू किया जाना चाहिए। रहन सहन के लिए बढ़ते हुए खर्च की दृष्टि से मृत्यु के सम्बन्ध में भुगतान किये जाने वाले प्रतिकर की दर बढ़ाई जानी चाहिए।

अब मैं बेरोजगारी के प्रश्न पर आता हूं। मंत्री महोदय ने अपने बंगलौर के भाषण के इस बात को स्वीकार किया है कि हमारे देश में बेकारी बहुत अधिक है और बहुत से लोग ऐसे हैं जो जीवन की आवश्यक चीजों को भी जुटाने में असमर्थ हैं। मंत्री महोदय के अनुसार देश में १७० लाख लोग बेकार हैं। यह आंकड़ा १.२५ प्रतिशत के हिसाब से बढ़ता जायेगा। अर्थात् ४५ लाख की वृद्धि होती जायेगी। आज तक के सभी आंकड़ों को देखते हुए हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि यदि हम ने बेकारी का बिलकुल ही सफाया करना है तो तीसरी योजना के अन्तर्गत हमें ३६० लाख व्यक्तियों को रोजगार देने की व्यवस्था करनी चाहिए। यह व्यवस्था पहली और दूसरी योजना से लगभग दुगनी है। १९५२ में कारखानों में प्रतिदिन काम पर लगाये जाने वालों की संख्या ३२,०४,००० थी। १९५९ में यह ३६,३५,००० हो गयी। इस स्थिति को देखते हुए कि कितने बेकार व्यक्तियों के लिए व्यवस्था हो पाती है मुझे सन्देह है कि सरकार ऐसा कर सकेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्रम निरीक्षकों के वेतनक्रम का पुनरीक्षण करते समय उनके सेवा काल का ध्यान नहीं रखा गया है । इस के फलस्वरूप नये और पुराने निरीक्षकों को वही वेतन मिलता है ।

दुकान तथा वाणिज्यिक संस्थापन अधिनियम के अन्तर्गत कुछ उपबन्ध किया जाना चाहिए ताकि कर्मचारियों की सेवा की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके ।

ठेका प्रणाली से श्रमिकों का शोषण होता है । इस प्रणाली के अवगुणों की जांच के लिए अलग संस्था स्थापित करना चाहिए ताकि श्रमिकों की सेवा को सुरक्षा के लिए कुछ समझौता हो सके ।

सरकारी क्षेत्र के उद्योगों में शान्ति का साधन ठीक नहीं है । सरकारी क्षेत्र में केवल श्रमिक समितियां हैं । वे आर्थिक मामले का निर्णय नहीं कर सकती हैं । श्रमिक समितियों के ऊपर कोई संगठन बनाया जाना चाहिए जो विवादों के निबटारे में सहायता करे । बहुत से चीनी के कारखानों ने अभी तक मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को कार्यान्वित नहीं किया है । उनका कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए कोई सक्रिय संगठन होना चाहिए ।

देश के विभिन्न भागों से मजूरी बोर्ड की सिफारिशों की व्याख्या के बारे में कई प्रश्न आते हैं । इस काम के लिए एक त्रिपक्षीय समिति बनाई जानी चाहिए ।

†**श्री प्रभात कार** (हुगली) : माननीय मंत्री महोदय ने उत्पादन में वृद्धि और कम मजूरी को मान लिया है । परन्तु उन्होंने यह नहीं कहा कि इस का हल कैसे होगा ।

मेरे विचार में आवश्यकता पर आधारित मजूरी का विचार एक स्वप्न ही है । पता नहीं तृतीय योजना में इस का कार्यान्वयन होगा ।

मजूरी बोर्ड स्थापित करने के लिए मांगें पूरी नहीं की जाती हैं । कई उद्योगों के कर्मचारियों ने मजूरी बोर्ड स्थापित करने की मांग की है, परन्तु कुछ नहीं किया गया है । आप मानते हैं कि मजूरी कम है । आप मानते हैं कि उत्पादन बढ़ गया है । आप मजूरी बोर्ड नियुक्त करने की मांग क्यों नहीं मानते हैं ।

मजूरी बोर्ड बड़ी देर बाद अपनी सिफारिशें करते हैं । इस तरह से औद्योगिक शान्ति कैसे रह सकती है ।

यदि मजदूर हड़ताल नहीं करते तो इस से यह मतलब नहीं निकाल लेना चाहिये कि औद्योगिक संबंध बिल्कुल ठीक हैं ।

जहां तक मजूरी बोर्डों की सिफारिशों के कार्यान्वयन का प्रश्न है, सरकार बहुत ढीली है । जब मजदूर हड़ताल करते हैं तो उसे अवैध कहा जाता है । क्या मजदूर इस प्रकार के प्रशासन को स्वीकार करते रहेंगे ?

सरकार सिफारिशों के कार्यान्वित न करने के लिए नियोजकों पर मुकदमा क्यों नहीं चलाती है । मजूरी बहुत महत्वपूर्ण है । यदि रहने के खर्च के अनुसार मजूरी नहीं बढ़ती है आप औद्योगिक शान्ति कायम नहीं रख सकते ।

हम आवश्यकता पर आधारित मजूरी के बारे में स्वप्न नहीं ले सकते हम न्यूनतम वृद्धि के बारे में सोच रहे हैं । यदि उत्पादन बढ़ने पर कुछ नहीं होता तो सहमत होने से समस्या का समाधान नहीं होगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

आप चाहते हैं उत्पादन होता रहे मज़दूर हड़ताल न करें। हम मानते हैं कि मजदूर हड़ताल न करें। समस्याओं का समाधान कैसे होगा ? आप कहेंगे कि समझौता करने वाला पदाधिकारी प्रतिवेदन भेजता है। यदि इस अवस्था पर समझौता होजाए तो अच्छा है। यदि समझौता न हो तो कैसे होगा ? विवस्वन के लिए प्रबन्धकर्त्ता और सरकार नहीं मानते।

अगली प्रक्रिया न्यायाधिकरण है। न्यायानिर्णनय के लिए मामला नहीं भेजा जाता। किसी मामले को भेजा जाता है किसी को नहीं भेजा जाता है। कई बार दो मामले एक से होते हैं। एक को भेजा जाता है, एक को नहीं भेजा जाता। शायद यह प्रबन्धकर्ताओं के प्रभाव के कारण हो।

†**श्री नन्दा** : यदि माननीय सदस्य को इस सम्बन्ध में नियमों का न पता हो तो मैं पढ़ सकता हूं। यहां पर मामला भेजने से इनकार किया गया है मैं हर एक के परीक्षण के लिए तैयार हूं।

†**श्री प्रभातकार** : मैं किसी विशेष मामले के बारे नहीं कह रहा हूं मैं यह कहता हूं कि अधिक अधिक से मामले न्यायनिर्णनय के लिए भेजने चाहियें।

बढ़ते हुए मूल्यों के कारण मज़दूरों की मज़दूरी बढ़ानी चाहिए। इसके प्रक्रिया बनानी चाहिए।

नौकरियों के बारे परिस्थिति बड़ी खराब है। कहा जाता है कि जनसंख्या बढ़ गई है। परन्तु यह समस्या तो स्वतन्त्रता से पहले की है। बेरोज़गारी के साथ साथ वैज्ञानिकन और अपवर्तन हो रहा है। आप एक आदमी को नौकरी देते हैं, दो को नौकरी से हटा देते हैं। यह समस्या हमारे सामने है। इसके बारे में माननीय मंत्री क्या कर रहे हैं।

एक मज़दूर पटसन नजूरी बोड के सामने गया। दूसरे दिन उसे श्रम पदाधिकारी ने बुलाया और १५ दिन उस का कुछ पता नहीं चला। १५ दिन बाद उस के शरीर को एक ट्रंक में बन्द पाया गया। यह अवस्था है मज़दूरों की।

मुझे आशा है कि मज़दूरों की मज़दूरियां और झगड़ों का शीघ्र निपटारा करने के बारे में कोई हल बताएं।

श्रम और रोजगार मंत्रालय की मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
६९	४८	श्री वारियार	इन्जीनीयरिंग और भारी उद्योग में प्रवीण श्रमिकों की अधिवार्षिकी	घटा कर १ रुपया कर दी जाए
६९	४९	श्री वारियार	उद्योगों में आधुनिककरण और वैज्ञानिकन करने पर नौकरी के संरक्षण की आवश्यकता	घटा कर १ रुपया कर दी जाए

†मूल अंग्रेज़ी में

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
६९	५०	श्री वारियार	कार्मिक संघ को मान्यता देने के लिए बहुमत समर्थन पाने के लिए गुप्त मतदान प्रणाली का आरम्भ करना ।	घटा कर १ रुपया कर दी जाए
६९	५१	श्री वारियार	भारतीय राष्ट्रीय कार्मिक संघ कांग्रेस की ओर नीति	घटा कर १ रुपया कर दी जाए
६९	५२	श्री वारियार	उद्योगों में झगड़ों का न्यायनिर्णनय	घटा कर १ रुपया कर दी जाए
६९	५३	श्री वारियार	कार्य संहिता का कर्मचारियों पर लागू करना	घटा कर १ रुपया कर दी जाए
६९	५४	श्री वारियार	गोरखपुर श्रम संघटन की उपयोगिता	घटा कर १ रुपया कर दी जाए
६९	५५	श्री वारियार	अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संघटन जैसे अन्तर्राष्ट्रीय निकाय और सम्मेलनों के लिए प्रतिनिधियों का नाम-निर्देशन	घटा कर १ रुपया कर दी जाये
६९	५६	श्री वारियार	अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों को नौकरी न मिलना	घटा कर १ रुपया कर दी जाए
६९	५७	श्री प्रभातकार	झगड़ों को न्यायनिर्णनय के लिए भेजने से इन्कार	घटा कर १ रुपया कर दी जाए
६९	५८	श्री प्रभातकार	सिफारिशों और समझौतों के कार्यान्वयन में देरी	घटा कर १ रुपया कर दी जाए
६९	७	श्री शिवमूर्ति	तृतीय पंच वर्षीय योजना में कृषि सम्बन्धी श्रम के उचित प्रयोग की आवश्यकता	१०० रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
६९	८	श्री शिवमूर्ति	सहकारी श्रम संघटन को प्रोत्साहन देने के लिए असफलता	१०० रुपये
६९	९	श्री नी० श्री कान्तन नायर	औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ की धारा १० (क) के अन्तर्गत विवाच की सफलता के लिए पर्याप्त धन देना	१०० रुपये
६९	१०	श्री शिवमूर्ति स्वामी	कृषि श्रमिकों को गर्मियों में काम देना	१०० रुपये
६९	११	श्री वारियार	सी द्वीप के कर्मचारियों को काम देना	१०० रुपये
६९	१५	श्री वारियार	श्रमजीवी पत्रकार मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को शीघ्र क्रियान्वित करना	१०० रुपये
६९	१६	श्री वारियार	औद्योगिक विवाद अधिनियम का कार्यकरण	१०० रुपये
६९	५६	श्री नी० श्रीकान्तन नायर	श्रम न्यायालयों और न्यायाधिकरणों के लिए विशेष न्यायिक पदालि स्थापित करना	१०० रुपये
६९	६०	श्री नी० श्रीकान्तन नायर	सब उच्चन्यायालयों और उच्चतम न्यायालयों के विशेष श्रम बैंच की स्थापना	१०० रुपये
६९	६१	श्री प्रभात कार	औद्योगिक श्रम के प्रति मजूरी नीति	१०० रुपये
६९	६२	श्री प्रभातकार	औद्योगिक श्रम के प्रति मजूरी नीति	१०० रुपये
६९	६३	श्री प्रभातकार	इन्जीनियरिंग उद्योग के लिए मजूरी बोर्ड की स्थापना	१०० रुपये
६९	६४	श्री प्रभातकार	प्रेस कर्मचारियों के लिए मजूरी बोर्ड की स्थापना	१०० रुपये
६९	६५	श्री प्रभातकार	श्रमिकों की न्यूनतम मजूरी में वृद्धि	१०० रुपये
६९	६६	श्री प्रभातकार	घोर परिश्रम करने वाले कर्मचारियों के आर्थिक हितों की रक्षा	१०० रुपये
६९	६७	श्री प्रभात कार	मजूरी बोर्ड जांच में विलम्ब	१०० रुपये
६९	६८	श्री प्रभातकार	बैंक पंचाट प्रकाशन में विलम्ब	१०० रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
६९	६९	श्री प्रभातकार	सरकारी क्षेत्र के इस्पात उद्योग में औद्योगिक कानूनों को लागू करना	१०० रुपये
६९	७०	श्री प्रभातकार	अधिक श्रम न्यायालयस्थापित करना	१०० रुपये
६९	७१	श्री प्रभातकार	कर्मचारी राज्य बीमा का कार्यकरण	१०० रुपये
६९	७२	श्री प्रभातकार	कर्मचारी राज्य बीमा योजना को हुगली जिले में विस्तार	१०० रुपये
६९	७३	श्री प्रभातकार	कर्मचारी राज्य बीमा योजना का पश्चिम बंगाल के सारे औद्योगिक क्षेत्र में विस्तार	१०० रुपये
६९	७४	श्री प्रभातकार	कर्मचारी राज्य बीमा योजना को श्रमिकों के परिवारों पर लागू करना	१०० रुपये
६०	७५	श्री प्रभातकार	कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत श्रमिकों को अस्पतालों की सुविधा देना	१०० रुपये
६९	७६	श्री प्रभातकार	कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत पश्चिम बंगाल में अस्पतालों की आवश्यकता	१०० रुपये
६९	७७	श्री प्रभातकार	कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अधीन श्रमिकों को उचित डाक्टरी सुविधाएं देना	१०० रुपये
६९	७८	श्री प्रभातकार	कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत नियोजकों का अंश-दान बढ़ाना	१०० रुपये
६९	७९	श्री प्रभातकार	श्रमजीवी परिवार बजट के नये अध्ययन पर उपभोक्ता देश-नांक बनाना	१०० रुपये
६९	८०	श्री प्रभातकार	श्रम जीवी उपभोक्ता मूल्य देश-नांक में त्रुटियां	१०० रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
६९	८१	श्री प्रभातकार	कार्मिक संघों की अभिज्ञात करने में गुप्त मतदान जारी करना	१०० रुपये
६९	८२	श्री प्रभातकार	प्रबन्ध में श्रमिकों के भाग लेने की योजना को अन्य क्षेत्रों में बढ़ाना	१०० रुपये
६९	८३	श्री प्रभातकार	श्रमिक शिक्षा योजना की असफलता	१०० रुपये
६९	८४	श्री प्रभातकार	कपड़ा मजूरी बोर्ड के पंचाट को सब मिलों में क्रियान्वित कराना	१०० रुपये
६९	८५	श्री प्रभातकार	समझौता अधिकारियों का कार्य	१०० रुपये
६९	८६	श्री प्रभातकार	श्रम निदेशालय के काम में सुधार	१०० रुपये
६९	८७	श्री प्रभातकार	खान क्षेत्रों में सुरक्षा के अधिक अच्छे उपाय	१०० रुपये
६९	८८	श्री प्रभातकार	देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी को रोकना	१०० रुपये
६९	८९	श्री प्रभातकार	नौकरी दफ्तरों के काम में सुधार	१०० रुपये
६९	९०	श्री प्रभातकार	नये नौकरी दफ्तरों की आवश्यकता	१०० रुपये
६९	९५	श्री वारियार	औद्योगिक श्रमिकों को अधिक मंहगाई भत्ता देना	१०० रुपये
६९	९६	श्री वारियार	श्रमिकों को दिल्ली में 'ए' श्रेणी का भत्ता देना	१०० रुपये
६९	९७	श्री वारियार	दिल्ली के कुछ औद्योगिक प्रतिष्ठानों में न्यूनतम मजूरी अधिनियम को लागू करना	१०० रुपये
६९	९८	श्री वारियार	औद्योगिक बस्तियों के श्रमिकों को मनोरंजन सुविधाएं देना	१०० रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
६९	९९	श्री वारियार .	. कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अधीन अस्पतालों के समय को बदलना	१०० रुपये
६९	१००	श्री वारियार .	. श्रमिकों के प्रशिक्षण की योजना को उचित रूप से क्रियान्वित करना	१०० रुपये
६९	१०१	श्री वारियार .	. ओटकला की औद्योगिक बस्ती के श्रमिकों के हितों की रक्षा	१०० रुपये
६९	१०२	श्री वारियार .	. औद्योगिक बस्तियों में श्रमिकों के वेतन क्रमों को ठीक करना	१०० रुपये
६९	१०३	श्री वारियार	औद्योगिक श्रमिकों की न्यूनतम मजूरी में वृद्धि करना	१०० रुपये
६९	१०४	श्री वारियार .	. औद्योगिक बस्तियों में श्रमिकों की सहकारी उपक्रमों को प्रोत्साहन	१०० रुपये
६९	१०५	श्री वारियार .	. दिल्ली के कारखानादारों के विरुद्ध कार्यवाही जिन्होंने अपने कर्मचारियों को सरकारी प्रशिक्षण सुविधाओं को लाभ उठाने का अवसर नहीं दिया	१०० रुपये
७९	१०८	श्री कुन्हन .	. कृषि श्रमिकों की जीवन स्थिति का बिगड़ना	१०० रुपये
६९	१०९	श्री कुन्हन	बेरोजगार कृषि श्रीमकों को काम देना	१०० रुपये
६९	११०	श्री प्रभातकार .	. उच्चतम न्यायालय कलकत्ता के का सिनेमा वालों के मुकदमों का निर्णय	१०० रुपये
६९	१११	श्री प्रभातकार .	. उन स्थानों पर जहां कर्मचारी राज्यबीमा नहीं है, भविष्य निधि से ऋण देना	१०० रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
६९	११२	श्री प्रभातकार	. कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अधीन विशेषज्ञों की नियुक्ति	१०० रुपये
६९	११३	श्री प्रभातकार	. उन श्रमिकों को जिन्हें महीनों से वेतन नहीं मिला, सहायता देना	१०० रुपये
६९	११४	श्री प्रभातकार	. औद्योगिक श्रमिकों को मकान देना	१०० रुपये
६९	११५	श्री प्रभातकार	. नियोजकों के विरुद्ध काम कानून भंग करने के लिए कार्यवाही	१०० रुपये
७१	३६	श्री सोय	. बिहार में झिकपानी सीमेंट कारखानों के श्रमिको में क्षय रोग	१०० रुपये
७१	३७	श्री सोय	. बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में आदिवासी श्रमिकों का शोषण	१०० रुपये
७१	३८	श्री सोय	. आई० सी० सी० लि० के श्रमिकों के उपदान के मामले की जांच	१०० रुपये
७१	४४	श्री शिवमूर्ति स्वामी	. प्रवीण तथा अप्रवीण श्रमिकों को रोजगार देने के लिए श्रम सहकारी संस्थायें	१०० रुपये
७१	४५	श्री शिवमूर्ति स्वामी	. शिक्षित प्रवीण और अप्रवीण श्रमिकों को रोजगार	१०० रुपये
७१	९१	श्री शिवमूर्ति स्वामी	. लौह अयस्क, मैंगनीज आदि के खानों के श्रमिकों के लिए मजूरी बोर्ड	१०० रुपये
७१	९२	श्री वारियर	. रबड़ बगान के लिए मजूरी बोर्ड के काम में शीघ्रता लाना	१०० रुपये
७१	९३	श्री वारियर	. विचित्र मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को क्रियान्वित करना	१०० रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
७१	९४	श्री वारियर . .	. इंजीनियरिंग बोर्ड के लिए मजूरी बोर्ड बनाना	१०० रुपये
७१	११६	श्री वारियर .	. श्रमिक प्रतिकर अधिनियम की सुविधाओं को कृषि विभाग में लागू करना	१०० रुपये
७१	११७	श्री वारियर .	. बागानों और औद्योगिक उपक्रमों में अपर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं	१०० रुपये
७२	११८	श्री वारियर .	. बागानों में जिला चिकित्सा अधिकारियों द्वारा अपर्याप्त चिकित्सा पर्यवेक्षण	१०० रुपये
७१	११९	श्री वारियर	. कर्मचारी राज्य बीमा योजना अस्पतालों में असंतोषजनक स्थिति	१०० रुपये
७१	१२०	श्री वारियर .	. बागान अस्पतालों में प्रसूति विभाग बढ़ाना	१०० रुपये
७१	१२१	श्री वारियर .	. अभिज्ञात कार्मिक संघों की सलाह के बिना कर्मचारियों को दंड दिया जाना	१०० रुपये
७१	१२२	श्री वारियर .	. श्रमिक पदाधिकारियों द्वारा बुलाये गये समझौते की बैठकों में नियोजकों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति आवश्यक बनाना	१००रुपये
७१	१२३	श्री वारियर .	. कोट्टयम केरल राज्य में बागान श्रम निरीक्षणालय का असंतोषजनक कार्य	१०० रुपये
७१	१२४	श्री वारियर .	. आस्थगित मजूरियों के नियम के आधार पर न्यूनतम अभ्यंश योजना आरम्भ करने की आवश्यकता	१०० रुपये
७१	१२५	श्री वारियर .	. बीड़ी और सिगार उद्योग के लिए मजूरी बोर्ड बनाने की आवश्यकता	१०० रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्ताविक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
७१	१२६	श्री वारियर .	. बड़े पत्तनों में सामयिक मजदूरों को स्थायी बनाने की योजना के कार्यान्वयन को तेज करने की आवश्यकता	१०० रुपये
७१	१२६	श्री वारियर .	. बेरोजगारी निवारण योजना के सारे राष्ट्र में आरम्भ करने की आवश्यकता	१०० रुपये
७१	१२८	श्री वारियर .	. औद्योगिक उपक्रमों में सुरक्षितता के लिए कदम उठाने की आवश्यकता	१०० रुपये
७१	१२९	श्री वारियर .	. सब उद्योगों में मजदूरों के लिए उपदान की योजना आरम्भ करने के लिए कानून बनाने की आवश्यकता	१०० रुपये
७१	१३०	श्री वारियर .	. मूल्यांकन और कार्यान्विति प्रणाली की कार्य पद्धति	१०० रुपये
७१	२३१	श्री वारियर .	. रोपण श्रमिकों के लिए मकान बनाने की आवश्यकता	१०० रुपये
७१	१३२	श्री वारियर .	. रोपण श्रमिकों के लिए पर्याप्त पानी की व्यवस्था की आवश्यकता	१०० रुपये
७१	१३३	श्री पी० कुन्हन .	. बीड़ी और सिगार उद्योगों के लिए राष्ट्रीय मजूरी बोर्ड स्थापित करने की आवश्यकता	१०० रुपये
७१	१३४	श्री पी० कुन्हन .	. कृषि मजदूरों के लिए न्यूनतम मजूरियां देने की योजना के कार्यान्वयन की आवश्यकता	१०० रुपये
७१	१३५	श्री पी० कुन्हन .	. दक्षिण क्षेत्र में दियासलाई कारखाने के कर्मचारियों के लिए मजूरी ढांचा बनाने में असफलता	१०० रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
७१	१३६	श्री पी० कुन्हन	. दक्षिण क्षेत्र में टाईल मजदूरों की रहने की परिस्थितियों को अच्छा बनाने की आवश्यकता	१००रुपये
७१	१३७	श्री पी० कुन्हन	. हाथकरघा मजदूरों के लिए न्यूनतम मजूरो की योजना को कार्यान्वित करने में असफलता	१०० रुपये
७२	४६	श्री शिवमूर्ति स्वामी	. बातचोत द्वारा मजदूरों के झगड़े निपटाने में असफलता	१०० रुपये
१३२	४७	श्री शिवमूर्ति स्वामी	. देश में सब तालुकों में टैक्निकल स्कूल खोलने की आवश्यकता	१०० रुपये

†**सभापति महोदय** : ये सभी कटौती प्रस्ताव सभा के सामने प्रस्तुत हैं।

†**श्री प्रिय गुप्त** (कटिहार) : श्रम मंत्रालय ने कुछ अनुदेश जारी किये हैं, पर अन्य प्रशासकीय मंत्रालय कहते हैं कि उनको कार्यान्वित नहीं किया जा सकता।

इसके दो उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूं। कुछ समय पहले उपमुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) ने सभी केन्द्रीय कार्मिक संघों और रेलवे कर्मचारी संघों से कहा था कि यदि केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को नियत तिथियों पर उचित वेतन-वृद्धि का लाभ नहीं दिया जायेगा, तो वह मजूरी भुगतान अधिनियम की व्यवस्थाओं का उल्लंघन माना जायेगा और सम्बंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी। रेलवे मंत्रालय और कुछ अन्य मंत्रालय उस पर चुप्पी साधे रहें। वेतनवृद्धि रोकने के बारे में उपमुख्य श्रम आयुक्त को हमने कई बार लिखा, पर कोई फल नहीं निकला। कुछ दिन बाद रेलवे अधिकारियों की इस खामी पर पर्दा डालने के लिये मजूरी भुगतान अधिनियम को ही संशोधित कर दिया गया।

मैं जानना चाहता हूं कि रेलवे में नमिक्तिक श्रमिकों की मजूरी निर्धारित करने के लिये कौनसी कसौटी निश्चित की गई है ? रेलवे बोर्ड कहता है कि उसका निर्धारण न्यूनतम मजूरी अधिनियम के अन्तर्गत किया जाना चाहिये। ठीक है। उस अधिनियम के अनुसार न्यूनतम मजूरी निर्धारित करने वाला अधिकारी जिला मजिस्ट्रेट होता है। लेकिन गैंगमैनों, प्वांइट्समैनों और ट्राली चलाने वालों की मजूरी जिला मैजिस्ट्रेटों के निर्णयों के अनुसार निर्धारित नहीं की गई है। तब फिर क्यों कहा जाता है कि उनकी मजूरी का निर्धारण न्यूनतम मजूरी अधिनियम के अन्तर्गत किया गया है ? और, पिछले वर्ष ७ अगस्त को मजूरी भुगतान अधिनिय को भी संशोधित कर दिया गया था।

†मूल अंग्रेजी में

इसीलिये मैं कहता हूं कि श्रम मंत्रालय के अनुदेशों का पालन ही नहीं किया जाता ।

मैं आंकड़ों के खिलवाड़ में विश्वास नहीं करता । इतना मैं जानता हूं कि साधारण मजदूर परिवार भरपेट भोजन नहीं जुटा पाता, तन ढंकने के लिये वस्त्र नहीं जुटा पाता और अपने बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था नहीं कर पाता । यही बात हमने केन्द्रीय वेतन आयोग के सामने रखी थी, लेकिन आयोग ने अपनी विवशता प्रकट कर दी कि वह अपने निर्देश-पद के बाहर नहीं जा सकता । असल में निर्देश-पद ही गलत थे ।

इसीलिये वेतन आयोग के इतने सुयोग्य सदस्य भी मजदूरों को कोई लाभ नहीं पहुंचा सके । वे अपने आयोग के निर्देश-पदों से बंधे हुए थे । पर उन्होंने हमारी कुछ सुविधायें अवश्य छीन लीं ।

मंहगाई भत्ते के बारे में कुछ लोग कहते हैं कि मंहगाई भत्ता कई वर्ष तक जारी रखने का मतलब स्पष्ट है कि सरकार जीवन-निर्वाह के देशनांक के बराबर वेतन नहीं देना चाहती । मंहगाई भत्ते का एक भाग वेतन में मिलाकर इस पर पर्दा डालने की कोशिश की गई है । द्वितीय वेतन आयोग से पहले एक श्रमिक को ३० रुपये वेतन, ४५ रुपये मंहगाई भत्ता और ५ रुपये कुल मिलाकर ८० रुपये मिलते थे, अब उसे ७५ रुपये वेतन, और १० रुपये मंहगाई भत्ता--कुल मिलाकर ८५ रूपये मिलते हैं ।

सरकार जनता के सामने यह सफाई पेश कर देती है कि उसने तो आयोग नियुक्त किया था और उसी की सिफारिश के मुताबिक चल रही है । और श्रमिक जहां के तहां हैं ।

मंहगाई भत्ते के बारे में निर्णय यह था कि यदि निर्वाह लागत बढ़ती ही जायेगी, तो भत्ता अस्थायी तौर पर दे दिया जायेगा और उसके बाद एक न्यायाधिकरण नियुक्त किया जायेगा । यदि न्यायाधिकरण उस अस्थायी भत्ते को ज्यादा समझेगा तो कम कर देगा और कम समझेगा तो बढ़ा देगा । केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को न तो १७ महीने का बकाया भत्ता दिया गया और न न्यायाधिकरण ही नियुक्त किया गया है ।

निर्वाह-लागत का यह हाल है कि मकानों के किराये दोगुने हो गये हैं ।

क्या निर्वाह-लागत के आधार पर मंहगाई का हिसाब लगाने वालों ने इसे भी लेखा था ?

श्रम-विवादों को निबटाने के लिये कई न्यायालय और कई श्रम आयुक्त मौजूद हैं ।

पर मेरा अपना अनुभव है कि प्रादेशिक श्रम आयुक्त रेलवे अधिकारियों द्वारा विधेयकों की व्यवस्थाओं के उल्लंघन की हमारी शिकायतों पर कान ही नहीं देते । वे कह देते हैं "जाने दीजिये, इस पर हमें कुछ करने का अधिकार नहीं है ।"

गोरखपुर की एक हड़ताल में एक समझौता अधिकारी आया था । लेकिन चूंकि मामला एक सरकारी अधिकारी और एक सरकारी कर्मचारी के विवाद का था, इसलिये वह कुछ भी नहीं कर सका ।

१९५१ में एक स्थायी वार्ता समिति की स्थापना की गई थी । उसका काम था कि श्रम विवादों का निबटारा करे, जिससे उनको न्यायालयों में न भेजना पड़े । श्रम मंत्री स्वयं देखें कि उसके सामने जितने भी विवाद गये हैं, वे सभी महा-प्रबन्धक या रेलवे बोर्ड के निर्देशों का अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा पालन न करने के सम्बन्ध में थे ।

स्थायीवार्ता समितियों की व्यवस्था से सभी सहमत थे। उसके तीन स्तर थे—ज़ोन, रेलवे बोर्ड और तीसरा न्यायाधिकरण। तीसरे स्तर पर न्यायाधिकरण तो कभी बना ही नहीं। और स्थायी वार्ता समितियों द्वारा कराये गये करारों को कार्यान्वित करने की अनुमति ही नहीं दी जाती। इस पर भी सरकार चाहती है कि श्रमिकों में चेतना आये और औद्योगिक शान्ति हो।

माननीय मंत्री ने श्री सामन्त के प्रश्न के उत्तर में कहा था कि अभियोग-पत्र तैयार करने, जांच करने और दण्ड देने के काम एक ही अधिकारी को नहीं सौंपा जाना चाहिये।

रेलवे प्रशासन ने इसका पालन नहीं किया है।

और अब व्हिटले परिषदों की योजना रखी जा रही है। इसका केवल एक उद्देश्य है। यह कि सरकार अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के सामने अपनी प्रतिष्ठा बनाये रख सके। व्हिटले परिषदों की आड़ में मजदूरों के कार्मिक संघीय अधिकारों को हानि पहुंचाई जा रही है। इसे सहन नहीं किया जा सकता।

भिलाई इस्पात कारखाने श्रमिकों के काम की शर्तों को नियमित करने के लिये स्थायी आदेश तो हैं, पर उनको कार्यान्वित नहीं किया गया है। वहां मजदूरों के लिये मकानों की ठीक व्यवस्था नहीं है। पेन्शन की योजना उन पर थोपी गई थी। पेन्शन का विकल्प स्वीकार करने वाले ९० प्रतिशत श्रमिकों को पेन्शन नहीं मिली है। कई श्रमिक पेन्शन बिना पाये ही मर गये हैं और उनकी विधवाओं को भरपेट खाना तक नहीं मिल रहा है।

आजकल बड़ी दुहाई दी जाती है श्रमिकों को प्रबन्ध में हाथ बंटाने का अवसर देने की योजना की। वह योजना काग़ज पर ही अच्छी लगती है। कारखानों में स्वयं काम करने वाले ही मज़दूरों की वास्तविक कठिनाइयों को समझ सकते हैं। यह चीज़ें जनता में प्रचार करने के लिये ही उपयोगी हो सकती हैं। यदि श्रम मंत्रालय और भारत सरकार सख्ती से काम नहीं लेगी, तो अन्य मंत्रालयों के कार्यपालक अधिकारी और सरकारी तथा ग़ैर-सरकारी उद्योगों के मालिकान सरकार की इच्छाओं और निर्णयों को विफल कर देंगे।

शिलांग में महालेखा परीक्षक के कार्यालय के एक कर्मचारी ने अधिकारियों की मनमानी और उत्तेजनात्मक रुख की शिकायत करते हुए तार पर तार भेजे। बात सही निकली। मैं ने पता लगाया तो देखा कि बात सही है। लेकिन वहां छोटी-छोटी बातों पर भी बड़े कड़े दण्ड दिये जाते हैं।

यदि विधि की व्यवस्था स्पष्ट हो और श्रमिकों के हित का ध्यान रखते हुए काम किया जाये, तो श्रमिक पूरा-पूरा सहयोग देगा।

†**डा० मेलकोटे** (हैदराबाद) : मैं सबसे पहले राज्य-मंत्री श्री हाथी का स्वागत करता हूं। मैं उनको अपने सहयोग का आश्वासन देता हूं। आज यदि हम श्रम सम्बन्धी नीतियों के बारे में अपनी कोई राय बनाना चाहते हैं तो हमें देखना चाहिये कि पिछले पन्द्रह वर्षों में क्या हुआ है।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

इस मंत्रालय के प्रयत्नों के फलस्वरूप जन-घंटों की हानि, न्यूनतम हो गई है। आज श्रमिकों की दशा पहले से बेहतर हो गई है। फिर भी हमने ३५ लाख जन-दिन खो दिये हैं, अर्थात् लगभग १५ फैक्टरियों के १,००० मजदूरों के काम की हानि हुई है, जिसकी लागत २२ करोड़ रुपये होगी। हमारे जैसा निर्धन देश यह गवारा नहीं कर सकता कि वर्ष में १५–१६ फैक्टरियां बन्द पड़ी रहें। इसे और भी कम होना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

जितने भी विदेशी लोग आते हैं हमारी औद्योगिक प्रगति और मेहनती मजदुरों की सराहना करते हैं। इसलिये उनको आश्चर्य होता है कि हमारे देश में मजूरी इतनी कम क्यों है। कारण स्पष्ट है कि हम अधिक से अधिक उत्पादन करके विदेशों से प्रतियोगिता करना चाहते हैं।

मंत्रालय ने औद्योगिक सम्बंधों के सुधार के लिये प्रबन्ध के काम में श्रमिकों का सहयोग लेने की योजना चालू की है। हमें केवल खामियों की आलोचना नहीं करनी चाहिये, बल्कि रचनात्मक सुझाव देने चाहियें। यह तो सही है कि हमारा उत्पादन बढ़ता जा रहा है, पर जर्मनी आदि देशों से उसकी तुलना नहीं की जा सकती।

हमारे पास मशीनें भी हैं, हम मेहनती भी हैं, फिर भी हमारा उत्पादन विदेशों के स्तर तक क्यों नहीं पहुंच रहा है? इससे स्पष्ट है कि कहीं असंतोष होना चाहिये। मालिकों को असंतोष नहीं हो सकता। हमारी लोकतांत्रिक समाजवादी व्यवस्था में सरकारी नीति ऐसी होनी चाहिये कि उत्पादन पर होने वाला मुनाफा देश की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करता चले। मंत्रालय ने इसके बारे में हमें नहीं बताया।

मजदूरों को इसलिये असन्तोष है कि उनके श्रम से होने वाले उत्पादन का लाभ चन्द मालिकों को ही होता है। हमारे देश में ७,००० से १०,००० तक बड़े उद्योग हैं, और वे १५० या १६० व्यक्तियों की पारिवारिक सम्पत्ति हैं। अधिकांश मुनाफे उनकी ही जेबों में जाते हैं। हमने इसी के बारे में सूचना चाही थी कि उसका कितना भाग सामान्य जनता के हिस्से में पड़ता है।

अनुशासन संहिता एक अच्छी चीज है। उसे गैर सरकारी उद्योग तो अपनाते जा रहे हैं, पर पता नहीं क्यों डाक तथा तार विभाग और रेलवेज़ ने उसे क्यों नहीं अपनाया है। सरकारी क्षेत्र को तो आदर्श उपस्थित करना चाहिये था।

१९६० की आम हड़ताल के सिलसिले में काफ़ी बड़ी संख्या में कर्मचारियों को निकाला गया है। हमने अनुरोध किया था कि उनके मामलों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाये। हां, हिंसात्मक कार्यों में भाग लेने वालों को काम पर न लिया जाय। शेष को वापस लिया जाना चाहिये।

हमारे देश में अब एक ऐसी परिस्थिति है कि हमें एक नये सिरे से उसका लेखा-जोखा करना चाहिये।

हमारे देश में विभिन्न कार्मिक संघों की आवश्यकता है। इसलिये सरकार को ऐसी नीति बनानी चाहिये कि एक ही क्षत्र में विभिन्न कार्मिक संघों को मान्यता दी जा सके। लोकतांत्रिक देश में संघों को मान्यता देने का यही तरीका होना चाहिये।

औद्योगिक सम्बन्धों में काफी सुधार हुआ है। अनुशासन संहिता को कार्यान्वित करने वाले कुछ अधिकारियों की अपनी तकलीफें हैं। सरकार को उनकी जांच करनी चाहिये। उनको सन्तुष्ट किया जाना चाहिये।

इस मंत्रालय के अधीन, मुख्य श्रम आयुक्त संगठन के अन्तर्गत हैदराबाद में केन्द्रीय औद्योगिक सम्बन्ध व्यवसथा के अधिकारियों के प्रशिक्षण की व्यवसथा की जा रही है। मंत्रालय को इसकी जांच करनी चाहिये कि अधिकारियों के प्रशिक्षण की ओर समुचित ध्यान क्यों नहीं दिया गया था।

प्रतिवेदनों में कार्यक्षमता और कल्याण संहिता का भी उल्लेख है। मजदूरों की भावना कुछ ऐसी है कि इसे स्वीकार करने से उनको हानि होगी। इस प्रकार की भावना का निराकरण करना चाहिये। इसके लिये जरूरी है कि मजदूरों के श्रम के लाभ का एक अंश उनको भी मिलता रहे। तभी उत्पादन बढ़ सकेगा।

मूल्यों में स्थायित्व लाना इस दृष्टि से अत्यावश्यक है। इस प्रश्न पर विचार किया जाना चाहिये।

कोयला खानों की भांति ही, अन्य खनिजों की खानों के मजदूरों के लिये भी मजूरी बोर्ड, बोनस आयोग इत्यादि नियुक्त किये जाने चाहियें। उनकी भी वही कठिनाइयां है, जो कोयला खनिकों की है।

राष्ट्रीय आय की वृद्धि का लाभ खेतिहर मजदूरों को भी होना चाहिये।

आज निर्वाह लागत बढ़ गई है, इसलिये दस वर्ष पहले निर्धारित की गई न्यूनतम मजूरी का पुनरीक्षण किया जाना चाहिये। यह अत्यावश्यक हो गया है।

श्री कछवाय (देवास) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक साधारण मिल-मजदूर हूं और मैं आज भी मिल में काम करता हूं। इसलिये मैं जो भी मजदूरों के ससबन्ध में कहूं, वह सारे भारत के मजदूरों की आवाज़ मानी जानी चाहिए।

सब से पहले मैं आपके सामने एक ताज़ा उदाहरण रखना चाहता हूं। पास में ही सोनीपत नाम का एक नगर है, जिसमें एटलस साइकिल की फ़ैक्ट्री है। उस फ़ैक्ट्री में तीन हज़ार मज़दूर काम करते हैं। उन लोगों का मांग है कि हमारा तीन साल का बोनस दिया जाये और हमारे जो १५४ व्यक्ति बिना कारण पांच महीने से निकाल दिये गये हैं, उनको काम पर लिया जाये। इसके लिये कई बार मिल मालिकों से मिला गया और उनको नोटिस दिया गया। इसके साथ ही लेबर आफिसर से भी मिला गया और नोटिस दिया गया, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। आज भारतीय मजदूर संघ की ओर से एक मज़दूर भूख-हड़ताल कर रहा है और उसकी भूख-हड़ताल का नवां दिन है। मैं स्वयं कल उसको देखने गया था। उसकी हालत बहुत खतरनाक है। आज का मैं नहीं कह सकता कि वह जीवित है या मर गया है। कल मैंने स्वयं उसकी दशा अपनी आंखों से देखी। आज सारा नगर मज़दूरों के पक्ष में है, लेकिन मिल-मालिक मज़दूरों के साथ कोई बात नहीं करना चाहते। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इस विषय को बहुत ही जल्दी से देखना चाहिए और उन लोगों की मांग सुननी चाहिए। अगर इस तरफ जल्दी ध्यान नहीं दिया गया, तो संभवतः सारे नगर में स्थिति बहुत भयंकर रूप पकड़ लेगी अगर वह व्यक्ति मर गया, तो वहां पर इतना भयंकर उपद्रव खड़ा हो जायेगा कि मैं उसका कोई अन्दाज़ नहीं कर सकता।

दूसरी बात मैं ट्रेड यूनियनज को मान्यता दिये जाने के बारे में कहना चाहता हूं। इंटक को तो मान्यतादी गई है लेकिन जो दूसरी यूनियनज हैं उनको मान्यता नहीं दी गई है। इस कारण से जो भी कठिनाइयां मज़दूरों को होती हैं, जो भी उनकी समस्यायें होती हैं, उनको इंटक के लोगों और मिल मालिक आपस में मिल बैठ कर तय कर लेते हैं और समझौते कर लेते हैं जिससे मज़दूरों का हित नहीं होता है और मज़दूर दुखी रहते हैं। इसके सम्बन्ध में मैं आपके सामने मध्य प्रदेश के कुछ उदाहरण रखना चाहता हूं।

मध्य प्रदेश में उज्जैन नामक नगर में एक नजरअली मिल है जो कपड़ा मिल है। उस मिल में चार हजार मजदूर काम करते थे। उन चार हजार मजदूरों के पीछे सोलह हजार परिवार के सदस्य पलते थे। उस मिल को आज बन्द हुए सात साल का लम्बा अर्सा हो चुका है। कई बार हमने कलैक्टर साहब के पास जाकर इसकी शिकायत की है, इंटक के लोगों के पास गए हैं, हमारे यहां के जो सदस्य महोदय हैं उनके घर गए हैं और उनके सामने इस बात को रखा है लेकिन हमारी बात को किसी ने नहीं सुना। क्यों हमारी सुनवाई नहीं हुई, यह मैं आपको बतलाना चाहता हूं। इसका मुख्य कारण यह है कि वह मिल घाटे में चल रही थी तो मिल मालिक ने इंटक के लोगों से कहा कि यह महंगाई का जमाना है, बड़ा टैक्स उनको अदा करना पड़ता है जिसको वह दे नहीं सकते हैं, इस वास्ते वह मिल को बन्द करना चाहते हैं। इंटक के लोगों ने कहा कि इसके लिये आपको बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। मिलमालिक ने कहा कि हमें मंजूर है और हम उस कीमत को चुकाने के लिये तैयार हैं। उन्होंने कहा कि हमें श्रम भवन बनाना है, इसलिये आप हमें जमीन दो और इसके बदले में हम आपको छूट देते हैं कि आप मिल बड़े शौक के साथ बन्द कर सकते हैं। ऐसा ही हुआ। उनको जमीन दे दी गई। इस जमीन पर उन्होंने बड़ा अच्छा भवन बनाया। वह मिल आज भी बन्द पड़ी है। उसके मजदूर तितर बितर हो गये हैं, बेघरबार हो गये हैं। एक व्यक्ति जिसका नाम मांगीलाल था उसके तीन बच्चे छः दिन से भूखे थे। उस वक्त दीवाली का त्यौहार चल रहा था। बच्चों ने पिता को कहा कि वह उनके लिये पटाखे लाये क्योंकि दूसरे बच्चे पटाखे चला रहे थे जब बाप ने अपनी असमर्थता प्रकट की तो बच्चे रोने लगे गए। बाप से यह सब कुछ सहन नहीं हुआ और उसने पायजन खाकर आत्म-हत्या कर ली। इस तरह का जो घटनायें होती हैं, इनकी तरफ आपका ध्यान जाना चाहिये। मजदूरों की जब सुनवाई नहीं होती है तो उनको भूख हड़ताल इत्यादि का आश्रय लेने पर या हड़ताल करते पर मजबूर हो जाना पड़ता है। मिलों के अन्दर कई प्रकार के पक्षपात भी चलते हैं। अगर मिल के अन्दर कोई चोरी करता है तो हम चाहते हैं कि उसको इसका दण्ड दिया जाए और उसको उसका दण्ड मिलना चाहिए। लेकिन आज होता यह है कि इंटक के लोग चोरी करने के बाद भी काम पर बने रहते हैं लेकिन जो दूसरे व्यक्ति होते हैं, उनको निकाल दिया जाता है, उनको काम पर नहीं रखा जाता है। इसी तरह से जब तरक्की का सवाल आता है या कोई दूसरा अच्छा मौका आता है तो इन्टक के जो सदस्य होते हैं उन्हें तो तरक्की मिल जाती है लेकिन दूसरों को नहीं दी जाती है। मैंने १९५२ के चुनावों में देखा है, १९५७ के चुनावों में देखा है, १९६२ के चुनावों में देखा है कि उनके दौरान में इंटक के लोग कांग्रेस को विजयी बनाने के लिये छुट्टी लेकर चले गये और उनको छुट्टी मिल भी गई और इस छुट्टी के दौरान में उनको वेतन बराबर दिया गया। एक एक और दो दो महीने वे इन क्षेत्रों में काम करते रहे और बराबर उनको वेतन मिलता रहा। लेकिन हमारे जो कार्यकर्ता होते हैं, हमारे जो व्यक्ति होते हैं, उनको एक तो छुट्टी ही दी जाती है और अगर छुट्टी दी भी जाती है तो उनको तनख्वाह नहीं दी जाती है। पहले तो छुट्टी देने में कई प्रकार की कठिनाइयां, कई प्रकार के रोड़े उनके रास्ते में अटकाये जाते हैं और अगर किसी तरह से छुट्टी दे भी दी जाती है तो तनख्वाह नहीं दी जाती है। इस प्रकार का जो पक्षपात है, यह ठीक नहीं है और यह बन्द होना चाहिये। इससे मजदूरों में बड़ी बेचैनी फैलती है।

एक उदाहरण और मैं आपको देना चाहता हूं। हमारे मजदूरों के पैसे से इन्दौर में एक बहुत बड़ा श्रम भवन बनाया गया है। हमारी इच्छा हुई कि चूंकि यह हमारे पैसे से भवन बना है, इस वास्ते इसको जाकर देख तो लिया जाए। सन् १९५५ में २८ अगस्त के दिन दो बजकर पैंतीस मिनट पर मैं वहां गया और मेरे साथ चार पांच व्यक्ति भी थे। मैंने उन लोगों से कहा कि हम उज्जैन के मजदूर हैं और हम भवन को देखना चाहते हैं। यह भवन हमारे पैसों से बना है। इसके उत्तर में हमें बताया

गया कि इसमें रामसिंह भाई जो इंटक के राजा हैं, वही रह सकते हैं, वही देख सकते हैं, दूसरा कोई नहीं देख सकता है। इस जवाब को सुन कर हम अपना सा मुंह लेकर वापिस आ गए। हमारे पैसे से बना हुआ भवन, हमारे खून पसीने की कमाई से बना हुआ भवन, हमारे चन्दे से बना हुआ भवन हम ही नहीं देख सकते, हमें ही न दिखाया जाए यह कितने आश्चर्य की बात है।

मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि अनेक छोटी छोटी बातों के अन्दर इंटक पक्षपात करता है। मजदूरों का जब ओप्रेशन होता है तो मजदूर हड़ताल करने के लिए विवश होते हैं। मजदूरों के हाथ में हड़ताल ही एक आखिरी हथियार है। हम नहीं कहते कि हड़तालें हों, हम इसके विरोधी हैं। हमारी मान्यता यह है कि हड़तालें नहीं होनी चाहियें और इनको रोकने के उपाय किये जाने चाहियें। मैं सुझाव देना चाहता हूं कि हड़तालें न हों इसके लिए यह जरूरी है कि चाहे कोई छोटी फैक्ट्री हो या बड़ी, बड़ी मिल हो या छोटी, सरकारी कारखाना हो या गैरसरकारी किसी भी प्रकार का कोई कारखाना है, उस में एक कमेटी बननी चाहिये और उस कमेटी में मिल मालिकों के, मजदूरों के और सरकार के व्यक्ति रहने चाहियें और उन को मिल बैठकर निर्णय करने चाहियें, फैसले करने चाहियें और हड़ताल की नौबत नहीं आने देनी चाहिये।

अब मैं प्राविडेंट फंड के बारे में कुछ कहना चाहता हुं। सरकार ने अभी अभी धारा ६८ के अन्तर्गत जो कर्जा मिलता था वह बन्द कर दिया है। अब हम रिश्तेदारों का इलाज नहीं करवा सकते हैं। राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत आंख और दांत के इलाज के लिए जिन दवाइयों की जरूरत पड़ती है अगर वे महंगी होती हैं तो उन्हें मजदूरों को नहीं दिया जाता है। हल्की और सस्ती सी दवायें ही उनको दी जाती हैं जिन से उनको आराम नहीं आता है उनको अच्छी दवाइयां लेने के लिए अपने पास से पैसा खर्च करना पड़ता है। जब डाक्टरों से कहा जाता है कि श्रीमान तबीयत ठीक नहीं हो रही है तो उत्तर मिलता हैं कि हम क्या करें हमें जो भी दवाइयां दी जाती हैं, उन्हीं से तो हम इलाज कर सकते हैं। यदि ऊंची दवाई लेनी हो और बीमारी ज्यादा खतरनाक हो जिसके लिए कीमती दवाई की जरूरत हो तो वह अपने पैसे से लेने के लिए हमें कह दिया जाता है। इस तरह की चीज़ नहीं होनी चाहिये। साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो मजदूर आयुर्वेदिक इलाज करवाना चाहते हैं उसकी व्यवस्था तो है लेकिन वह ठीक ढंग की व्यवस्था नहीं है। इस वास्ते जो मजदूर आयुर्वेदिक इलाज करवाना चाहते हैं उनको उसकी छूट होनी चाहिये और इसके लिए कोई अच्छा प्रबन्ध किया जाना चाहिये।

मैं यह भी चाहता हूं कि मजदूरों को इस बात की छट होनी चाहिये कि जिस किसी भी यूनियन के वे चाहें सदस्य बन सकते हैं। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि मिलों के अन्दर मजदूरों से इंटक के व्यक्तियों को तो चन्दा उगाहने की छूट दे दी जाती है लेकिन दूसरे लोगों को चन्दा उगाहने नहीं दिया जाता है। यह जो पक्षपात किया जाता है यह भी बन्द होना चाहिये। अगर कोई विरोधी चन्दा उगाहता है तो उसके खिलाफ स्ट्रांग एकशन लिया जाता है। यह जो पक्षपात किया जाता हैं, इससे मजदूर खुश नहीं हैं और उनमें बेचैनी है। यह पक्षपात बन्द होना चाहिये ग्वालियर, भोपाल, देवास, उज्जैन, रतलाम, इंदौर, मंदसौर नागदा इत्यादि में सारी मिलों के अन्दर इसी प्रकार के इंटक के अत्याचार चल रहे हैं। हम जब इंटक के लोगों से कहते हैं तो वे कहते हैं कि सरकार हमारी है, हमारी जो मर्जी होगी हम करेंगे। जब मिल मालिकों से इसकी शिकायत की जाती तो वे कहते हैं कि इंटक वालों से कहो हम क्या कर सकते हैं इंटक जो करेगी, हम तो उस को मानेंगे . . . .

श्री बड़े (खारगोन) : दूसरी यूनियंज़ को रिकगनिशन नहीं मिलता है।

श्री कछवाय : मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो पक्षपात है, यह नहीं होना चाहिये

हमारे मध्य प्रदेश में रोडवेज़ के जो कर्मचारी हैं, उन को तीन साल से बोनस नहीं मिला है। यह तो मेहरबानी हमारी इंटक सरकार की है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि जो मध्य भारत के रोडवेज़ के कर्मचारी हैं, उन को भी जल्दी से जल्दी बोनस दिलाने का प्रयत्न किया जाना चाहिये।

मैं यह भी कहना चाहता हुं कि किसान जो हैं, जो मजदूरी करते हैं और जिन के लिए कोई वेज बोर्ड नहीं बना है, उन के लिए भी वेज बोर्ड बनना चाहिये। आज उनको आठ आने रोज़ मिलो हैं और वह भी वे केवल चार महीने कमाते हैं। बाकी समय वे घर में बैठ कर गुजारते और भूखे मरते हैं। उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था नहीं होती है। मैं चाहता हूं कि इधर भी आपका ध्यान जाय और जो किसान है जो मजदूर लोग हैं उन के लिए भी आप वेज बोर्ड बनायें।

उज्जैन के मजदूर आज बहुत परेशान हैं उनको मारा जाता है और रोने भी नहीं दिया जाता। सारे अखत्यार जो इंटक वालों को दे दिये गये हैं, ठीक नहीं है। गांधी जी की दुहाई दी जाती है उनका नाम लिया जाता है लेकिन उनके बताये हुए सिद्धान्तों पर अमल नहीं होता है। यह ठीक नहीं है और ऐसा नहीं होना चाहिये। उनके बताये हूए सिद्धान्तों पर आपको अमल करना चाहिये।

†**श्री ओझा** (सुरेन्द्रनगर) : माननीय मंत्री ने कहा है कि १९६१ में औद्योगिक सम्बन्धों में काफी सुधार हुआ है। १९६० के मुकाबले, १९६१ में जन-दिनों की हानि कम हुई है। १९५९ और १९५८ के मुकाबले भी स्थिति अधिक संतोषजनक रही है। लेकिन इस से मुझे पूर्ण संतोष नहीं है।

औद्योगिक शान्ति का मुख्य कारण हमारा अपना प्रयत्न नहीं, बल्कि मजदूरों में आई एक पस्ती की भावना ही है। उसका दोष सरकार और मालिकों दोनों पर है।

हमारे देश में मजदूर आन्दोलन उतना सुदृढ़ नहीं है जितना कि होना चाहिये था। हमारे देश में विभिन्न राजनीतिक दलों के कारण, विभिन्न कार्मिक संघ बने हुए हैं, और उनके मूलभूत दृष्टिकोणों में बड़ा अन्तर है। मजदूर आन्दोलन की कमजोरी के कारण, मजदूर आज मालिकों से अपनी मांगें नहीं मनवा पाते।

देश मे कार्मिक संघों के पंजीयन की संख्या निरन्तर बढ़ती जा रही है। १९४७–४८ में पंजीयित कार्मिक संघों की संख्या २,७६६ थी, जिन की सदस्य-संख्या १६,६२,९२९ थी। १९५८-५९ में उनकी संख्या १०,२२८ हो गई, थी और उनकी सदस्य संख्या ३६,४७,१४८ थी। फेडरेशनों की संख्या भी बढ़ती जा रही है।

दूसरी ओर जन-दिनों की हानि भी कम होती गई है। फिर भी आश्चर्य है कि मजदूरों में उत्साह क्यों नहीं है। उन को उत्पादन वृद्धि में मालिकों की ओर से पूरा सहयोग नहीं मिलता।

श्रम-विवादों के निपटारे में अत्यधिक विलम्ब होता है। कहीं यह औद्योगिक शान्ति किसी बड़े तूफान की सूचना तो नहीं है? सभी मजदूर नेता यही कहते हैं कि स्थिति ठीक नहीं है।

---

†भूत अंग्रेजी में

एक तो विवादों के निबटारे में विलम्ब होता है, दूसरे उनके निर्णयों की कार्यान्विति में और भी विलम्ब होता है ।

मजदूर आन्दोलन भी इस परिस्थिति के लिये उत्तरदायी हैं । उत्पादन वृद्धि न हो पाने का दोष उनके सिर भी है ।

यदि मालिकों का यही रुख बना रहा तो मजदूरों में उत्साह पैदा नहीं हो सकेगा । उनको अपने दृष्टिकोण में बुनियादी परिवर्तन करना चाहिये ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य कल अपना भाषण जारी रखें ।

इस के पश्चात लोक-सभा गुरुवार, ७ जून १९६२/१७ ज्येष्ठ १८८४ (शक) को ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

---

†मूल अंग्रेजी में

	विषय	पृष्ठ
	प्रश्नों के मौखिक उत्तर	४२४३—६८
	तारांकित प्रश्न संख्या	
१३१०	अभ्रक खानों में सिलिकोसिस	४२४३–४४
१३११	लंका में भारतीय	४२४४—४६
१३१२	श्रम उत्पादकता	४२४६–४७
१३१३	शिकार की राइफल के कारतूसों का आयात .	४२४७–४८
१३१७	सीताराम मिल्ज़, त्रिचूर	४२४८–४९
१३१८	प्रबन्ध में कर्मचारियों द्वारा भाग लिया जाना .	४२५०—५२
१३१९	कृषि पदार्थों के लिये राज्य व्यापार निगम .	४२५२—५४
१३२४	कोचीन समुद्र तट के समीप रेडियो सक्रिय प्रयोग . .	४२५४—५६
१३२५	लोंगजू में भारत द्वारा अतिक्रमण का आरोप लगाने वाला चीनी विरोध पत्र	४२५४—५९
१३२६	सूडान से व्यापार प्रतिनिधि मंडल . . .	४२६०
१३२७	मसालों के निर्यात पर श्रेणी नियंत्रण .	४२६०–६१
१३१६	इन्डोनेशिया को शस्त्रों की बिक्री . . .	४२६२
१३१५	केन्द्रीय सरकार के अराजपत्रित कर्मचारियों को ऋण .	४२६२—६४
१३२२	राष्ट्र मंडल तथा ब्रिटिश वाणिज्य मंडल का सम्मेलनन .	४२६४–६५
१३२०	निर्यात	४२६५–६६
१३२३	तारापुर में आणविक शक्ति संयंत्र . . .	४२६६
१३१४	उत्तर प्रदेश में उद्योग	४२६७
१३२१	चीन को खाद्य पार्सल	४२६७–६८
	प्रश्नों के लिखित उत्तर	४२६८
	तारांकित प्रश्न संख्या	
१३०९	डा० आप्रो का हत्यारा	४२६८

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
२६३५	ड्राफ्टसमैन प्रशिक्षण परीक्षा .	४२६८–६९
२६३६	जिलों के आर्थिक विकास की योजना	४२६९
२६३७	ग्रामीण आवास योजना . .	४२६९
२६३८	उड़ीसा में कुटीर उद्योग .	४२७०
२६३९	संगठन और रीति प्रभाग . .	४२७०–७१
२६४०	उत्तर प्रदेश में औद्योगिक बस्तियां .	४२७१
२६४१	सरकारी मुद्रणालय . . .	४२७१
२६४२	कोयम्बटूर में सरकारी मुद्रणालय	४२७१–७२
२६४३	सरकारी क्वार्टर . . .	४२७२
२६४५	उड़ीसा में आवास योजनाएं . .	४२७२
२६४६	उड़ीसा राज्य में अधिसूचित रिक्त स्थान . .	४२७२–७३
२६४७	अम्बर चरखा . . .	४२७३
२६४८	आन्ध्र प्रदेश में उद्योग	४२७४
२६४९	समवाय विधि का उल्लंघन .	४२७४
२६५०	ग्रामीण शिल्प संग्रहालय	४२७४–७५
२६५१	सामूहिक रूप में मजदूरों को काम पर लगाने की चीनी पद्धति	४२७५
२६५२	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, त्रिपुरा	४२७५
२६५३	मुस्लिम निष्काम्य ववफ संपत्तियां	४२७५–७६
२६५४	राजगीर अवकाश गृह	४२७६
२६५५	विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों में हिन्दी का प्रयोग .	४२७६
२६५६	नेपानगर में कास्टिक सोडा कारखाने की स्थापना . .	४२७७
२६५७	कम आय वाले लोगों के लिए मकान बनाने की योजना .	४२७७
२६५८	निर्यात -गृह (एक्स्पोर्ट हाउसेज़) . .	४२७८
२६५९	छपे हुए लेबल, गत्तों आदि का आयात .	४२७८
२६६०	काफी के उत्पादक . . .	४२७८–७९
२६६१	अगरतला में रोगजगार दफ्तर .	४२७९
२६६२	रबड़ बोर्ड के कर्मचारी . .	४२७९–८०
२६६३	औद्योगिक उपक्रमों के पंजीयन एवं लाइसेंसिंग नियम . .	४२८०
२६६४	जोत की जमीन की अधिकतम सीमा . . .	४२८०–८१

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
२६६५	मीट्रिक बाट प्रणाली . .	४२८१
२६६६	मुरादाबाद में कलई के बर्तन का व्यापार . .	४२८१–८२
२६६७	मद्रास में कपड़ा मिलों के तकुए . .	४२८२
२६६८	मद्रास राज्य में स्थानीय विकास कार्य . .	४२८२
२६६९	गैरसरकारी रिहायशी बस्तियों में सरकारी कार्यालय .	४२८३
२६७०	सिद्धपुर में पटसन मिल .	४२८३
२६७१	कुरसेंग में रेडियो स्टेशन . . .	४२८४
२६७२	भूटान में डाक, तार और टेलीफोन व्यवस्था का विस्तार	४२८४
२६७३	चाय निर्यात उपकर .	४२८४–८५
२६७४	गुड़ की मंडी	४२८५
२६७५	किंग्ज़वे क्षेत्र दिल्ली की पुनर्विकास योजना .	४२८५
२६७६	आंध्र प्रदेश में कुटीर उद्योग . .	४२८५–८६
२६७७	आविष्कार विकास बोर्ड	४२८६
२६७८	मुरादाबाद के बर्तन निर्माता . .	४२८६
२६७९	निरस्त्रीकरण सम्मेलन	४२८७
२६८०	चाय संवर्धन के उपाय . . .	४२८७
२६८१	'इन्सर्टेंट' चाय का निर्माण . .	४२८७–८८
२६८२	मैसूर राज्य में पंजीबद्ध बेरोजगार	९२८८
२६८३	मैसूर में उद्योग . .	४२८८
२६८४	मैसूर राज्य में हस्तशिल्प प्रर्दशनालय .	४२८९
२६८५	लद्दाख में तिब्बती शरणार्थियों का पुनर्वास .	४२८९
२६८६	कोरट्टी में सरकारी मुद्रणालय . .	४२८९–९०
२६८७	मैकाओं में नजरबन्द भारतीय .	४२९०
२६८८	नैनीताल में औद्योगिक बस्ती . .	४२९०
२६८९	नैफा और नागालैण्ड में चलचित्रों का प्रदर्शन	४२९०–९१
२६९०	गुवार-गम	४२९१–९२
२६९१	आवास सहकारी समितियों संबंधी गोष्ठी	४२९२
२६९२	लघु उद्योगों के लिए फोर्ड प्रतिष्ठान दल .	४२९२–९३
२६९३	नागा विद्रोही . .	४२९३

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर

अतारांकित
प्रश्न संख्या

२६९४. नागा विद्रोही . ३२९३
२६९५. बर्तनों का लघु उद्योग . ३२९३–९४
२६९६ कर्मचारी राज्य बीमा योजना ४२९४
२६९७ पंजाब में श्रमिक शिक्षा केन्द्र . ४२९५
२६९८ पंजाब में बड़े उद्योग ४२९५
२६९९ पंजाब में दूसरी योजना अवधि के दौरान व्यपगत राशि . ४२९५–९६
२७०० नई दिल्ली के भारत सरकार मुद्रणालय में कर्मचारी . ४२९६
२७०१ नई दिल्ली के नेताजी नगर में "जी" टाइप के क्वार्टर . ४२९६
२७०२ मुद्रण की स्याही का आयात ४२९६–९७
२७०३ विदेशी सहायोग करार . . . ४२९७–९८
२७०४ सरकार द्वारा निर्मित सम्पत्ति का शरणार्थियों को विक्रय ४२९८–९९
२७०५ मैसूर में औद्योगिक बस्ती . . . ४२९९

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . . ४२९९–४३००

श्री मोहसिन ने चीन के साथ भारत-तिब्बत करार, १९५४ के खत्म होने और भारत में चीनी व्यापारिक दूतावासों के बन्द किये जाने की ओर प्रधान मंत्री का ध्यान दिलाया जाना ।

प्रधान मंत्री वैदेशिक कार्य तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) ने इस बारे में एक वक्तव्य दिया ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . ४३००–०१

(एक) वर्ष १९६१-६२ के लिए राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् का वार्षिक प्रतिवेदन

(दो) स्वीडन, अमेरिका और जापान में ढलाई उद्योग सम्बन्धी भारतीय उत्पादकता दल का प्रतिवेदन ।

(तीन) अमेरिका, ब्रिटेन और पश्चिम जर्मनी में कास्ट अकांउटिंग और वित्तीय नियंत्रण सम्बन्धी भारतीय उत्पादिकता दल का प्रतिवेदन

(चार) अमेरिका, फिलीपीन, हवाई और प्यूरिटोरिकों में चीनी उद्योग सम्बन्धी भारतीय उत्पादकता दल का प्रतिवेदन ।

विषय पृष्ठ

अनुदानों की मांगें . . . . . ४३०१—५३

(१) गृह-कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर अग्रेतर चर्चा समाप्त हुई । मांगें पूरी पूरी स्वीकृत हुईं ।

(२) श्रम और रोजगार मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा आरम्भ हुई । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

गुरुवार ७ जून १९६२/१७ ज्येष्ठ १८८४ (शक) के लिये कार्यावलि

श्रम और रोजगार मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर अग्रेतर चर्चा ।
वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रोलय की मांगों पर चर्चा ।

GMGIPND—LSIII—1209(ai) LSD—5-10-62—150